द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक ४

२० नवम्बर, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

241-A LSD

लोक-सभा
वाद विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २२, १९५८

(१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८)

छठा सत्र, १९५८

(खण्ड २२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली।

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) सशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . : १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१–६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१.	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

	पृष्ठ
(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)	९०३
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—	
वापस लिया गया . . .	९०३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . .	९०३—२१
सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	९२१—२२
दैनिक संक्षेपिका	९२३—२८
अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . .	९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ .	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१	९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ .	९८०—१००६
लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य .	१००६—०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति	१००८—१०
सभा का कार्य	१०१०—११
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . .	१०११—२९
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . .	१०२९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग---(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित---आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार(बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनोलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज—(क्रमश:)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प---(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पेकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब—(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची–पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (वाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रबुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमश:)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ें० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स---(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री वे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतनि
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री भूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—सभापति
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री —श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री —श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री दी० प० करमरकर

सहकार मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायन कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री--हजारनवीस
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव--श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव--श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २० नवम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सूती कपड़े का निर्यात

†*१०१. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व के एशियाई बाजारों को सूती-कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिये अब तक क्या विशेष उपाय किये गये हैं और करने का विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** सूती कपड़े के निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से कपड़ा मिलों तथा निर्यातकों को निर्यात करने का प्रोत्साहन देने के लिये कुछ बातें घोषित की गई हैं। इनका ब्यौरा भारत सरकार की सार्वजनिक सूचना संख्या ८७—आई० टी० सी० (पी० एन०) / ५८ दिनांक ३१–१०–५८; संख्या ८८ आई० टी० सी० (पी० एन०)/५८ दिनांक ३१–१०–५८ और संख्या ९१—आई० टी० सी० (पी० एन०)/ ५८ दिनांक ५–११–१९५८ में दिया गया है। इन सूचनाओं की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४४**]

†**श्री वि० च० शुक्ल :** सभा-पटल पर रखी गई सूचनाओं में ब्यौरेवार दिये गये उपायों के अतिरिक्त व्यापारियों ने और किन अन्य उपायों का सुझाव दिया था और उनमें से कौन कौन से सुझाव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं ? सूती माल के निर्यात का संवर्धन करने के लिये क्या अन्य कोई उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**श्री कानूनगो :** सरकार कुछ कार्यवाही करती रही है और उनमें अब इस अर्थ में तेजी लाई जा रही है कि सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रादेशिक कार्यालय खोल दिये गय हैं और वे वहां के बाजारों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्टें भेज रहे हैं। हाल ही में अच्छे प्रकार की मशीनरी प्राप्त करने का प्रोत्साहन दिया गया है जिससे कि अधिक अच्छी किस्म का माल बनाया जा सके। इसके अलावा मुझे व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों द्वारा दिये गये किसी अन्य सुझाव के बारे में कुछ नहीं पता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सूती माल के निर्यात का संवर्धन करने के लिये की गई पिछली सारी कार्यवाही तथा हाल में की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अन्य देशों को सूती माल का निर्यात बढ़ गया है ?

†**श्री कानूनगो** : वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए हमारा यह विचार है कि हम जो स्तर बनाये हुये हैं वही परिणाम की दृष्टि से काफी हैं क्योंकि इस बात को महसूस करना आवश्यक है कि पिछले १८ महीनों में प्रतियोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है और सूती कपड़ों का निर्यात भी कम हो गया है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या दक्षिण-पूर्व के एशियाई देशों में चीन भारत का प्रतियोगी है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया है कि मशीनरी को पुनर्स्थापित करने तथा माल की किस्म सुधारने के लिये, मशीनों का आयात, २० प्रतिशत बाद में भुगतान करने के आधार पर करने दिया जाएगा । क्या देश के भीतर भी मशीनों के उपलब्ध हिस्सों को आस्थगित भुगतान के आधार पर खरीदने की सुविधा उपलब्ध की जायेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जिस मशीनरी का आयात करने दिया जाएगा वह देश में नहीं बनती : और जो मशीनरी देश में बनती है वह सदैव ही मिल सकेगी ।

†**श्री आचार** : क्या यह सच है कि चीन में भारत की अपेक्षा मजूरी सस्ती है और इसलिये वह इस क्षेत्र में हमारा प्रतियोगी है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या करने का विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : हम कोई अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या वह प्रक्रिया जो चीनी के निर्यात के बारे में अपनाई गई थी और जिसके अनुसार प्रतियोगिता के कारण होने वाली हानि कारखानों द्वारा वहन की गई थी, सूती कपड़ों के निर्यात पर भी लागू की जा सकती है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं समझता हूं कि सूती कपड़ों के मामलों में यह नहीं चल सकेगी। चीनी एक ऐसी वस्तु है जिसकी किस्में बहुत ही सीमित हैं परंतु सूती कपड़ों की किस्में और उसकी विविधतायें अनेक हैं ।

†**श्री सोमानी** : निर्यात की तुलना में विदेशी कपास का आयात संबंधी आवश्यक ब्यौरा घोषित नहीं किया गया । सरकार उसे कब घोषित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जल्दी ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी परंतु इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जब तक विदेशी मुद्रा की कठिनाई रहेगी तब तक आयात प्रतिबंधित ही रहेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि कपड़े के वे निर्यात व्यापारी जो ८० प्रतिशत कपड़े के निर्यात व्यापार को करने का दावा करते हैं, उनको निर्यात प्रोत्साहन

---

†मूल अंग्रेजी में

योजनाओं में शामिल नहीं किया गया ; और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्री कानूनगो :** योजना जिस रूप में है वह केवल उत्पादकों के लिये है। परंतु यदि निर्यात का कार्य निर्यात व्यापारी संभालते हैं तो लाभ उत्पादकों को होता है क्योंकि उद्देश्य यह है कि अत्यंत आवश्यक मशीनरी का आयात करके कपड़े की किस्म में सुधार किया जाये ।

†**श्री वाजपेयी :** माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया है कि हमें चीन से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतियोगिता में चीन का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो :** कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी सारे देश, उद्योग तथा श्रमिकों पर है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** भारत की कुछ मिलें जो दरम्याना (मीडियम) तथा मोटा कपड़ा बनाती हैं, उसकी बिक्री देश में नहीं होती। क्या हमारे दरम्याने (मीडियम) और मोटे कपड़ों की दक्षिण–पूर्व एशिया के बाज़ार में अच्छी बिक्री हो सकती है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कपड़े की हमारा सालाना निर्यात कितनी है ?

†**श्री कानूनगो :** जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमें निर्यात बाज़ार में हर जगह सब प्रकार के कपड़ों में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है । इस में दरम्याना (मीडियम) और मोटा कपड़ा भी शामिल है ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में ग्रे क्लाथ और रंगे हुये कपड़े की निर्यात के बदले कोल तार रंगों का आयात करने का भी उल्लेख किया गया है । इस अवधि में ऐसे जिन रंगों का आयात किया गया है उनकी कीमत क्या है ?

†**श्री कानूनगो :** यह योजना केवल एक सप्ताह पहिले ही चालू हुई है।

गंदी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी मंत्रणा समिति

†*१०२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री पाणिग्रही : }

क्या **प्रधान मंत्री** १ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना-आयोग ने गंदी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी मंत्रणा समिति की रिपोर्ट की परीक्षा कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). योजना आयोग ने इस रिपोर्ट की जांच कर ली है। योजना आयोग से परामर्श करने के बाद निर्माण, आवास

†मूल अंग्रेजी में

और संभरण मंत्रालय ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जो मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये भेजे गये हैं। मंत्रिमंडल ने अभी तक इन प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया। प्रस्तावों में गंदी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिये रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार सामूहिक प्रयत्न को मान्यता दी गई है परन्तु इस संबंध में उन में अनेक सुझाव दिये गये हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गंदी बस्तियों की पूंजी-लागत बढ़ाई जाएगी अथवा वह ज्यों की त्यों रहेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** क्या मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दे सकता हूं कि वे कुछ देर इंतजार करें? इसके बाद हम सभा के समक्ष विचार करने के लिये अपने प्रस्ताव रखेंगे।

†**श्री पाणिग्रही :** गंदी बस्ती सफाई कार्य-क्रम को पूरा करने के लिये योजना आयोग ने मंत्रिमंडल के समक्ष कौन से निश्चित प्रस्ताव रखे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरी समझ में विचार की प्रत्येक प्रावस्था, अर्थात् योजना आयोग ने क्या कहा है और सरकार ने क्या निर्णय किया है, बताना ठीक नहीं है। स्वाभावतः मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय किया है यह किसी न किसी रूप में सभा के सामने रखा जाएगा। परंतु जैसा कि मैंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है, योजना आयोग ने किये गये प्रयत्नों को मोटे रूप से मान लिया है। उन्होंने इस बारे में विभिन्न सुझाव रखे हैं कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए।

†**श्री तंगामणि :** अशोक सेन समिति ने सात सिफारिशें की हैं। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर और अहमदाबाद शहरों में गंदी बस्तियों के सुधार के लिये २ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त सिफारिश पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वास्तव में, मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य उस समय तक इंतजार करें जब तक हम इस मामले पर विचार करके उत्तर नहीं देते।

श्रमिक व उत्पादन समितियां

+

†*१०४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बर्मन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५८ तक केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी श्रमिक एवं उत्पादन समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) उनका काम कैसा चलता रहा है ; और

(ग) क्या इन समितियों को एक संविधि के अधीन लाया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ५ ।

(ख) वे संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के उपबंधों के अधीन श्रमिक समितियां बनाना जरूरी है जब कि उत्पादन समितिया संविधि के बाहर की संस्थायें हैं । सरकार का इरादा उन्हें संविधि के अन्तर्गत लाने का नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन समितियों के कार्य संचालन की जांच करने और उस में सुधार करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री आबिद अली** : औद्योगिक उपक्रमों की श्रमिक समितियों के बारे में पिछली मई में होने वाले श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि उन समितियों के कार्य संचालन का अध्ययन करने, इस संबंध में दूसरे देशों में क्या हो रहा है यह जानने, और उन के कार्य संचालन में सुधार करने तथा उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में एक दल नियुक्त किया जाए ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : आजकल इन समितियों के कार्य संचालन का अध्ययन कौन कर रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : अभी तक यह दल नियुक्त नहीं किया गया ।

†**श्री बर्मन** : अभी तक के अनुभवों को देखते हुए क्या सरकार उस स्थिति में है कि वह ऐसे कुछ उदाहरण बताये जहां इन समितियों के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा मित व्ययिता हुई है ?

†**श्री आबिद अली** : इन समितियों का तो कार्य ही यही है । हम समय समय पर इस संबंध में परिपत्र जारी करते हैं और विभिन्न त्रिदलीय सम्मेलनों में इस विषय पर विचार किया जाता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन समितियों की स्थापना से क्या कोई सद्भावना उत्पन्न हुई है ?

†**श्री आबिद अली** : इन समितियों का यह काम ही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : नये नियमों के अधीन श्रमिक समिति की कार्यावधि दो वर्ष है और श्रम मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि श्रमिकों का प्रतिनिधि एक वर्ष तक इस समिति का सभापति रहे। क्या उसे कार्यान्वित किया गया है और यदि नहीं तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के प्राधिकारियों ने इसके खिलाफ बड़ी आपत्ति उठाई है ?

†**श्री आबिद अली** : यह विशेष प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । यदि वे इस संबंध में जानकारी चाहते हैं तो अलग से एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य सभापति के बारे में जानना चाहते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : श्रीमान्, यह एक गंभीर प्रश्न है ।

†**श्री आबिद अली** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कुछ श्रमिक समितियां एकक उत्पादन समितियों के रूप में कार्य कर रही हैं ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, ऐसी कुछ समितियां हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्था

+

†*१०५. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना के लिये योजना तथा अनुमान तैयार कर लिये हैं और क्या सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तब से इमारत का निर्माण शुरू हो गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने अनुमान मंजूर कर लिये है। संस्था किराये की इमारतों में चलने भी लगी है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह संस्था किराये के भवन में कब से है और कितना किराया दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा मैंने कहा था, इस संस्था ने कार्य आरम्भ कर दिया है और लगभग पचास लड़कों की ट्रेनिंग में प्रतिवर्ष लगभग १,२१,००० रुपये खर्च होंगे। माहवारी किराया ७०० रूपये हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह संस्था केवल ट्रेनिंग प्रदान करेगी अथवा वहां रिसर्च भी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तो ट्रेनिंग देनी है। बाद में रिसर्च भी कर सकती है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह अखिल भारतीय संस्था राज्यों की संस्थाओं पर नियंत्रण रखेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संस्था नहीं किन्तु रेशम बोर्ड नियंत्रण रखेगा। विभिन्न संस्थाओं में परस्पर पूर्ण समन्वय है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या इस संस्था में ट्रेनिंग पाने वाले उम्मीदवारों को प्रादेशिकता के आधार पर चुना गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अखिल भारतीय आधार पर चुना गया है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रादेशिकता का अर्थ मैं स्पष्ट कर देता हूं। उदाहरण के लिये मैसूर में रेशम पैदा होती है। फिर छोटा नागपुर तथा अन्य स्थान हैं। क्या इस का प्रतिनिधित्व है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह किसी उम्मीदवार के लिये अपवर्जित नहीं है। यह सच है कि संस्था जहां स्थापित होती है वहां के उम्मीदवार अधिक रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश और मद्रास में औद्योगिक एकक

+

†*१०७. { **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश और मद्रास में स्थापित किये जाने की संभावना वाले नये औद्योगिक एककों के क्या नाम हैं ; और

(ख) इनके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी रकम स्वीकार की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जितनी जानकारी उपलब्ध हुई है उसे बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ४५]** ।

†**श्री तंगामणि** : उत्तर प्रदेश की पांच सहकारी चीनी फैक्टरियों और मद्रास की चार चीनी फैक्टरियों में से कितनी पूरी हो गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, तीन फैक्टरियां पहले ही स्थापित की जा रही हैं और एक अन्य फैक्टरी की स्थापना विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश में दो फैक्टरियां स्थापित की जा रही हैं और तीन विचाराधीन हैं ।

लोक सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन सहकारी चीनी फैक्टरियों की मशीनों के निर्माण के लिये हम स्थानीय निर्माताओं के साथ व्यवस्था कर रहे हैं जो दो या तीन वर्षों में इस दिशा में सफल हो जायेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : क्या मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, मदुराई, हार्वे मिल्स लिमिटेड, मदुरई और स्टेण्डर्ड मोटर्स, मद्रास ने अपने वर्तमान व्यवसाय का विकास करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन सरकार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वस्तुत: यह प्रश्न इस विषय से सम्बन्धित नहीं है। यह सामान्य औद्योगिक विकास से सम्बन्धित है । जहां तक पहले दो उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्होंने कई वस्तुओं के लिये आवेदन दिया है जिनमें कुछ मंजूर हो चुकी हैं—स्टेण्डर्ड मोटर्स और मीनाक्षी मिल्स । कुछ और अभी विचाराधीन हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने बताया है कि चीनी फैक्टरी की मशीनों का निर्माण बढ़ने तक चीनी फैक्टरियों की स्थापना रूकी रहेगी । कई सहकारी समितियों ने धन एकत्र कर लिया है तब क्या स्वयं सहकारिता आन्दोलन में ही उनका विश्वास नहीं डिग जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह विषय अनेक बार लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। और मैं ने बार बार यही कहा है कि विदेशी मुद्रा की वर्तमान दुर्गम अवस्था के फलस्वरूप ही ऐसा किया गया है । हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि शेष ग्यारह चीनी फैक्टरियों के लिये मशीनें

---

†मूल अंग्रजी में

आयात करने का लाइसेंस दिया जाये। अतः वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और योजना आयोग ने उस पर काफी विचार किया था। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सहयोग से यह निर्णय किया गया है कि यह सब फेक्टरियां भारत में निर्मित मशीनों की सहायता से ही स्थापित की जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में दो मुख्य समस्याऐं हैं—बेरोजगारी और निम्न क्रय-क्षमता। योजना अवधि में उपरोक्त जिलों में कितनी मिलें स्थापित करने की संभावना है और इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक व्यापक प्रश्न है। जैसा मैं ने अभी उत्तर में बताया था, उस प्रश्न की मोटी रूपरेखा बता दी गई है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष फैक्टरी अथवा फैक्टरियों में रुचि रखते हैं तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उन्हें जानकारी देने को तैयार हूं।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह चीनी फैक्टरियां विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी जहां वे पहले नहीं हैं अथवा जहां वे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समस्या के प्रति सामान्य नीति यह है कि जहां सस्ता गन्ना उत्पन्न हो सकता है वहीं इनका चुनाव किया जाता है। इन मामलों में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने काफी विशद अध्ययन किया है। जिन क्षेत्रों में गन्ना लाभप्रद मूल्य पर उपलब्ध है वहीं नई फैक्टरियां स्थापित कर दी गई है।

†**श्री बाजपेयी** : क्या योजना अवधि में बरेली में रबड़ फैक्टरी स्थापित करने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बरेली में पावर अल्कोहल पर आधारित एक संश्लिष्ट रबड़ फैक्टरी स्थापित करने का विचार है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक यूनिट पूरे होने पर कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रथक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ब्यौरे की बात है। इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मद्रास में ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग और विशेष रूप से खादी उद्योग पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जा रहा है, क्या १४·२५ करोड़ रुपये का उपबन्ध बढ़ा दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संसाधनों की वर्तमान कठिनाइयां अनेक हैं। वस्तुतः हम आभार प्रदर्शित करेंगे यदि छोटे उद्योगों के लिये २०० करोड़ रुपये का आवंटन यथावत् बना रहने दिया जाये। क्योंकि इसमें कुछ कटौती हो सकती है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जो उद्योग-धंधे खोलने की सूचना दी गई है, उन पर कुल कितना खर्चा होगा और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कितनी सहायता देने जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : जहां तक पब्लिक सैक्टर का ताल्लुक है, मैं ने अपने स्टेटमेंट में बता दिया है । जहां तक प्राइवेट सैक्टर का ताल्लक है, उन को लाइसेंस दिया जाता है । जब प्रोपोजल आती हैं और वे फ़क्टीफाई होती जाती है, तो उन सब को नोटिफाई किया जाता है । इस वक्त उन का एक दम अन्दाजा नहीं किया जा सकता है ।

†**श्री राम नाथ रेड्डियार :** इस बात पर ध्यान देते हुए कि मद्रास ने औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है, क्या केन्द्रीय सरकार द्वितीय योजना में उसे वित्तीय सहायता बढ़ायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम सदैव इस बात की आशा करते हैं कि छोटे उद्योगों और औद्योगिक विकास के विशेष क्षेत्र में अधिक आवंटन हो किन्तु यथार्थता यह है कि संसाधनों की उपलब्धि देखते हुए इस दिशा में वृद्धि की अधिक आशा नहीं है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि ओखला में जो इंडस्ट्रियल बस्ती बनाई गई है, क्या उस के विस्तार की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां, डेढ़ सो फैक्टरीज़ लगाई जा रही हैं और उन पर दो से तीन करोड़ रुपये का खर्चा होगा ।

श्री नवल प्रभाकर : यह कब तक हो जायेगा ।

श्री मनुभाई शाह : वह कोई दो साल के अन्दर हो जाना चाहिये ।

भोवरा कोयला खान दुर्घटना

†*१०९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच न्यायालय द्वारा दुर्घटना के लिये उत्तरदायी भोवरा कोयला खान के मालिक के विरुद्ध चलाये गये मामले की मौजूदा स्थिति क्या है ; और

(ख) कर्त्तव्य शिथिलता के लिये खानों के प्रादेशिक इंस्पेक्टर के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) खान के मालिक और भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध फौजदारी मामला दायर किया गया है । मामला अभी चल रहा है ।

(ख) खानों के प्रादेशिक इंस्पेक्टर पर कर्त्तव्य में शिथिलता करने का आरोप लगाया गया है । उनका उत्तर विचाराधीन है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या सर्टीफिकेट के स्थगन अथवा उसे रद्द करने के बारे में मैनेजर के आचरण की कोई जांच की गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह मालूम करने के लिये जांच की जा रही है कि मैनेजर कहां तक उत्तरदायी था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : दांडिक अभियोग चलाया गया है । किन्तु कोयला खान विनियमों के अधीन मैनेजर के आचरण की जांच करना आवश्यक है । क्या यह जांच समिति नियत कर दी गई है ।

†श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस सम्पूर्ण प्रश्न पर खानों की सुरक्षा कांन्फ्रेंस विचार कर रही है। मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही करने के पहले हम कुछ नियमों में संशोधन करना चाहते हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : सुरक्षा कांफ्रेंस द्वारा अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने तक क्या खान अधिनियम और खान विनियमों के उपबन्धों का स्थगन कर दिया जायेगा ?

†श्री ल० ना० मिश्र : यह मंशा नहीं है । हम कांफ्रेंस की सिफारिशों को अन्तिम रूप देना चाहते हैं ।

इन्सुलीन[1] का निर्माण

†*११०. श्री कोडियान: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष इन्सुलीन कितनी मात्रा में आयात किया जाता है और उसका कितना मूल्य है ; और

(ख) क्या सरकार भारत में इन्सुलीन के उत्पादन का विचार रखती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९५७ में लगभग १९ लाख रुपये की कीमत का इन्सुलीन आयात किया गया था जबकि १९५८ के प्रथम आठ महीनों में आयात किये गये इन्सुलीन की कीमत १० लाख रुपये थी ।

(ख) जी हां ।

†श्री कोडियान : इस योजना की अनुमानित लागत और प्रस्तावित फैक्टरी की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†श्री मनुभाई शाह : ६०० लाख यूनिट इन्सुलीन प्रति वर्ष उत्पादन वाली फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है और पूंजी विनियोग की लागत लगभग २ करोड़ रुपये होगी ।

†श्री कोडियान : क्या इन्सुलीन के उत्पादन के लिये कच्चा माल देश में ही उपलब्ध होगा ; और यदि हां, तो इस कच्चे माल की कितनी मात्रा है ?

†श्री मनुभाई शाह : इन्सुलीन के लिये कच्चे माल के रूप में पशुओं की ग्रंथियां काम में आती हैं । जहां भी स्वच्छ कसाई खाने हैं वहीं इन्सुलीन तैयार होता है । ग्रंथियों की उपलब्धता की दृष्टि से किसी समुचित स्थान पर सोवियत रूस के सहयोग से एक इन्सुलीन फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

†श्री कोडियान : देश में इन्सुलीन की कितनी अनुमानित मांग है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने यह पहले बता दिया है। जितनी मात्रा में यह आता है देश में उसकी उतनी ही आवश्यकता है। कच्चे माल से भारत में इन्सुलीन नहीं बनता है। आजकल

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Insulin.

जिसका आयात होता है वह एकत्रित रूप में इन्सुलीन है जिसका परिशोधन हो कर फिर से पैक किया जाता है। इसकी कीमत प्रतिवर्ष लगभग १९ लाख रुपये है।

उत्तरी कोरिया द्वारा उर्वरक का संभरण

†*१११. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कोरिया द्वारा उर्वरक संभरण करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें और अवस्थाएं हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). उत्तरी कोरिया से उर्वरक के संभरण की बातचीत हुई है किन्तु अन्तिम प्रस्ताव का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या उर्वरक संभरण के किसी अन्य स्रोत की खोज की जा रही हैं; और यदि हां, तो वह कहां है ?

†**श्री कानूनगो** : उर्वरक के आयात की सम्पूर्ण विश्व में कोशिश की जा रही है; इसमें बस कीमत और जहाजों के उपलब्ध होने का प्रश्न है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या निकट भविष्य में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा ?

†**श्री कानूनगो** : इस मामले की भांति उर्वरक दिया जा रहा है किन्तु प्रश्न कीमत का है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : उर्वरक की किसी मात्रा के आयात होने की संभावना है और कोरियाई उर्वरक की तुलनात्मक कीमत क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं आयात की संभावना वाली उर्वरक की निश्चित मात्रा नहीं बता सकता हूं। कोरियाई उर्वरक की नाई हमें जो कीमत बताई गई है उस पर विचार किया जा रहा है और मैं यह कीमत प्रकट नहीं करूंगा क्योंकि अभी बातचीत चल रही है।

†**श्री पाणिग्रही** : हमारे देश में उर्वरक की स्थित में अब कितना सुधार हो गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: जहाँ तक अमोनियम उर्वरक का सम्बन्ध, है, हमारे यहां ३,९०,००० टन तक उत्पादन बढ़ गया है। विस्तार कार्यक्रम चल रहा है और हमें आशा है कि तीसरी योजना के पहले वर्ष तक हम २० लाख टन से अधिक उर्वरक उत्पादन करने का विचार रखते हैं। फासफेट उर्वरक के सम्बन्ध में हम पूर्ण स्वावलम्बी हैं; हमारा चालू उत्पादन लगभग १ $^{१}/_{२}$ लाख टन डबल फासफेट, ट्रिपल फासफेट और मोनो फासफेट है ।

†**श्री पाणिग्रही** : दूसरी योजना के अगले दो वर्षों में हमें कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी और हमारे यहां इसकी कितनी कमी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्राक्कलन के आधार पर हमारी आवश्यकता लगभग ९ लाख टन थी और बाद में यह १४ लाख टन हो गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय का स्थानान्तरण

+

*११२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय को दिल्ली से हटा कर मसूरी ले जाने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय के लिये मसूरी में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जबकि इस मंत्रालय के कई अधिकारियों ने मसूरी का कई बार निरीक्षण कर लिया है और यहां तक कि पिछली बार हमारे गृह मंत्री पंडित पंत जी ने भी वहां शार्लेविल्ले होटल का निरीक्षण किया था, तो फिर इस बारे में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह एक प्रकार का सौदा है । हम गैर-सरकारी जगह प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि हम सबसे सस्ती कीमत पर इसे खरीदने के इच्छुक हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह आशा की जा सकती है कि इस स्कूल का जो अगला नया सत्र यानी सैशन शुरू होगा, उससे पहले इस प्रश्न पर निर्णय कर लिया जाएगा?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं वर्तमान स्थिति में इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री नवल प्रभाकर : जब सरकार इस स्कूल को मसूरी ले जाने का विचार कर रही है तो क्या इस पर भी विचार किया जाएगा कि ट्रेनिंग लेने वालों पर जो दिल्ली में औसत खर्चा आता है, वही मसूरी में भी आए ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरा विचार है कि एक उम्मीदवार के प्रशिक्षण में दिल्ली के समान ही खर्च मसूरी में होगा ।

श्री भ० दी० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस स्कूल को दिल्ली में ही रखने पर पुनः विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं किसी पूर्व प्रस्ताव से अवगत नहीं हूं कि यह स्कूल मसूरी के बाहर भेज दिया जाये ।

†**श्री तिम्मया** : क्या मसूरी के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान विचाराधीन है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस संस्था के सम्बन्ध में कोई और स्थान विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवन् नायर : इसे दिल्ली के स्थान पर मसूरी स्थानान्तरित करने में क्या लाभ है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : कुछ विशेष लाभ हैं। एक तो यह स्थान दिल्ली से अधिक दूर नहीं है। हम सारे भारत के लिये कह रहे हैं। यह स्कूल किसी विशेष राज्य के लिये नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत के लिये है। लाभ ये हैं :—दिल्ली के समीप, जलवायु सम्बन्धी अवस्थाएं और देहरादून के वन विद्यालय और सैनिक विद्यालय की निकटता जहां इन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण सहज उपलब्ध हो जायेगा ?

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय जो बातचीत चल रही है, उसको देखते हुए देर से कब तक फैसला हो जाने की उम्मीद की जाती है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : जैसा मैंने कहा था हम सौदा कर रहे हैं। मेरे लिये यह कहना अत्यंत कठिन है कि हम ऐसा अन्तिम समझौता कब करेंगे जो सरकार के लिये अत्यन्त सुविधाजनक हो।

अम्बर चर्खा योजना

†*११३. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर चर्खा योजना पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) कुल कितना सूत बनाया गया और इस सूत से कुल कितना कपड़ा तैयार किया गया है ; और

(ग) इस सूत और कपड़े का मूल एवं पुनरीक्षित लक्ष्य क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक जो खर्च हुआ है वह अनुदान के रूप में ३४१.९४ लाख रुपये और ऋण के रूप में ८४६.१० लाख रुपये है। इस के अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों के लिये हर वर्ष चलती पूंजी के रूप में १०० लाख रुपये लगते हैं।

(ख) ३० सितम्बर, १९५८ तक सूत और कपड़े का कुल उत्पादन क्रमशः ४६ लाख ७० हजार पौंड और २०९ लाख ६० हजार वर्ग गज है।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]

†श्री मुरारका : क्या यह सच है कि उत्पादन का मूल लक्ष्य ३००० लाख गज था और पुनरीक्षित लक्ष्य १५०० लाख गज था जबकि इसकी तुलना में अभी तक २०० लाख गज कपड़े का ही उत्पादन किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी नहीं। माननीय सदस्य को मालूम है कि यह पंच वर्षीय लक्ष्य है। यह सच है कि ३००० लाख गज का पुनरीक्षित लक्ष्य घटा कर १५०० लाख गज कर दिया गया है। अब यह और कम हो सकता है। खादी सरीखी विकेन्द्रित उद्योग में

†मूल अंग्रेजी में

अन्दरूनी कठिनाइयों से सब भलीभांति परिचित हैं और खादी आयोग ने यथासम्भव उत्पादन बढ़ाने का प्रसंशनीय कार्य किया है।

†**श्री मुरारका** : क्या अभी तक जो उत्पादन बढ़ा है वह खर्च को ध्यान में रखते हुए उचित है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निस्संदेह ही।

श्री प० ला० बारूपाल : अम्बर चर्खे से जो सूत की कताई होती है उस सूत में समानता न आने के कारण कपड़ा जो तैयार होता है वह बहुत घटिया किस्म का निकलता है, क्या यह सही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह बात बिलकुल गलत है। मैं यह बात स्पिनिंग के अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। अम्बर चर्खे का यार्न मिल के यार्न से ज्यादा यूनिफार्म होता है। हां यह ठीक है कि उसका उत्पादन उतना नहीं होता है जितना कि मिल की स्पिंडल का होता है।

†**श्री मुरारका** : विवरण से प्रतीत होता है कि १९५८–१९५९ के अन्तिम लक्ष्य अभी तक निश्चित नहीं किये गये हैं। तीन-चार महीने बाद वर्ष पूरा हो जायेगा। इस वर्ष का लक्ष्य कब निर्धारित किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने जो कुछ कहा वह निश्चित लक्ष्य के बारे में था। यह सच है कि प्रयोगात्मक रूप से निश्चित लक्ष्य २५० लाख गज है।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अम्बर चरखे से उत्पादित सूत साधारण चरखे के सूत के समान मजबूत नहीं होता, क्या यह वृद्धि अधिक अनुभव नहीं होती है और अम्बर चरखे के खरीददारों की इच्छानुसार पारिश्रमिक इस से नहीं मिल रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य की प्रथम धारणा सर्वथा सही नहीं है। अम्बर चरखे का सूत मिल के बढ़िया सूत से कहीं अधिक अच्छा है। यह प्रचलित सूत से बढ़कर है और उससे इसकी किस्म भी अच्छी है। यह सच है कि अम्बर चरखे पर काम करने वाले व्यक्ति को पारिश्रमिक इतना कम मिलता है कि हम उसे मजूरी की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। हम सदैव इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि अम्बर चरखे में अधिक से अधिक सुधार हो और उत्पादन बढ़े तथा चरखा कातने वाले की आय में भी वृद्धि हो।

†**श्री च० द० पांडे** : मेरे प्रश्न का केवल आंशिक उत्तर दिया गया है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अम्बर चरखा कातने वाले व्यक्ति की दैनिक औसत आमदनी कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह चौदह आने से लगाकर १ रुपया और छः आने तक है।

†**श्री त्यागी** : अम्बर चरखे के माध्यम से उत्पन्न कपड़े पर कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे पास कपड़े के अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं किन्तु जैसा मैंने उत्तर में बताया है खादी आयोग को अब तक सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिये ३,४१,००,००० रुपये का कुल अनुदान दिया गया है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री गोरे :** १० मार्च, १९५८ को दिये गये उत्तर से हमें प्रतीत होता है कि अम्बर चरखा योजना के अधीन ४,७४२ अध्यापक थे, और इन अध्यापकों के लिये ३,००० अधीक्षक थे। क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि अतिरिक्त खर्च बहुत अधिक है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कदाचित् व्यक्तियों के पद-नामों के बारे में गलतफ़हमी है। यदि माननीय सदस्य संकेत करें तो मैं इसकी जांच कर उन्हें समुचित व्याख्या बता दूंगा।

†**श्री गोरे :** उत्तर नहीं दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री अपना उत्तर दुहरायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने यह कहा था कि इन व्यक्तियों के नामों के बारे में भ्रम हो गया है। यदि माननीय सदस्य यह बतायें कि वह किस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं इस विषय की जांच कर उन्हें पूरा उत्तर दे दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि विवरण में दो प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं — अध्यापक और अधीक्षक जिनकी संख्या क्रमशः ४,००० और ३,००० है।

†**श्री मनुभाई शाह :** उस विशेष कार्य के लिये अधीक्षक नहीं हो सकते हैं। वह अम्बर कार्यक्रम के सर्वांगीण कार्यक्रम के लिये हो सकते हैं—उत्पादन, कताई, बढ़ईगीरी, निर्माता, बुनकर इत्यादि। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इनमें परस्पर सहयोग और परीक्षण की आवश्यकता है। यदि माननीय सदस्य मुझे यह स्थिति बतायें तो मैं निस्संदेह इसकी जांच कर उन्हें पूरा उत्तर दे दूंगा।

†**श्री त्यागी :** खादी आयोग को ८ करोड़ रुपये का ऋण किस जमानत पर दिया गया था तथा क्या उनके लेखे की, जिन में आवर्ती व्यय भी सम्मिलित है, नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक ने जांच की थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कब हिसाब रखा जाता है। यह संविहित आयोग है। और इसीलिये देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिये उन सब आयोगों और बार्डों को भारत सरकार अपने ही अधिकार के अन्तर्गत अनुदान और ऋण देती है।

†**श्री त्यागी :** मंजूरशुदा ऋण और प्रतिभूति हीन ऋणों की जमानत क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसकी जमानत यह है कि खादी आयोग की सम्पूर्ण सम्पत्ति देश एवं भारत सरकार से सम्बन्धित है। फिर जहां तक स्टाक और ऋण आदि का सम्बन्ध है विभिन्न प्रकार के ऋण हैं—पूंजी अस्तियां ऋण जो अस्तियां और चालू पूंजी ऋणों के आधार पर प्राप्त किये जाते हैं। वे दूकान में स्टाक के बल पर लिये जाते हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या संतुलन पत्रों का परीक्षण किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उनका विशद परीक्षण किया जाता है। हम सालाना लेखे लोकसभा के समक्ष रखते हैं। इन लेखों की परीक्षा नियंत्रक महा लेखा परीक्षक करते हैं।

†**डा० सुशीला नायर :** मेरा अनुमान है कि अम्बर चरखे को जो वित्तीय सहायता दी जाती है —जिसे स्पष्टतः वित्तीय सहायता कहा जाता है—ऐसी अनेक फर्में हैं जिन के विषय में मिल में बने वस्त्र पर वित्तीय सहायता दी जाती है। क्या इन दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता की कोई तुलना की गई है ; और यदि हां, तो इन दोनों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सर्वथा औचित्य युक्त प्रश्न है। किन्तु सरकार केवल छोटे उद्योगों को ही अनुदान और वित्तीय सहायता नहीं देती है। प्रत्येक देश के समुदाय के लिये और विशेष रूप से भारत में, आयात प्रतिबंधों के रूप में, भारी और बुनियादी एवं बड़े उद्योगों में सहायता देते हैं। यह सहायता उपभोक्ता मूल्य अधिमान, और स्वदेशी माल के विकास के लिये विभिन्न प्रकार की ड्यूटी के रूप में दी जाती है।

†**श्री नाथ पाई** : मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि १९५७–५८ के लिये सूत के उत्पादन का मूल लक्ष्य ५५ लाख पौंड और १९५६–५७ और १९५७–५८ में पुनरीक्षित लक्ष्य ४६ लाख पौंड था। इन दो वर्षों में कपड़े के उत्पादन का मूल लक्ष्य २४० लाख वर्ग गज और पुनरीक्षित लक्ष्य १७२ लाख ५० हजार वर्ग गज था। इतना होने पर भी मंत्री महोदय का कथन है कि आगामी एक वर्ष (अर्थात् १९५८–५९) में यह क्रमशः १०० लाख पौंड और ४०० लाख गज रहेगा। मूल प्राक्कलन और वास्तविक परिणाम में विषमता को ध्यान में रखते हुए क्या हम इस गणना का आधार जान सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विकेन्द्रीयित उद्योगों में गति उत्पन्न होने पर सफलता सामान्य दर पर ही नहीं मिलती है। पहले वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष पर दुगुनी या तिगुनी हो सकती है। इसका अर्थ है कि यह गतिमय हो रही है। आज विभिन्न राज्य सरकारों और अम्बर चरखा केन्द्रों की सहायता से खादी आयोग जितनी प्रगति कर रहा है उतनी उसने भूतकाल में नहीं की थी।

विनय नगर (नई दिल्ली) में मार्केट

†*११४. **श्री सुबिमल घोष**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्ट, वेस्ट, साउथ और मेन विनय नगर में कितने-कितने क्वार्टर हैं;

(ख) क्या इन चारों बस्तियों के निवासियों के लिये मेन विनय नगर के सरोजिनी मार्केट के अतिरिक्त कोई और मार्केट भी है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन बस्तियों में कोई और मार्केट भी बनाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो कहां पर और कब ; और

(ङ) क्या सरकार को ज्ञात है कि केवल सरोजिनी मार्केट इन चारों बस्तियों के लिये पर्याप्त नहीं है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क)

लक्ष्मी बाई नगर (ईस्ट विनय नगर)	१९७२
नेताजी नगर (वैस्ट विनय नगर)	१०४६

†मूल अंग्रेजी में

नौरोजी नगर ७७६
(साउथ विनय नगर)

सरोजिनी नगर ४४०८
(मेन विनय नगर)

(ख) से (ङ). फिलहाल तो इन सभी बस्तियों के लिये केवल एक ही मार्केट है और वह है सरोजिनी नगर में सरोजिनी मार्केट। क्योंकि यह एक मार्केट सभी निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है, इस लिये सरकार ने चार और मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी है — एक लक्ष्मी बाई नगर में, एक नौरोजी नगर में, एक रिंग रोड पर और एक सरोजिनी नगर तथा सैन्ट्रल विस्टा एक्सटेंशन के बीच बनायी जायेगी। आशा है कि निर्माण-कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

†**श्री सुबिमन घोष** : इस कार्य को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक ईस्ट विनय नगर की दुकानों का सम्बन्ध है, उनके लिये टण्डर मांगे गये हैं। जहां साउथ विनय नगर का संबंध है, आशा है कि वहां पर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा, क्योंकि उसके लिये टेण्डर तो स्वीकार हो चुके हैं। जहां तक रिंग रोड का सम्बन्ध है, उसके लिये भी टेण्डर मांग लिये गये हैं ; और सेन्ट्रल विस्टा एक्सटेंशन की मार्केट के लिये ब्योरे वार योजना तैयार की जा रही है। आशा है कि सभी दुकानें और फ्लैट १९६० तक पूरे हो जायेंगे।

†**श्री सुबिमन घोष** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात ह कि इस सरोजिनी मार्केट का केवल उन चार वस्तियों के लोग ही उपयोग नहीं उठाते, अपितु डिप्लोमेटिक एनक्लेव्ज़ और मोतीबाग़ के लोग भी इसका उपयोग उठाते हैं, जहां पर कि अधिकांश संसद् सदस्य रहते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, हां। इस कथन में कोई सन्देह नहीं। यदि किसी दुकान से अधिक लोग वस्तुएं खरीदते हैं, तो उस में दुकानदार और ग्राहक दोनों का ही भला है।

भारत–रूस व्यापार करार

†*११५. **श्री वाजपेयी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व किया गया भारत–रूस व्यापार करार दिसम्बर, १९५८ में समाप्त हो जायेगा ;

(ख) क्या इस बारे में रूस से और आगे कोई बात चीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) रूस के साथ किये गये नये व्यापार करार की एक प्रति, जिस पर मास्को में हस्ताक्षर किये गये थे, यथाकाल सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री वाजपेयी** : क्या इस करार की अवधि के अन्त में भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : रूस के साथ किये गये पुराने करार में भी करार का आधार या संतुलित व्यापार अर्थात् रूस को लगभग उतनी मात्रा में वस्तुएं भेजी जायेंगी जितनी मात्रा

†मूल अंग्रेजी में

में वे मंगायी जायेंगी। इस व्यापार में कुछ थोड़ा सा अन्तर है, परन्तु वह अन्तर आगे पूरा कर लिया जायेगा।

†**श्री वाजपेयी :** क्या इस करार में रूस से कच्ची फिल्मों को मंगाना भी सम्मिलित कर लेने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये गये थे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जी, नहीं।

†**श्री साधन गुप्त :** नये करार के अधीन कितनी मात्रा में व्यापार होने की आशा है और क्या वह पूर्ववर्ती करार से अधिक होगा या कि कम होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सभी प्रकार के सौदों के लिये विस्तारपूर्वक बातचीत करने की आवश्यकता है। ये सौदे वस्तुओं की किस्म, कीमतों और दरों आदि पर निर्भर करते हैं और उनके लिये बाद में बातचीत की जायेगी। फिलहाल तो यही नजर आता है कि व्यापार पर्याप्त सीमा तक बढ़ जायेगा।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** इस नये करार के अधीन मुख्य रूप से कौन–कौन सी वस्तुएं निर्यात की जायेंगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** वे सभी मदें व्यापार करार में सम्मिलित हैं। करार की एक प्रति कुछ एक दिनों में सभा–पटल पर रख दी जायेगी। विदेशी व्यापार के महानिदेशक अभी परसों ही भारत वापिस आये हैं। हमने भी उस करार को कल ही देखा है। उसका अध्ययन करने के लिये मुझे कुछ समय की आवश्यकता है।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या धन की अदायगी रूपयों में की जायेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सभी अदायगियां रूपयों में की जायेगी और उसका भारतीय वस्तुएँ खरीदने के लिये प्रयोग किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लाइसेन्स देने में विलम्ब हो जाने के पूर्ववर्ती करारों का भी पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया गया था, क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय उस कठिनाई पर भी विचार करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** नहीं, उक्त कथन सत्य नहीं है। पर हां फिर भी कुछ पर कठिनाइयां थीं और उनके सम्बन्ध में बातचीत की गयी है ताकि अब व्यापार आसानी से चल सके।

'भारत–१९५८' प्रदर्शनी

+

†*११७. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री वी० चं० प्रधान :
श्री संगण्णा :
श्री सूपकार :
श्री राम कृष्ण : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 'भारत-१९५८' प्रदर्शनी के आयोजन पर कितना खर्च किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न स्टाल किराये पर देने से और प्रवेश टिकटों की बिक्री से कुल कितनी आय हुई है; और

(ग) क्या प्रदर्शनी की अवधि को दो मास तक और बढ़ा देने के सम्बन्ध में कोई परियोजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख), आय और व्यय के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति तो प्रदर्शनी के समाप्त हो जाने के बाद ही ज्ञात होगी। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में भाग लेने वाले विभिन्न सार्थों द्वारा किये गये खर्चों के अतिरिक्त प्रदर्शनी के आयोजन पर ५७ लाख रुपये खर्च किये गये थे जिनमें दीर्घ कालीन महत्व के विकास-कार्यों पर खर्च किये गये ३० लाख रुपय भी सम्मिलित हैं। अनुमानित कुल आय ४१ लाख रुपयों से कुछ अधिक होगी, जिनमें से ३५ लाख रुपयों से कुछ अधिक राशि प्रदर्शनी की भूमि के किराये के रूप में प्राप्त की जायगी। १५ नवम्बर, १९५८ तक २.४८ लाख रुपये प्रवेश टिकटों के शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रदर्शनी को १ जनवरी, १९५९ तक बढ़ा देने का निर्णय किया गया है।

†**श्री प्र० के० देव**: क्या प्रदर्शनी में भाग लेने वाली राज्य सरकारें और गैर-सरकारी फर्में भी खर्च पूरा करने में हाथ बटायेंगी। ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जहां तक खर्च में भाग बटाने के प्रश्न का सम्बन्ध है। उन्होंने प्रदर्शनी में अपने अपने लिये आंवटित भूमि के लिये किराये अदा किये हैं। उसके बाद उन्होंने खुली जगह पर अपने खर्च पर मण्डप लगाये हैं।

†**श्री प्र० के० देव**: क्या इस प्रकार की प्रदर्शनी हर वर्ष लगा करेगी और यदि हां तो क्या वह केवल दिल्ली में ही लगा करेगी या कि देश के विभिन्न भागों में भी लगा करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस प्रकार की इतनी बड़ी प्रदर्शनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं है। परन्तु समय समय पर देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार की प्रदर्शनियां होती ही रहती हैं।

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार इस प्रदर्शनी को विशेष कर रेलवे प्रदर्शनी को सारे देश में स्थान स्थान पर ले जाना सरकार के लिये संभव है ताकि वे लोग भी इससे लाभ उठा सकें जोकि प्रदर्शनी देखने के लिये दिल्ली नहीं आ सकते ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि माननीय सदस्य रेलवे प्रदर्शनी के सम्बन्ध में कह रहे हैं तो यह प्रश्न रेलवे मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये। रेलवे मंत्रालय की ओर से कई बार छोटी-छोटी प्रदर्शनियां होती रहती हैं जोकि विभिन्न स्थानों पर ले जाकर दिखायी जाती हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : बहुत से किसान और मजदूर प्रदर्शनी देखना चाहते हैं। क्या सरकार प्रदर्शनी के लिये किसानों तथा मजदूरों को कोई रेलवे रियायत देने के बारे में विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : रेलवे मंत्री का यह कहना है कि प्रदर्शनी में पहले ही बहुत भीड़-भाड़ है, उसके लिये लोग बाहर से भी आ रहे हैं। फिर भी यदि किसान और अन्य लोग रेलवे से टिकट में कुछ रियायत चाहते हैं, तो उसके लिये वे रेलवे मंत्री से इस बारे में प्रार्थना कर सकते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि लगभग १० लाख व्यक्ति प्रदर्शनी देख चुके हैं। परन्तु माननीय मंत्री ने बताया है कि केवल २.४८ लाख टिकट बिके हैं। इस अन्तर का क्या कारण है?

†**श्री लाल बहदुर शास्त्री** : २.४८ लाख टिकट नहीं बिके, २.४८ लाख रुपयों के टिकट बिके हैं।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि दिल्ली में अत्यधिक वर्षा होने के कारण प्रदर्शनी का उद्घाटन देर से हुआ था, और यदि हां, तो उस देरी से कितनी हानि हुई थी?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वास्तव में उसमें कोई खास देरी नहीं हुई थी। वर्षा के कारण केवल चार या पांच दिन की देरी हुई थी।

नौका यूनिटों[1] का बन्द किया जाना

†*११८. **श्री आसर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नौका यूनिटों को बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) जी, हां। रत्नगिरि और काकद्वीप के नौका यूनिटों को हाल ही में बन्द किया गया है; एरणाकुल्लम का यूनिट फिलहाल तो काम कर रहा है।

(ख) अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि इन दो नौका यूनिटों के द्वारा पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रचार करने का काम तब तक प्रभावकारी नहीं हो सकता जब तक कि इन नौकाओं को यंत्र द्वारा न चलाया जाये और जब तक उनमें अन्य आधुनिक आवश्यक उपकरण न लगाये जायें। परन्तु इस पर आनेवाले अतिरिक्त खर्च के लिये आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं थी, इसलिये उन यूनिटों को बन्द कर देना पड़ा।

†**श्री आसर** : इन नौका यूनिटों पर कुल कितना धन खर्च किया गया था?

†**डा० केसकर** : ठीक-ठीक राशि बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री आसर** : क्या इस सम्बन्ध में किसी और वैकल्पिक योजना को लागू करने के बारे में कोई प्रस्थापना है?

†**डा० केसकर** : फिलहाल तो और कोई योजना नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि ये देसी नौकायें बहुत से स्थानों पर जा नहीं सकतीं हैं, और फिर वर्ष में वे चार पांच महीनों तक मौसम के खराब होने के कारण चल भी नहीं सकतीं। अतः ये नौकायें मितव्ययी सिद्ध नहीं हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Boat Units.

भारतीय निर्यात

†*११९. श्री त्यागी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में भारत से निर्यात की गई वस्तुओं से लगभग ६० करोड़ रुपयों की कम कीमत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी कीमत कम प्राप्त हुई है और किन किन वस्तुओं के कारण कीमत में कमी हुई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी–अगस्त, १९५८ में ५९ करोड़ रुपयों की कमी हुई थी; सूती कपड़े, पटसन का धागा और उसकी वस्तुएं, मेंगनीज अयस्क, केस्टर आयल, कमाया हुआ चमड़ा और खालें तथा कच्ची ऊन।

†श्री त्यागी : छः मास में ५९ करोड़ रुपयों की कमी हुई है, तो साल भर में तो १०० करोड़ रुपयों की कमी हो गयी होगी।

†श्री कानूनगो : हमें इतना निराशावादी नहीं होना चाहिये ।

†श्री त्यागी : यदि एक वर्ष में १०० करोड़ रुपयों की कमी हो गयी है तब तो वास्तव में यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है । क्या यह कमी धीरे-धीरे हुई है या कि यह उस समय से होनी शुरू हुई है जब से कि मेरे मित्रों (सरकार) द्वारा व्यापार में हस्तक्षेप प्रारम्भ किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य को इस प्रकार से उद्विग्न नहीं होना चाहिये ।

†श्री त्यागी : क्यों नहीं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। वैसे तो पिछले कई महीनों से कमी हो रही थी, परन्तु जनवरी मास से तो यह कमी और अधिक बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक कमी कपड़े के निर्यात में हुई है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि गत कुछ मासों में वस्त्र उद्योग की स्थिति कितनी खराब रही है। मिलों में बहुत सा कपड़ा एकत्रित हो गया था और इसलिये वस्त्र उत्पादन की गति को कम कर दिया गया था। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि चीन जापान और जर्मनी में कपड़े की कीमतों की क्या स्थिति है। इस समय विश्व मार्केट में कपड़े के सम्बन्ध में जापान और चीन के कपड़े से हमें बड़ा भारी मुकाबला करना पड़ रहा है। इस समय चीनी वस्त्र की कीमतें जापानी वस्त्र की कीमतों से भी कम हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, हांगकांग आदि के बाजार चीनी व कपड़े से भरे पड़े हैं। अतः इन परिस्थितियों में हमारे लिये उनसे मुकाबला करना तब तक बड़ा कठिन है जब तक कि हम अपने कपड़ों की भी कीमतें न घटा दें। चीन में नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था है और उसकी ऐसी कीमतें निर्धारित हैं जिनका उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जापान कम से कम कीमतों पर कपड़ा निर्यात किया करता था, परन्तु अब उसके लिये भी चीनी कपड़े का मुकाबला करना असम्भव सा हो रहा है। फिर मेंगनीज अयस्क के निर्यात में भी कमी हो गयी है। अयस्क के सम्बन्ध में अब आस्ट्रेलिया मार्केट मे आ गया है और उनकी कीमत भी कम है। इसीलिये हम पर्याप्त मात्रा में मेंगनीज का भी निर्यात नहीं कर सके हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि टैक्सटाइल की एक्सपोर्ट में जो कमी हुई है, उसके और क्या क्या कारण हैं और जापन और चीन से जो कम्पीटीशन है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है?

श्री कानूनगो : पहले बताया गया है कि हमारी जो चीज है उसको हम सस्ती बेचने की कोशिश करते हैं और यह भी बताया गया है कि जो कीमत है उसी कीमत पर नई नई चीजें बना कर दूसरे दूसरे बाजारों में पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं माननीय मंत्री का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने उन परिस्थितियों को समझाने का प्रयत्न किया है जिनके कारण हमारे निर्यात व्यापार में इतनी अधकि कमी हुई है। परन्तु सिर्फ यह कह देना ही काफी नहीं है कि अमुक अमुक परिस्थितियों के कारण स्थिति बिगड़ी है, यह सच है कि चीन ने व्यापार में हम से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है, परन्तु प्रश्न यह है कि हमने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यवाही की है। केवल दूसरों को दोष नहीं दिया जा सकता। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि हमने इस सम्बन्ध में क्या क्या ठोस कार्यवाहियां की हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके सम्बन्ध में पूरी-पूरी जांच करना आवश्यक है। परन्तु जिस प्रकार से इस समय प्रश्नोत्तर चल रहे हैं उस प्रकार से यह समस्या हल नहीं की जा सकती। भविष्य में जब भी इस प्रकार के अवसर आयेंगे इस मामले पर अवश्य विचार किया जावेगा।

†**श्री त्यागी** : क्या निर्यात सम्बन्धी बताये गये इन आंकड़ों में गत वर्ष अमरीका को लगभग ३७ करोड़ रुपयों की भेजी गई चाँदी के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

†**श्री कानूनगो** : उसमें चाँदी सम्मिलित नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक चीन का सम्बन्ध है टैक्सटाइल्ज के मामले में बाजार में उसके आने की बात कई देशों के बारे में सही हो सकती है। लेकिन अफगानिस्तान और ईरान में तो चीन का कम्पीटीशन नहीं है। वहां पर क्यों हमारे माल की मांग नहीं बढ़ी है और क्यों वहां हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है?

श्री कानूनगो: जापान, वेंस्ट जर्मनी और चीन का कम्पीटीशन सारे यूरोप में है। वहां भी है।

श्री रघुनाथ सिंह : अफगानिस्तान और ईरान का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर चीन से कोई कम्पीटीशन नहीं है।

श्री कानूनगो : यू० एस० एस० आर० का वहां है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं तो केवल यही बताना चाहता था कि हमें स्थिति के सम्बन्ध में पूरा-पूरा ज्ञान है और हम निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में पूरी-पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। हमने हाल ही में वस्त्र उद्योग को कर सम्बन्धी कुछ रियायत देने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किए हैं और उनके सम्बन्ध में घोषणा भी कर दी है। आज ही बम्बई से मुझे यह सूचना मिली है कि इन रियायतों के कारण कपड़े का निर्यात सम्भवतः बहुत अधिक बढ़ जायगा। हमने इस माले पर विचार करने के लिए समितियां नियुक्त की हैं और हाल ही में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधि विदेशों के दौरे पर गए हैं, अभी भी विदेशों में हैं और निर्यात की मात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम अन्य कार्यवाहियां भी कर रहे हैं। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने बताया है हम इन सभी बातों पर इसी समय विचार नहीं कर सकते यदि आप आवश्यक समझें तो इस मामले पर सभा में चर्चा भी की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हाँ, इस पर चर्चा की जा सकती है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सभी बातें चर्चा के द्वारा पूछी जा सकती है।

भिलाई में विस्थापित व्यक्ति

†*१२०. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री ११ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तन से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों को भिलाई के निकट पुनः बसाने की योजना के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है और;

(ख) इस योजना से कितने व्यक्तियों को पुनः बसाया जा सकेगा।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). यह नियर्ण किया गया है कि इन योजनाओं को छोड़ दिया जाए।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इन योजनाओं को प्रारम्भ करने के बाद बीच में ही क्यों इन्हें छोड़ दिया है।

†**श्री पू० शें० नास्कर** : हमने इन योजनाओं को इसलिए छोड़ने का विचार किया है क्योंकि इनके सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई निश्चित योजना प्राप्त नहीं हुई थी।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या यह योजनाएं पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से मांगी गई थीं अथवा मध्य प्रदेश सरकार से जहां कि भिलाई स्थापित है?

†**श्री पू० शें० नास्कर** : इस प्रश्न का सम्बन्ध ११ अगस्त को पूछे गए एक प्रश्न के सम्बन्ध में है जिसमें हमने बताया था कि एक डेरी फार्म बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक कोई निश्चित योजना प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या दण्डकारण्य योजना पर इतना अधिक जोर देने के उपरान्त सरकार द्वारा शरणार्थियों के अन्य राज्यों में भेजे जाने से सम्बन्धित सभी योजनाएं समाप्त कर दी जायेंगी और उन शरणार्थियों को भी दण्डकारण्य भेज दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पू० शें० नास्कर : जी नहीं, दण्डकारण्य के अतिरिक्त अन्य योजनाएं भी हैं और हम उन योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या यह एक राज्य योजना है या कि केन्द्रीय योजना। यदि यह एक केन्द्रीय योजना है तो फिर सरकार ने इसे प्रारम्भ करने के बाद बीच में ही किन-किन विशेष कारणों से छोड़ दिया है।

†श्री पू० शें० नास्कर : यह योजनायें केन्द्रीय योजनायें नहीं हैं। इन योजनाओं को राज्य सरकार को ही कार्यान्वित करना है क्योंकि सरकार को इसके लिए भूमि का अधिक ग्रहण करना था।

डालमिया व्यापार संस्थाओं के सम्बन्ध में जांच

+

†*१२१. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमिया व्यापार संस्थाओं के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या क्या हैं।

(ग) प्रतिवेदन में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है; और

(घ) क्या डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड का मामला भी आयोग को सौंपा गया था।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) जांच आयोग ने हाल ही में डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड को भी जांच के क्षेत्र में सम्मिलित कर देने का निर्णय किया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : जांच आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा।

†श्री सतीश चन्द्र : कोई निश्चित तिथि तो निर्धारित करना बड़ा कठिन है। यह एक अर्धन्यायिक प्रकार की एक उलझनपूर्ण जांच है। आयोग की अवधि सितम्बर १६५६ के अंत तक है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : डालमियां संस्था द्वारा चलाई जा रही कुछ एक कोयले की खानें अब बंद हो गईं, क्या उनका मामला भी आयोग को सौंपा जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस सम्बन्ध में आयोग को सुझाव दिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह आयोग डालमिया के विभिन्न उपक्रमों विशेषकर डालमिया नगर में चलाए जा रहे उपक्रमों की भी जांच करेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रारम्भ में मूल रूप से ९ कम्पनियों का मामला आयोग को सौंपा गया था। अब एक दसवीं कम्पनी डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी का मामला भी सौंप दिया गया है। डालमियां नगर के उपक्रम जांच के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि यह जांच तो इन कम्पनियों के कुछ एक वित्तीय लेनदेन के सम्बन्ध में की जा रही है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो वे उसके सम्बन्ध में आयोग को लिख सकते हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या वे सम्मिलित कर लिए जाएंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई माननीय सदस्य किसी और सार्थ को भी जांच में सम्मिलित करना चाहते हैं तो उन्हें इस सम्बन्ध में सरकार या आयोग से लिखा पढ़ी करनी चाहिये।

†**श्री सतीश चन्द्र** : आयोग के निर्देश पदों के अन्तर्गत एक ऐसा खण्ड है कि यदि डालमिया ग्रुप की किसी और कम्पनी में होने वाली वित्तीय अनियमितता क सम्बन्ध में ज्ञात हुआ तो उसे भी जांच के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक आयोग को लिख सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

योजना आयोग के सचिव

†१०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग में सचिव पूरे समय के लिये नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) केबिनेट के सचिव ही योजना आयोग के सचिव हैं। यह व्यवस्था १९५० में आयोग की स्थापना काल से ही चालू है। इसका उद्देश्य यह है कि केबिनेट और योजना आयोग में सम्पर्क रहे और समन्वय की भावना बनी रहे। केबिनेट सचिव को योजना आयोग के सम्बन्ध में अनेक कार्यों से भारयुक्त करने के अभिप्राय से एक अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप सचिव का अधिकांश कार्य पूरे समय के लिये नियुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त सचिव करेंगे और केबिनेट सचिव का आयोग के कार्य से सम्बन्ध भी बना रहेगा।

गीला अभ्रक

†१०६. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विदेशों से गीला अभ्रक आयात करता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके आयात पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि गीला अभ्रक हिमाचल प्रदेश के प्रायः सभी स्थानों पर उपलब्ध है ; और

(घ) क्या देश में यह उद्योग आरम्भ करने और विदेशी मुद्रा बचाने का सरकार का विचार है।

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

(क) और (ख). गीले और सूखे पिसे हुए अभ्रक के विदेशों से हुए आयात के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले तीन सालों में आयातित पिसे हुए अभ्रक के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	मूल्य (हजार रु० में)
१९५६	१०१
१९५७	२९८
१९५८ (जन०—अगस्त १९५८)	१५

(ग) गीला अभ्रक अभ्रक का एक उत्पादन है और वह प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता।

(घ) राजस्थान सरकार गीला अभ्रक पीसने का कारखाना लगाने की एक योजना पर गौर कर रही है।

भारत सरकार के लिये निर्मित भवन

†**१०८. श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सहायता से गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा नई दिल्ली और दिल्ली में भारत सरकार के लिये बनाई जाने वाली इमारतों की कुल संख्या १५ अगस्त, १९५८ को कितनी थी; और

(ख) गैर सरकारी ठेकेदारों को दिल्ली और नई दिल्ली में भारत सरकार के लिये कुल कितनी लागत का ऐसा काम सौंपा गया था जो उपरोक्त तिथि को पूरा होने से रह गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) ८६०८ ।

(ख) लगभग ७.८ करोड़ रुपये।

प्याज का निर्यात

†*११६. **श्री मधु सूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और विशाखापत्तनम बन्दरगाहों से मलाया और सिंगापुर को कितने प्याज का निर्यात किया जा सकता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आज कल कितने स्टीमर इस काम को कर रहे हैं ;

(ग) क्या प्याज के व्यवसाय को दृष्टि में रखते हुए स्टीमरों की क्षमता पर्याप्त हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार मोजूदा एजेंटों को इस बात पर तैयार करने का विचार रखती है कि वे अधिक क्षमता वाले जहाज चलायें और अन्य मार्गों पर चलने वाले स्टीमरों को मलाया प्याज ले जाने की अनुमति दें ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) विभिन्न राज्यों की उत्पादन और खपत सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रख कर समय-समय पर निर्यात कोटा निश्चित किया जाता है। जनवरी–दिसम्बर, १९५७ की अवधि में मद्रास से मलाया और सिंगापुर के लिये ७,४५१ टन प्याज का निर्यात किया गया था और १९५८ में दस महीने की अवधि में १४,१६४ टन का निर्यात हुआ था।

(ख) मद्रास से दो स्टीमर चल रहे है।

(ग) मद्रास से जाने वाले स्टीमर की भार–क्षमता अपर्याप्त बताई गई है।

प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के सम्बन्ध में, जहाँ तक विशाखपत्तनम बन्दर–गाह से इसका सम्बन्ध है, अभी जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) विशाखपत्तनम के बारे में स्थिति का निर्धारण करने के पश्चात् सरकार इस प्रश्न के सम्पूर्ण पहलुओं का पुनः परीक्षण करेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन

†*१२२. **श्री रामकृष्ण :**
श्री प० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के त्रिमासीय सैशन की कार्यावली में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को प्रतिनिधित्व दिलाने का विषय सम्मिलित कराने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) इन प्रयत्नों के परिणाम क्या हुए हैं ।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने "संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधित्व का प्रश्न" नामक विषय पर चर्चा करने का सुझाव दिया था । जब महासमिति में कार्य सूची पर चर्चा हो रही थी तो अमेरिका ने एक प्रारूप संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की प्रार्थना को रद्द करने एवं चालू सैशन में इस प्रश्न पर चर्चा न करने के लिये कहा गया था । अमेरीकी संकल्प सामान्य समिति और बाद में महासमिति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया । हमने अपने विचार अत्यंत स्पष्ट रूप में तथा सर्वांगीण ढंग से प्रस्तुत किये थे ; इस विषय पर श्री कृष्ण मेनन के भाषण की प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

रोजगार दिलाने की योजनायें

†*१२३. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बर्मन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठ राज्यों में युवक रोजगार सेवा और रोजगार परामर्श सेवा प्रारम्भ की गई हैं ;

(ख) क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी इस योजना के लिये अभी तक अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं ;

(घ) प्रत्येक राज्य में इस योजना का संचालन करने के लिये केन्द्रीय सरकार पर क्या वित्तीय आभार हैं ; और

(ङ) दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ में इस योजना को संचालित करने का क्या परिणाम हुआ है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां, मैसूर राज्य के अतिरिक्त ।

(घ) रोजगार सम्बन्धी सेवा के अन्य सब एककों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ६० प्रतिशत खर्च उठाती है ।

(ङ) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४८]

खनन बोर्ड

†*१२४. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या खनन अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अधीन मैसूर राज्य के लिये खनन बोर्ड की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) बोर्ड की स्थापना के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादिता दल[1]

†*१२५. **श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को भेजे जाने वाले उत्पादिता दलों के सदस्यों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कोई दल बनाये गये हैं और ये दल किन किन स्थानों का दौरा करेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). विदेशों को भेजे जाने वाले दलों के सदस्यों के चुनाव का प्रश्न राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के विचाराधीन है ।

कीसिंग[2] (उड़ीसा) में कागज की मिल

†*१२६. **श्री प्र० के० देव:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कीसिंग में कागज मिल की स्थापना की क्या प्रगति है ; और

(ख) कागज का उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) मशीनें सप्लाई करने के लिये फर्म ने विदेशी निर्माताओं के साथ व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में जो अस्थगित भुगतान की शर्तें मिली हैं उन पर सरकार विचार कर रही है । यह भी मालूम हुआ है कि उड़ीसा सरकार फैक्टरी के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिये कदम उठा रही है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है ।

(ख) यदि सरकार ने अस्थगित भुगतान की शर्तें स्वीकार कर लीं तो ३ वर्ष की अवधि में उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ।

आकाशवाणी का गवेषणा विभाग

†*१२७. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के गवेषणा विभाग ने एक ऐसा रेडियो बनाया है जो बिना बिजली के काम करता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे व्यावसायिक आधार पर उत्पादन करने की कोई कोशिश की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) जी हां ।

(ख) इस रेडियो के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी टेक्नीकल साहित्य में उपलब्ध है किन्तु इस की सीमित मांग को दृष्टिगत करते हुए कहीं पर इसका निर्माण नहीं हुआ है । रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से बना सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Productivity Teams.

[2]Kesinga.

अखबारी कागज का कारखाना (न्यूजप्रिंट फैक्टरी)

†*१२८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री मधुसूदन राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से अख्बारी कागज का कारखाना (न्यूजप्रिंट फैक्टरी) की स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गई है ।

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या प्रस्तावित फैक्टरी से सम्बन्धित सिविल इंजीनीयरिंग कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(घ) क्या उद्योग में प्रशिक्षण के लिये भारतीय इंजीनीयर पश्चिम जर्मनी भेजे गये हैं ; और

(ङ) यह फैक्टरी उत्पादन कब प्रारम्भ करेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) जैसा मैंने ९ सितम्बर, १९५८ के उत्तर में बताया था राज्य सरकार पर केवल भूमि सवक्षण का उत्तरदायित्व था । कोई और सिविल इंजीनीयरिंग कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कच्ची फिल्में बनाने वाली फैक्टरी

†*१२९. श्री राम कृष्ण :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री केशव :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मत्री २५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी जर्मनी की फर्म के सहयोग से कच्ची फिल्म की फैक्टरी स्थापित करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सहयोग प्राप्त करने की वार्ता जारी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फौजदारी अदालतों में निष्क्रांत व्यक्तियों द्वारा जमा की गई राशि

†१५९. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच फौजदारी अदालतों में निष्क्रांत व्यक्तियों द्वारा जमा की गई राशि के हस्तान्तरण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : इस विषय के अन्तिम प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसके बाद आगे कोई प्रगति नहीं हुई है ।

द्वितीय योजना में उड़ीसा में खाद्य उत्पादन

†१६०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना आयोग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें स्वीकार की गई हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित योजनाय स्वीकार की गई हैं :—

योजनायें

१. छोटी सिंचाई :

१. नलकूप
२. छोटी सिंचाई योजना

२. खाद्य तथा उर्वरक :

१. हड्डी के चूरे की खाद का निर्माण (बोन डाइजेस्टर्स का संभरण)
२. हड्डी के चूरे की खाद का वितरण
३. सुपर फासफेट का वितरण
४. हरी खाद के बीज
५. शहद की कम्पोस्ट (खाद)
६. जल नीलारुणा कम्पोस्ट (खाद)[1]
७. स्थानीय खाद संसाधन (मल सहित)
८. बीज की खाद को लाने ले जाने के लिये गाड़ियों का संधारण

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Water Hyacinth Manure.

३. **बीज सम्बन्धी योजनायें :**

१. बीज के फार्म
२. धान के बीज का वितरण
३. गेहूं के बीज का वितरण
४. चने के बीज का वितरण
५. जुआर, बाजरे आदि के बीज का वितरण
६. दाल तथा अन्य बीजों का वितरण
७. आलू के बीज का वितरण

४. **भूमि विकास :**

१. चिलका नहर के आस-पास भूमि का कृष्यकरण और ट्रैक्टरों का किराये पर उठाया जाना

५. **खेती की सुधारी गई पद्धतियां :**

१. पौधा संरक्षण
२. धान की खेती का जापानी ढंग

६. **अन्य योजनायें :**

१. कृषि सम्बन्धी उपकरणों को किराये पर देना
२. कृषि की मशीनों के लिये ऋण की मंजूरी

७. **बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनायें :**

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना से जारी योजनायें

१. हीराकुड (पहली अवस्था)
२. महानदी डेलटा सिंचाई योजना

(ख) नवीन योजनायें

३. सालन्दी
४. सालकी
५. रायगढ़
६. दर्जांग
७. बुधिजुधियानी
८. सलिया
९. गदा हेडो/रामनदी
१०. धानई

अमरीकी देशों में भारतीय

†१६१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी देशों में भारतीयों की कुल संख्या देशवार कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अमरीकी देशों में आजकल रहने वाले भारतीय रंगभेद के शिकार हैं ; और

(ग) क्या इन देशों में भारतीयों का जीवन स्तर वहां की स्थिति के अनुकूल है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) अमेरिका के देशों में भारतीयों की संख्या के बारे में हमारी जानकारी इस प्रकार है :—

कनाडा	भारतीय उद्भव के ३००० व्यक्ति जो कनाडा के नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त लगभग ७५० भारतीय और हैं जिनमें से अधिकांश वहां के नागरिक घोषित किये जाने वाले हैं।
अमेरिका	भारतीय उद्भव के लगभग ५००० व्यक्ति। लगभग २००० व्यक्ति पश्चिमी राज्यों में रहते हैं— अधिकांश कैलेफोर्निया में हैं और बहुत से व्यक्ति अमेरिका के नागरिक बन गये हैं।
मैक्सिको	लगभग १२ व्यक्ति ; १० व्यक्ति मैक्सिको में ही बस गये हैं।
क्यूबा	लगभग २३ व्यक्ति
अर्जेन्टीना	लगभग २५० व्यक्ति
ब्राजील	लगभग ६० व्यक्ति

अमेरिका के अन्य देशों के बारे में विश्वस्त जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमारे उनसे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं अथवा यह सम्बन्ध हाल ही में स्थापित किये गये हैं।

(ख) जिन देशों के बारे में आंकड़े दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में भारत सरकार को ऐसे किन्हीं कानूनों की जानकारी नहीं है कि वहां भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ रंगभेद का व्यवहार किया जाता है। कभी-कभी कुछ लोगों को भेद पूर्ण नीति का शिकार इसलिये होना पड़ता है कि उनके उद्भव के बारे में भूल हो जाती है।

(ग) सामान्यतया, भारतीयों का जीवन स्तर वहां रहने वाले समकक्षी आय वाले व्यक्तियों के समान ही है।

कुटीर उद्योग

†१६२. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पंजाब राज्य द्वारा सहकारिता के आधार पर कितने कुटीर उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं ; और

(ख) गांवों में कितनी धाणियां हैं और वह कहां-कहां स्थित हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सहकारी समितियां और गांवों में धाणियों के केन्द्र बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]।

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क

†१६३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में महेन्द्र गढ़ जिले के नारनौल टेलही में स्थित खानों से प्राप्त लोह अयस्क किन-किन देशों को भेजा जाता है ; और

(ख) इन खानों से निर्यात की गई लौह अयस्क की मात्रा (वर्ष वार) कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) पंजाब में महेन्द्रगढ़ जिले के नारनौल टेलही से लौह अयस्क का निर्यात इसलिये नहीं किया जा सका कि इसमें फासफोरस की अधिकता के साथ ही यह स्थान पत्तन से बहुत दूर है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

गवेषणा कार्यक्रम और मूल्यांकन समिति

†१६४. **श्री नागी रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम मूल्यांकन समिति ने सिंचाई परियोजनाओं के गहन सर्वेक्षण के लिये यदि किन्हीं राज्यों और परियोजनाओं को चुना है तो वे क्या-क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ; और

(ग) सर्वेक्षण के संभावित परिणाम की क्या तारीख है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) :** (क) गवेषणा कार्यक्रम समिति के माध्यम से योजना आयोग ने उन सिचाई योजनाओं के अध्ययन की व्यवस्था की है जो पर्याप्त समय से अर्थात् २० वर्ष या इससे अधिक समय से चल रहे हैं। अध्ययन के लिये छः परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है और उनका चुनाव इसलिये किया गया है कि निम्न प्रत्येक देश में कम से कम एक का उपबन्ध हो। चुनी हुई परियोजनाएं और जिन राज्यों में यह स्थित हैं वे प्रदेश के सामने बताई गई हैं :

प्रदेश	परियोजना/राज्य
१. पंजाब और उत्तर प्रदेश	शाहदरा नहर (उत्तर प्रदेश)
२. पश्चिम बंगाल, बिहार	(१) त्रिवेणी नहर (बिहार) (२) दामोदर नहर (पश्चिम बंगाल)
३. दक्षिण प्रदेश—तटवर्ती	कावेरी मैसूर परियोजना (मद्रास)
४. दक्षिण प्रदेश—प्लेटो	निजाम सागर परियोजना (आंध्र प्रदेश)
५. राजस्थान और मध्य प्रदेश	गंग नहर (राजस्थान)

(ख) क्षेत्रीय जांच नवम्बर में प्रारम्भ होने की आशा है। कुछ प्रारम्भिक कार्य दामोदर नहर में पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ग) यह अध्ययन १९५९ के अन्त तक अर्थात् क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के छः महीने बाद पूरा होने की आशा है।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों की वित्तीय सहायता

†१६५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छोटे पैमाने के उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा अभी तक प्रदत्त वित्तीय सहायता से लाभ हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये हाल ही में कुछ और योजनाओं का अनुमोदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट, १, अनुबन्ध संख्या ५०**]।

उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर

†१६६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में १ जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक पंजीकृत आवेदनकर्ताओं की कुल कितनी संख्या है ; और

(ख) इन में से कितने व्यक्तियों के लिये रोजगार का उपबन्ध किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३८,४७१।

(ख) ४,७४३.

स्थानीय विकास निर्माण कार्य

†१६७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय विकास निर्माण के लिये १९५७–५८ में उड़ीसा सरकार को कितनी निधि आवंटित की गई है और कितनी उन्होंने प्रयुक्त की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये १९५७–५८ में उड़ीसा सरकार को २२ लाख ३४ हजार रुपये आवंटित किये गये थे। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय अनुदानों के रूप में इस वर्ष ११.०८ लाख रुपये खर्च हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के लिये अम्बर चरखा

१६८. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष १९५८–५९ में अम्बर चरखे के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी धन राशि की मांग की है ;

(ख) कितनी धन राशि मंजूर की गई ;

(ग) वर्ष १९५८–५९ में उत्तर प्रदेश को कुल कितने अम्बर चरखे दिये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ने राज्य सरकार को अस्थायी तौर

†मूल अंग्रेजी में

पर ६.०४ लाख रु० अनुदान और १०.३५ लाख रु० ऋण के रूप में देना तय किया है जिससे १९५८–५९ में अम्बर चरखा कार्य-क्रम अमल में लाया जा सके। कमीशन अभी तक राज्य सरकार को ९३,४५० रु० अनुदान तथा ३,३३,००० रु० ऋण के रूप में दे चुका है।

(ग) चालू साल में ३,००० अम्बर चरखे राज्य सरकार को अलाट किये गये हैं।

खादी सहकारी समितियां

१६९. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी खादी सहकारी समितियां काम कर रही है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ऐसी समितियों को किस प्रकार की सहायता दे रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में कमीशन से प्रमाणित सात खादी सहकारी समितियां काम कर रही हैं।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन इन समितियों को ऋण तथा अनुदान देकर वित्तीय सहायता करता है। ऋण संचालन पूंजी, हिस्सा पूंजी और रूई खरीदने के लिये होते हैं और अनुदान एवं आर्थिक सहायता खादी के उत्पादन तथा बिक्री के लिये, प्रदर्शनियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि करने के लिये दी जाती हैं। खादी उद्योग के विकास के लिये सहकारी समितियों को और रूपों में भी (जैसे ट्रेनिंग देने, बिक्री व्यवस्था करने और टैक्नीकल) सहायता दी जाती है।

उड़ीसा का औद्योगिक विकास

†१७०. **श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के औद्योगिक विकास के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). आश्वासन क्रियान्वित करने के लिये जानकारी संसद्-कार्य विभाग के पास यथा समय लोक सभा के पटल पर रखने के लिये भेज दी गई है।

काम दिलाऊ दफ्तर

†१७१. **श्री कुम्भार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में १९५७ और १९५८ में अब तक कुल कितने अनुसूचित जातियों के आवेदकों ने अपने नाम लिखाये ; और

(ख) उनमें से कितने आवेदकों के लिये रोजगार का प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) .यह जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष/अवधि	नाम लिखाने वालों की संख्या	रोजगार पाने वालों की संख्या
१	२	३
१९५७	१,९३,६८१	२७,३७२
१९५८ (जन०—सित०)	१,९३,०७१	२६,४५२

गांधी समाधि का निर्माण

†१७२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी की समाधि के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप प्रदान करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: अनुमोदित नमूने का शिल्पी कार्य के प्रथम चरण के लिये ब्यौरा वार योजनायें तैयार कर रहा है। आशा है कि ये योजनायें फरवरी, १९५९ में किसी समय सरकार को उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

प्रिटोरिया में भारतीय

†१७३. **श्री दी० चं० शर्मा ।**
श्री रघुनाथ सिंह ।

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अखबारों में इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि प्रिटोरिया में रहने वाले भारतीय, जो अब तक "आत्म-निर्भर हो चुके हैं", समूह क्षेत्र अधिनियम[1] के अधीन पूर्णत: कंगाल और निराश्रित बन जायेंगे जिसमें स्त्री-पुरुष बच्चों सभी को बड़ी कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां, हमने यह खबरें देखी हैं ।

(ख) इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में उठाया जा रहा है। यही ऐसा एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Group Areas Act.

कपड़ा मिलें

†१७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल बन्द कर देने का नोटिस दे देने के पश्चात् भारत की कितनी कपड़ा मिलों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है ;

(ख) ये मिलें किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ग) मिल बन्द करने के नोटिस की अवधि समाप्त होने पर कितनी मिलों ने फिर से काम करना आरम्भ नहीं किया है ;

(घ) ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ; और

(ङ) बन्द मिलों को चालू कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या वह क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). १-१-५८ से ४-११-५८ तक कुल मिलाकर २२ कपड़ा मिलों ने मिल बन्द कराने के नोटिस दिये थे लेकिन उन्होंने बाद में नोटिस वापस लेकर कार्य जारी रखा । इन मिलों के नाम और उनके स्थानों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) और (घ). इसी अवधि में २० कपड़ा मिलें अन्तिम रूप से बन्द हो गयीं । इन मिलों के नाम और स्थानों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]** ।

[इन बीस मिलों में से दो ने हाल ही में पुनः कार्य आरम्भ कर दिया है]

(ङ) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]** ।

फोटोग्राफी का सामान

†१७५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री केशव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४७ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में फोटोग्राफी के सामान और ३५ मिलीमीटर की पट्टी वाली फिल्मों के प्रक्षेपकों[1] के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]35 m.m. Film Strip Projectors

श्रमिक समितियां

†१७६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोद हंसदा :
श्री बर्मन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की श्रमिक समितियों के कार्य कलाप की जांच करने के लिये प्रस्तावित अध्ययन दल नियुक्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) . अध्ययन-दल अभी नियुक्त नहीं किया गया है। यह विषय अभी विचाराधीन है।

फिल्मों के लिये निर्यात संवर्द्धन समिति

†१७७. **श्री रामकृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्मों के लिये एक निर्यात संवर्द्धन समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : फिल्मों के लिये, निर्यात संवर्द्धन समिति नियुक्त करने का कार्य अब पूरा होने ही वाला है। समिति की बैठक शीघ्र ही बुलायी जा रही है।

नमक उद्योग

†१७८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामकृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नमक उद्योग के कार्य के ढंग की जांच करने और उसके विकास के लिये कार्यवाही का सुझाव देने के लिये नौ व्यक्तियों की जो समिति नियुक्त की गयी थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में उसने किन-किन स्थानों का दौरा किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उन्होंने पश्चिमी बंगाल के अविकसित सुन्दरबन क्षेत्र का दौरा किया था ; और

(ङ) इस समिति पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी हां। हाल ही में मिलने के कारण यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता और कन्टाई और उड़ीसा में हुम्मा और सुमादिका।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) समिति के सदस्यों के यात्रा व्यय के रूप में अब तक ११,८७५,·३६ रुपये का खर्च आया है ।

सोंठ

१७९. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत प्रतिवर्ष कुल कितनी सोंठ निर्यात करता है ;

(ख) क्या इस निर्यात से संसार की इस वस्तु की मांग पूरी हो जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने सोंठ का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) भारत से कैलेण्डर वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में क्रमशः ५६,२४९ हंडरवेट १,१३,९०८ हंडरवेट और १,७८,६५५ हंडरवेट सोंठ का निर्यात किया गया।

(ख) इस वस्तु की संसार की अधिकांश मांग भारत से होने वाले निर्यात से पूरी होती है। बाकी मांग संसार के दो अन्य सोंठ उत्पादक देश जमैका और सिरालियोन पूरी करते हैं ।

(ग) सोंठ का वर्तमान उत्पादन ३ लाख हंडरवेट प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। यह उत्पादन देश की आन्तरिक तथा बाहरी मांग पूरी करने के लिये बहुत काफी है ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों का ऋण

१८०. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने किन-किन उद्योगों के लिये ऋण दिये हैं ;

(ख) वर्ष १९५२ और १९५८ के बीच वर्षानुसार कितना-कितना ऋण दिया गया ;

(ग) क्या ये ऋण नियत कालावधि में लौटा दिये जाते हैं ; और

(घ) ऋण न चुकाने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (घ). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से यह जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रोजगार के अवसर

†१८१. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की १९५९–६० की अवधि में कुल कितने व्यक्तियों के रोजगार में लगे रहने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ;।

भोपाल का बिजली के भारी उपकरणों का कारखाना

†१८२. { **श्री रामकृष्ण :**
श्री पद्म देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल में बिजली के भारी उपकरणों के कारखानों की स्थापना में और कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या काम निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ; और

(ग) यह योजना अन्तिम रूप से किस तारीख तक पूरी हो जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) २७ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर में इस परियोजना की प्रगति के बारे में जो जानकारी दी जा चुकी है उस से अधिक कहने को अभी विशेष कुछ नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) आशा है इस परियोजना का प्रथम चरण जून १९६० तक पूरा हो जायेगा और तब इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

भारत-ल्हासा राजपथ पर यातायात

†१८४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने अक्तूबर १९५८ में भारत-ल्हासा राजपथ पर सभी वाणिज्यिक यातायात बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या तब से वाणिज्यिक यातायात पुनः चालू हो गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). चीन के तिब्बत क्षेत्र की आन्तरिक दशा के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कुछ भी विश्वसनीय जानकारी नहीं है । जहां तक उन्हें पता है भारत और तिब्बत के बीच जो व्यापार हुआ करता था उस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । इस सड़क पर यातायात अक्सर कुछ दिनों के लिये बन्द हो जाया करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर जामबाद कोलियरी (कोयला खान)[1]

†१८६. **श्री प्र० चं० बोस :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगंज कोयला-खान क्षेत्र की उत्तर जामबाद कोलियरी (कोयला खान) में कुछ कोलियरी श्रमिक अपनी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ ६ अक्तूबर, १९५८ को गिरफ्तार कर लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का क्या कारण है ; और

(ग) क्या इस विवाद को सुलझाने का कोई प्रयास किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) कोलियरी के अहाते में कुछ हिंसात्मक उपद्रवों के सिलसिले में पुलिस ने ३ अक्तूबर, १९५८ को २३ श्रमिकों और २ बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तर कर लिया था।

(ख) और (ग). श्रमिकों ने अपनी मजूरी, बोनस और अन्य लाभों के भुगतान में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में कई शिकायतें पेश की थीं। धनबाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के हस्तक्षेप करने पर कोलियरी के प्रबन्धक और श्रमिकों के प्रतिनिधि इन शिकायतों पर संयुक्त रूप से बातचीत करने के लिये राजी हो गये हैं।

उड़ीसा में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

†१८७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकानों की समस्या की गम्भीरता का पता चलाने के लिये कोई विशेष सवक्षण कराया था ; और

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के रहने के लिये उड़ीसा में अब तक कुल कितने मकानों का निर्माण हुआ है।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) घरों की समस्या की गम्भीरता का पता चलाने के लिये उड़ीसा सरकार एक विशेष सवक्षण करा रही है।

(ख) ३६६१।

कागज मिलें

†१८८. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन २२ नयी कागज मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं उनमें से अब तक कितनी मिलों में कार्य आरम्भ कर दिया गया है और ये किन-किन स्थानों पर हैं ;

(ख) क्या किसी लाइसेंस-प्राप्त मिल ने उत्पादन भी आरम्भ किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] North Jambad Colliery.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). २२ नये उपक्रमों से निम्नलिखित चार मिलों ने परीक्षण के लिये उत्पादन आरम्भ किया है :—

नाम	स्थान
१. मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता .	भोपाल (मध्य प्रदेश)
२. मेसर्स पदमजी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई—१ . . .	कोपोली, जिला कोलाबा (बम्बई)
३. श्री पी० के० पटेल के०/आर० श्री सी० एम० शेठ, ६/६९९ सैलून बाजार, नादियाड	नादियाड (बम्बई)
४. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, बम्बई .	डांडेली, जिला उत्तरी कनारा (मैसूर राज्य)।

दिल्ली रेस-कोर्स क्लब

†**१८९. श्री राम कृष्ण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से दिल्ली रेस-कोर्स क्लब की भूमिका किसी अन्य सार्वजनिक कार्य के लिये उपयोग करने का प्रस्ताव तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां तो इन प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चण्दा)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†**१९०. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी में हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के विस्तार की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) माननीय सदस्य का प्रयोजन शायद पिम्परी में स्ट्रैप्टोमाइसिन का निर्माण करने की योजना से है। परामर्शदातृ सेवा प्राप्त करने के लिये अमरीका की मेसर्स मर्क एंड कम्पनी से एक करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं। विदेशों से मंगायी जाने वाली और देशी स्रोतों से प्राप्त की जाने वाली मशीनों और उपकरणों और उपकरणों की सूची अमरीकी फर्म के परामर्श से बना ली गयी है। आशा है कि टेंडर भी शीघ्र ही मांग लिये जायेंगे।

(ख) इस योजना के अनुसार प्रतिवर्ष ४०,०००/ ४५,००० किलोग्राम (४०/४५ टन) स्ट्रैप्टोमाइसिन और डाइहाइड्रो-स्ट्रैप्टोमाइसिन का उत्पादन होगा। इसकी लागत लगभग १७० लाख रुपये होगी जिसमें से लगभग ९१ लाख रुपये विदेशी मुद्राओं के रूप में होंगे। आशा है कि यह १९६०–६१ में पूरी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†१९१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायणपुर की हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के विस्तार की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उस की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड की विस्तार योजना में नयी मद के रूप में प्रतिवर्ष ३०० मील लम्बे कोक्सियल केबुलों[1] के निर्माण का विचार है । इस विस्तार की प्राक्कलित लागत ८२ लाख रुपये है । इसमें ५० लाख रुपये का व्यय तो सरकार से ऋण ले कर पूरा किया जायेगा और शेष कम्पनी स्वयं अपने संसाधनों से पूरा करेगी।

उत्पादन अप्रैल, १९६० में आरम्भ हो जाने की आशा है । योजना इस ढंग से बनायी गयी है कि पहले ही वर्ष में पूर्ण क्षमता के बराबर उत्पादन होने लगे । आशा है कि वार्षिक उत्पादन की कीमत ७० लाख रुपये होगी और इससे लगभग ५० लाख रुपये की विदेशी मुद्राओं की बचत होने लगेगी ।

एक करार के अनुसार इस कम्पनी के प्रविधिक परामर्शदाता ब्रिटेन के मेसर्स स्टैण्डर्ड टेलीफोन्स एण्ड केबल्स लिमिटेड ही इस विस्तार योजना के लिये भी प्रविधिक परामर्शदाता है । इस विस्तार योजना के लिये मुख्य करार के अनुरूप ही एक अनुपूरक करार करलेने का विचार है ।

परिवहन कर्मचारियों के लिये विधान

†१९२. **श्री राम कृष्ण :**
श्री कोडियान :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३७ के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों को विनियमित करने के लिये विधान बनाने का प्रश्न इस समय किस अवस्था में है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : स्थायी श्रम समिति ने २८ और २९ अक्तूबर, १९५८ को बम्बई में हुए अपने १७वें अधिवेशन में इस मसले पर विचार किया था। काम के घंटों, काम के घन्टों को फैलाने और ओवरटाइम काम के लिये भुगतान के विषय में कोई समझौता न हो सकने के कारण यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय सरकार इस पर आगे विचार करे। इसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

जापान को भारतीय वस्तुओं का निर्यात

†१९३. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान लौह अयस्क के अलावा अन्य भारतीय वस्तुओं का आयात करना चाहता है ; और

(ख) यदि हां तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coaxial Cables.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) लौह अयस्क, के अलावा जापान भारत से जिन प्रमुख वस्तुओं का आयात करता है उनके नाम ये हैं :—मैंगनीज अयस्क, कपास, गूदड़, चमड़ा, नमक, अभ्रक, तम्बाकू, लाख और रद्दी लोहा और इस्पात।

"भारत—१९५८" प्रदर्शनी का उद्घाटन

†**१९४. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "भारत—१९५८" प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय कई मनोरंजन केन्द्र और मंडप न तो पूरे हो पाये थे और न उन्होंने कार्य ही आरम्भ किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन में से कइयों ने प्रदर्शनी के उद्घाटन के काफी समय बाद तक भी कार्य आरम्भ नहीं किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). जी नहीं। तीन सौ में से केवल तीन इकाइयां प्रदर्शनी खुलने से कुछ दिन पहले हुई अप्रत्याशित और असाधारण रूप से घोर-वर्षा के कारण समय से पूरे नहीं हो सके। प्रदर्शनी का एक मात्र मनोरंजन केन्द्र —एम्यूजमेंट पार्क—१९ अक्तूबर को खोला जा सका क्योंकि वहां की जमीन बहुत ही गीली अवस्था में थी और उसके पहले जनता द्वारा इस्तेमाल की अनुमति देना खतरे से खाली नहीं था।

आयात प्रतिबंध

१९५. श्री विभूति मिश्र : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५८ तक सरकार ने कौन-कौन सी चीजों के आयात पर पूर्ण या आंशिक रोक लगा दी है ; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा की कमी के कारण लगभग सभी वस्तुओं पर आयात सम्बन्धी पाबन्दियां लगायी गयी हैं। अगर माननीय सदस्य चीजों के नाम बतायें, तो यह जानकारी एकत्र करने की कोशिश की जाएगी कि पिछली दो या तीन अवधियों में उन चीजों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये। उससे यह पता चल सकेगा कि विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है।

जम्मू तथा कश्मीर

†**१९६.** { **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री दामानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर की युद्ध-विराम रेखा पर सीमावर्ती संघर्ष १९५८ में १९५७ की अपेक्षा अधिक संख्या में हो रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में जान और माल की कितनी-कितनी क्षति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). युद्ध-विराम रेखा और जम्मू-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर १९५७ और १९५८ की जनवरी से सितम्बर तक हुई सीमावर्ती घटनाओं का एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जाता है :—

	१-१-५७ से ३०-९-५७ तक	१-१-५८ से ३०-९-५८ तक
(१) कुल घटनाओं की संख्या	९७	५२
(२) मारे गये व्यक्तियों की संख्या . .	२	५
(३) घायलों की संख्या	१	२१
(४) अपहृत व्यक्तियों की संख्या	—	८ (१ बाद में छोड़ दिया गया)
(५) उठा ले जाये गये ढोरों की संख्या	१९०	८७
(६) सम्पत्ति की अनुमानित क्षति	१८,७५२ रुपये	१३,२५५ रुपये

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मभारित कर्मचारी

†**१९७. श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर कितने-कितने कर्मभारित कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]** ।

लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में भारतीय कर्मचारी

†**१९८. श्री परुलेकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में अस्थायी रूप से काम करने वाले कितने भारतीयों को मार्च, १९५६ से फरवरी, १९५८ के बीच की अवधि में बर्खास्त किया गया ; और

(ख) बर्खास्त किये जाने से पहले उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने कितने-कितने वर्ष तक उस कार्यालय में कार्य किया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†मूल अंग्रेजी में

खादी और अम्बर-चर्खा का विकास

†**१९९. श्री मोहम्मद हमाम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) खादी और अम्बर-चर्खा के विकास के लिये १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में ऋण और अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गयी थी ;

(ख) यह राशि किस प्रकार व्यय की गयी ; और

(ग) क्या सरकार ने लेखे की परीक्षा की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) खादी और अम्बर-चर्खा कार्यक्रम के लिये ऋणों और अनुदानों के लिये मंजूर की गयी कुल राशियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मंजूर की गयी राशि
१९५६–५७ . . .	११.५९ करोड़ रुपये
१९५७–५८ . . .	१०.९२ करोड़ रुपये
१९५८–५९ (१५-११-५८ तक) .	६.३७ करोड़ रुपये

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ग) काम चल रहा है ।

मैसूर में अम्बर-चर्खा कार्यक्रम

†**२००. श्री वोडयार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर-चर्खा कार्यक्रम के लिये १९५८–५९ में मैसूर सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) १९५८–५९ में मैसूर राज्य को कितने अम्बर-चर्खे दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) हालांकि मैसूर सरकार को कोई राशि नहीं दी गयी है फिर भी मैसूर राज्य बोर्ड को, जो एक संविहित निकाय है, ३.९३ लाख रुपये अनुदानों के और ५.५९ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं । मैसूर राज्य की विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों को भी ९.१८ लाख रुपये और ११.५९ लाख रुपये क्रमशः अनुदान और ऋण के रूप में मंजूर किये गये हैं ।

(ख) १९५८–५९ में ७,६६५ चर्खों का वितरण किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक संस्थायें

†२०१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ५४ प्रविधिक संस्थायें खोली गयीं या खोली जाने वाली हैं?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** तब से सात और संस्थाओं की मंजूरी दी जा चुकी है और ब्यौरा निम्नलिखित विवरण में दिया हुआ है :—

राज्यसंघ राज्य-क्षेत्र का नाम	मंजूर की गयी नयी संस्थाओं की संख्या
१. आंध्र प्रदेश	२
२. आसाम	१
३. बिहार	८
४. बम्बई	६
५. जम्मू तथा कश्मीर	२
६. केरल	१
७. मध्य प्रदेश	७
८. मद्रास	४
९. मैसूर	६
१०. उड़ीसा	४
११. पंजाब	४
१२. राजस्थान	२
१३. उत्तर प्रदेश	७
१४. पश्चिम बंगाल	४
१५. हिमाचल प्रदेश	१
१६. मनीपुर	१
१७. त्रिपुरा	१
जोड़	६१

सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली पत्रिकायें

†२०२. **श्री जाधव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कौन-कौन सी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा अन्य पत्रिकायें खरीदती है ; और

(ख) इसके लिये क्या मान दण्ड है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकार ने अपने विभागों और संबद्ध कार्य लाभों द्वारा खरीदे जाने वाले समाचार-पत्रों और सावधिक पत्रिकाओं के लिये कोई मानदण्ड नहीं निर्धारित किया है । संबंधित विभाग और कार्यालय अपने कार्य की आवश्यकतानुसार अखबार आदि खरीदने के लिये स्वतंत्र हैं ।

सरकारी विभागों और विभिन्न कार्यालयों की शाखाएं देश भर में फैली होने के कारण उन अखबारों और सावधिक पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो वह खरीदते हैं, बहुत कठिन है और इसमें खर्च भी बहुत होगा । इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाली जानकारी के अनुरूप नहीं होगा ।

अनूसूचित जातियां और अनसूचित आदिम जातियां

†२०४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ सितम्बर १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं ;

(ख) क्या सभी स्थान भर गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें अब तक न भरने का क्या कारण है ; और

(घ) वे कब तक भर दिये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** (क) (१) असिस्टेंट और अपर डिविजन क्लर्क :

इसमें स्थान मंत्रालयों के आधार पर नहीं वरन् भारत सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के आधार पर सुरक्षित किये जाते हैं ।

(२) लोअर डिवीजन क्लर्क :

अनुसूचित जातियों के लिये २६ स्थान और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ८ स्थान १९५७ के अन्त तक सुरक्षित थे ।

(ख) (१) अनुसूचित जातियां—जी हां ।
(२) अनुसूचित आदिम जातियां—जी नहीं ।

(ग) उपयुक्त अर्हता प्राप्त उम्मीदवार न मिलने के कारण अनुसूचित आदिम जातियों वाले ३ स्थान नहीं भरे जा सके । इन्हें इन पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार नियुक्त कर दिये गये ।

(घ) ऊपर (ग) में कही गयी बात को ध्यान में रखते हुए यह बताना कठिन है कि अनुसुचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों को किस समय तक भरा जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†२०५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी नौकरियां रक्षित रखी गई थीं ;

(ख) क्या सभी नौकरियां भर ली गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; **और**

(घ) वे कब तक भरी जायेंगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) :

	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	टिप्पणियां
असिस्टेंट	१७८	११	—	इन नौकरियों में सरकार ने १२ ½ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और ५ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित की थीं। ये नौकरियां गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा भरी जाती हैं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा पर उसी का नियंत्रण रहता है और सभी मंत्रालयों और उनमें सम्मिलित कार्यालयों के लिये प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये जाने वाले असिस्टेंटों की कुल संख्या के

†मूल अंग्रेजी में

	कुल संख्या	अनुसचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	टिप्पणियां
				आधार पर इन समुदायों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिये आवंटित अभ्यंश की पूर्ति को देखता है। कुछ लोगों की पदोन्नति करके भी उन्हें असिस्टेंट बनाया जाता है परन्तु इस में विशेष प्रतिनिधित्व के आदेश उसी अवस्था में लागू होते हैं जब कि पदौन्नतियां विभागीय परीक्षा के आधार पर की जा रही हों। ये पदौन्नतियां भी गृह-कार्य मंत्रालय सारे सचिवालय में से करता है।
अपर डिवीजन क्लर्क	२०४	१	—	ये स्थान प्रायः लोअर डिवीजन क्लर्कों में से पदौन्नति करके भरे जाते हैं और इन पर विशेष प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू नहीं होता।
लोअर डिवीजन क्लर्क	९५९	१३२	४	सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये १६ % और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ५ प्रतिशत आरक्षण कर रखा है।

(ग) कमी का कारण यह है कि इन समुदायों में उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते ।

(घ) कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि भरी जाने वाली नौकरियों की संख्या उमीदवारों के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है । इस कमी को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और आगे भी किये जायेंगे ।

अनसूचित जातियां

†२०६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** १७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी नौकरियां रक्षित की गई हैं ;

(ख) क्या सभी रक्षित स्थान भर लिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें भरने में कितना समय लगेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में असिस्टेंटों और क्लर्कों की नौकरियां हाल ही में स्थापित की गई भारतीय विदेश सेवा, 'ख' शाखा का ही अंग है । पहले पहल इस सेवा में भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों में से ही चुनाव किया जाता था इसलिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित करना सम्भव नहीं था । इसकी बजाये अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों को यह रियायत दी गई कि उन्हें तीन की बजाये एक वर्ष की सेवा के बाद ही इस में लिया जा सकता था । इन समुदायों के सभी उपयुक्त और पात्र उमीदवारों को इस सेवा में लिया जाता था जिससे अब उनकी संख्या २० असिस्टेंट और १० क्लर्क हैं । प्रत्यक्ष रूप से भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों के लिये १२ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ५ प्रतिशत आरक्षण का खयाल रखा जायेगा ।

(ख) से (घ). प्रारम्भिक रचना के समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते थे । १९५८ में मंत्रालय ने जो भर्ती की थी उसमें २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों से और १७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत आदिम जातियों से लोग लिये गये थे । आगामी वर्षों में भी वे इसी प्रकार भर्ती करने की आशा करते हैं ।

पहाड़ी क्षेत्रों के लोक नृत्य सम्बन्धी चल चित्र

†२०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के लोक नृत्य के बारे में कोई चल चित्र तैयार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). केवल पहाड़ी लोक नृत्य के बारे में कोई चल चित्र तैयार नहीं किया गया है । पहाड़ी क्षेत्रों के निम्नलिखित नृत्य "धरती की झंकार" नामक भारत के लोक नृत्य सम्बन्धी चल चित्र में सम्मिलित थे, जो तैयार हो चुका है और शीघ्र ही उसका प्रदर्शन किया जायेगा :—

महासु नृत्य रूमाल नृत्य पांगी नृत्य	हिमाचल प्रदेश
जैंतिया नृत्य बांस नृत्य (लुशाई की पहाड़ियों का)	
आओ नागा नृत्य अंगामी नागा नृत्य	
बादी कचारी नृत्य नाती नृत्य (कुल्लू का) नेपाली नृत्य लामा नृत्य	दार्जीलिंग के पहाड़ी क्षेत्र

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा

†२०८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा पदाली में २० प्रतिशत स्थान उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण, मनीपुर और त्रिपुरा की स्थानीय सेवाओं के कर्मचारियों की पदौन्नतियां करके भरी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने पदाधिकारियों की पदोन्नतियां की गई हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**) : (क) केवल इस सेवा की रचना करते समय उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण, मनीपुर और त्रिपुरा की स्थानीय सेवाओं के पदाधिकारियों की पदौन्नतियां करके २० प्रतिशत नौकरियां करने की व्यवस्था की गई है । बाद में प्रथम ग्रेड की सभी नौकरियां द्वितीय ग्रेड के लोगों की पदौन्नतियां करके भरी जायेंगी । द्वितीय ग्रेड की ५० प्रतिशत नौकरियां प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा और ५० प्रतिशत पदौन्नतियों द्वारा, यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हों, भरी जायेंगी ।

(ख) १४

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा

†२०९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के कितने पदाधिकारी इस समय मनीपुर और त्रिपुरा में (अलग अलग) हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य क्षेत्र में उन में से कितने पदाधिकारी डेपुटेशन पर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) मनीपुर : ६ त्रिपुरा : २

(ख) कोई नहीं ।

चलचित्रों का निर्यात

†२१०. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक, चीन, रूस, ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस और इटली को कितने चलचित्रों का निर्यात किया गया ; और

(ख) १९५७ की तुलना में ये कम हैं या अधिक ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†संसद कार्य मंत्री (सत्य नारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ पांचवा सत्र, १९५८ (देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५८)

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १० चौथा सत्र, १९५८ (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९)

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२ तीसरा सत्र, १९५७ (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०)

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ दूसरा सत्र, १९५७ (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१)

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८ पहला सत्र, १९५७ (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२)

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास उपमंत्री(श्री पू० शे० नास्कर)**: मैं विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक १६ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६९९/ आर० एमेन्डमेन्ट २५ **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-८८७/५८]** संशोधन

(२) दिनांक ६ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७८०/८ संशोधन आर० एमेन्डमेन्ट, २६ **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिय संख्या एल० टी०-९३९/५८]**

(३) दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ८१४/ आर० एमेन्डमेट २७ **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-९६८/५८]** ।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचनायें

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीदातार)** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा(२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४० ५/५८ (१)-दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (पानी देने की अन्तिम दर का निर्धारण) नियम, १९५८ । **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-९०९/५८]**

(२) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४०/५, ५८ (२)-दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (मल को ठिकाने लगाने की दर का निर्धारण) नियम, १९५८। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-९१०/५८]**

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनु भाई शाह)**: मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) इंजीनियर्स स्टील फाइल्स उद्योग को प्रदत्त संरक्षण की जांच के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)

(२) सरकारी संकल्प संख्या १८ (१)-टी० आर०/५८ दिनांक १४ नवम्बर, १९५८।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ की धारा ४(१) के अन्तर्गत दिनांक १४ नवम्बर, १९४८ की दो अधिसूचनायें संख्या १८ (१)-टी आर/५८ ।

(४) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की धारा ३क के अन्तर्गत दिनांक १४ नवम्बर, १९५८ की सरकारी अधिसूचना संख्या १८ (१)-टी आर/५८ ।

(५) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के परन्तक के अन्तर्गत यह बताने वाला विवरण कि ऊपर उल्लिखित (१) से (४) तक दस्तावेज उक्त धारा के अन्तर्गत नियत अवधि में टेबल पर क्यों नहीं रखे जा सके ।

(६) कैल्शियम कार्बाइड उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जरी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(७) सरकारी संकल्प, संख्या ३७ (१)-टी आर/५८, दिनांक ९ अक्तूबर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-१०१८/५८]

(८) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के परन्तक के अन्तर्गत यह बताने वाला विवरण कि ऊपर (६) और (७) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त धारा के अन्तर्गत नियत अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखे जा सके ।

(९) कोको का चूर्ण और चाकलेट उद्योग को प्रदत्त संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१०१९/५८]

(१०) सरकारी संकल्प, संख्या १२ (१)-टी आर/५८, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५८ ।

(११) अंजन उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१०२०/५८]

(१२) सरकारी संकल्प, संख्या ४(१)-टी आर/५८, दिनांक २७ अक्तूबर १९५८ ।

(१३) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ की धारा ४(१) के अन्तर्गत सरकारी अधिसूचना संख्या ४(१)-टी आर/५८ दिनांक २७ अक्तूबर १९५८ ।

(१४) सोडा ऐश उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-१०२१/५८]

(१५) सरकारी संकल्प, संख्या ३२ (१)-टी आर/५८, दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ ।

(१६) नकली रेशम और सूती तथा रेशम मिले कपड़ा उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-१०२२/५८]

(१७) सरकारी सकल्प, सख्या ३६(२)-टी आर/५८, दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०, १०२३/५८]

निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†श्री पू० शे० नास्कर : मैं निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५० की धारा ५६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियम, १९५० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक, ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २००१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पस्तकालय में रखी गयी। देखिय संख्या एल० टी० १०२४/५८]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
पाकिस्तान की घटनायें

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान में होने वाली हाल की घटनायें तथा उनका भारत पर प्रभाव और भारतीय सीमा के पार पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण।"

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : माननीय सदस्यों ने इस विषय से बहुत से अल्प सूचना प्रश्न तथा प्रस्ताव भेजे हैं। नियम १९७ के अन्तर्गत भी इस पर सूचनायें मिली हैं। बहुत से तथ्यों के बारे में तो जनता ने अखबारों में पढ़ा ही है। तदपि सदस्यों के आग्रह के कारण यहां एक वक्तव्य दिया जाता है।

पाकिस्तान में हाल ही की घटनायें बड़ी महत्वपूर्ण हैं तथा जनता प्राकृतिक रूप से इनके बारे में उत्सुक है। हमारे लिये तो इनका प्रभाव और भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है और दुर्भाग्य से दोनों देशों के सम्बन्ध भी अच्छे नहीं हैं। हाल ही में पाकिस्तान में नेताओं ने जो वक्तव्य दिये हैं वे भी भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं हैं और कुछेक वक्तव्य तो बड़े ही दुखद हैं।

७, अक्तूबर, १९५८ को राष्ट्रपति मिर्ज़ा ने वहां १९५६ के संविधान को भग कर दिया और सारे राजनैतिक दलों को भी समाप्त कर डाला तथा देश भर में मार्शल लॉ (सैनिक शासन) स्थापित कर दिया। जरनैल अयूब खां को सैनिक शासन का प्रमुख नियुक्त किया गया।

राष्ट्रपति मिर्ज़ा ने अपनी उद्घोषणा में कहा, "अधिकतर जनता को वर्तमान शासन प्रणाली पर कोई भरोसा नहीं रहा है और अब जनता इस बात के प्रति अत्यन्त निराश तथा संत्रस्त हुई जा रही है कि उसका शोषण बड़ी भयानक रीति से किया जा रहा है।" उसने इस बात पर जोर दिया कि वह देश को "शांतिपूर्ण क्रांति" के द्वारा ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है। उसने यह इच्छा भी प्रकट की कि वह शीघ्र ही एक अधिक उपयुक्त संविधान बनवा कर जनमत के लिये उसे जनता के समक्ष रखेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

राष्ट्रपति मिर्ज़ा के इस कार्य से पाकिस्तान में स्वतंत्र तथा प्रतिनिधि सरकार खतम हो गई। यह भी सच है कि पाकिस्तान की लोकतन्त्रात्मक संस्थायें, वहां ११ वर्षों से निर्वाचन न होने के कारण सार्थक तो नहीं रहीं थीं तब भी किसी न किसी प्रकार वहां लोकतन्त्र विद्यमान था किन्तु सैनिक राज होते ही यह भी समाप्त हो गया। कामन्वैल्थ के एक राष्ट्र में पहली बार सैनिक शासन हुआ। कामन्वैल्थ का आधार ही लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं पर है किन्तु राष्ट्रपति सिकन्दर मिर्ज़ा के कार्य से वहां लोकतंत्र समाप्त हो गया।

सैनिक न्यायालय बना डाले गये और असैनिक न्यायालयों को अपील इत्यादि सुनने का कोई अधिकार न रहा। न केवल वहां का संविधान ही समाप्त हुआ बल्कि वहां की समस्त न्यायपालिका, राजनैतिक स्थिति तथा आर्थिक व्यवस्था का ही उन्मूलन हो गया। पुरानी बातें ही समाप्त हो गई। अब तो राष्ट्रपति तथा सैनिक मुख्य प्रशासक ही वहां के शासक रह गये।

२७ अक्तूबर को राष्ट्रपति सिकन्दर मिर्जा ने अपनी सहायता के लिये एक केबिनेट बनाई तथा अयूब खां को प्रधान मंत्री बना दिया। जिस दिन जनरल अयूब खां ने प्रधान मंत्री के पद की शपथ ली उसी सांय राष्ट्रपति मिर्ज़ा को पदत्यागने के लिये दवाब दिया गया और उसे निकाल जनरल अयूब खां ही वहां का मुख्य प्रशासक तथा राष्ट्रपति बन बैठा। अयूब ने बताया कि एक तो वहां दो सत्ताधारी उचित नहीं थे और दूसरे राष्ट्रपति मिर्ज़ा राजनितिज्ञों से सम्बन्धित रहे थे इस कारण यह कार्यवाही की गई। राष्ट्रपति अयूब खां ने घोषणा की कि वह वहां राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार बनायेंगा तथा अपने सलाहकार रखेगा। इस प्रकार की प्रणाली में पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ करता है।

अतः वहां २७ अक्तूबर को बहुत ही विचित्र घटनायें हुईं तथा राष्ट्रपति मिर्ज़ा को भी नाटकीय ढंग से एक ओर अलग कर दिया गया। दोपहर से पहले तो अभी केबिनेट बनती है और सांय को ही प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को सिंहासन से उतार फेंकते हैं। मिर्जा को अगले दिन प्रातः ही कोयटा भेज दिया गया और कुछ दिनों बाद उन्हें इंग्लैण्ड जाने की आज्ञा दे दी गई। अब पाकिस्तान कोई स्वतंत्र देश न रहा और किसी प्रकार की आलोचना भी वहां अपराध बन गई। चाहे कुछ भी हो पाकिस्तान में एक ऐसा सैनिक तानाशाही शासन बन गया जिसको लोकतन्त्रात्मक प्रणाली से प्रेम रखने वाले लोग किसी भी प्रकार से पसन्द नहीं कर सकते। व्यापक दृष्टिकोण से तथा एशिया के दृष्टिकोण से यह बात पर्याप्त चिन्ताकारक थी। भारत तो सदैव यही कहता आया कि वहां के लोग जैसी सरकार चाहें वैसी ही बनायें और हमारी यह कभी भी इच्छा नहीं रही कि हम पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में लगभग एक ही तो हैं। हम ने सदैव पाकिस्तान की जनता की सफलता की कामना की है। किन्तु इस घटना से जिसने वहां की राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगाया हम दुखित हैं।

दूसरी चिन्ता की बात यह थी कि नये शासक भारत के प्रति क्या आचरण करेंगे ? दुर्भाग्य से विभाजन के पश्चात से भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध कभी अच्छे नहीं रहे हैं तथा वहां की सरकारें लोगों को भारत के विरुद्ध भड़काती रही हैं। कई बार उन्होंने युद्ध की धमकियां भी दी हैं। दूसरे देशों से सैनिक सहायता लेने के कारण उनका साहस और भी बढ़ा है। किन्तु दोनों देश समस्याओं का हल करने का प्रयास करते रहे हैं। यहां यह भी

बता दिया जाये कि इस विद्रोह से एक मास पूर्व वहां के प्रधान मंत्री यहां आये थे तथा उन्होंने भारतीय प्रधान मंत्री से चर्चा की थी। थोड़ा सुधार हुआ था।

किन्तु अयूब खां के सत्ता ग्रहण करने के पश्चात यह प्रश्न पुनः उठा कि क्या वह थोड़ा सा सुधार बना रहेगा या नहीं? पहले परिवर्तन के पश्चात वहां से थोड़ा शान्त सा वातावरण बना था। हमने उसका स्वागत किया। किन्तु अयूब खां ने राष्ट्रपति बनते ही दूसरा वक्तव्य दिया जो पहले से उलट था और उसने तो भारत के साथ युद्ध की भी धमकी दी। इसके पश्चात वह कुछ बदल कर बातें करने लगा तथा उसने कहा कि भारत तथा पाकिस्तान की समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल हो जाना चाहिये।

इन परिस्थितियों में जहां किसी देश में सैनिक शासन हो वहां यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा। हमें सब तरह से तैयार रहना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि परिस्थितियाँ बहुत ही दुखद हैं। किन्तु सन्तुष्ट रहने का भी कोई कारण नहीं है।

पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के विरुद्ध हम ने पहले ही कहा है। नयी घटनाओं के होने के पश्चात यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि वहां और आक्रामक प्रवत्तियां उदय हो सकती हैं।

सीमान्त पर झगड़े हुए हैं और कुछ भारतीय लोगों से भी बुरा व्यवहार किया गया है। ११ सितम्बर, १९५८ तथा १५ नवम्बर, १९५८ के बीच सीमान्त संबंधी विवादों का एक विवरण मैं सभा-पटल पर रखती हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]** पाकिस्तान में संविधान के उत्सादन के पश्चात भारत-पूर्वी पाक सीमा पर १३ घटनायें घट चुकी हैं तथा भारत-पश्चिमी पाक सीमा पर ३ आक्रमण हो चुके हैं। ७ अक्तूबर से पहले मास में भारत पूर्वी-पाक सीमा पर ७ आक्रमण हुए तथा भारत-पश्चिमी पाक सीमा पर एक आक्रमण। पशुओं की चोरी तथा अन्य चोरियां इस में सम्मिलित नहीं की गईं बच्चों को उठाने की घटनायें भी हुई है। कई बार उठाये गये लोगों को कुछ दिनों पश्चात वापस भेज दिया जाता है। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करती हैं। वास्तव में इस समय भी हम कई इसी प्रकार की घटनाओं का अनुसरण विहित प्रक्रियानुसार कर रहे हैं। राज्यों की ओर से विरोध पत्र भेजने के अतिरिक्त हमने भी भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त के द्वारा वहां की सरकार को रोष प्रकट किया है। हाल ही की एक घटना बड़ी दयनीय है। राजशाही में स्थित सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के एक कर्मचारी तथा उसकी पत्नी से दरसाना में बुरा व्यवहार किया गया। हम यह नहीं कह सकते कि यें बातें उनकी नीति को बताती हैं अथवा इनका कारण यह है कि सीमा पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया है। हम आशा करते हैं कि ऐसे अपराधियों को दंड दिया जायगा। अभी पता लगा है कि पूर्वी बंगाल की सरकार ने उच्चायुक्त को सूचना दी है कि उन्होंने दरसाना वाले कांड के लिये उत्तरदायी जमादार पर अनु-शासनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया है।

अभी मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहती। हम स्थिति को देखेंगे और आवश्यकता के समय सभा को सूचना देंगे। हमारी नीति तो वही मैत्री की रहेगी किन्तु हम अपने अधिकारों की रक्षा दृढ़ता से करते रहेंगे। हमारी यही इच्छा है कि पाकिस्तान की जनता से हमारे मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बने रहें।

सभा का कार्य

†**श्री डांगे** (बम्बई नगर-मध्य) : श्रीमान् हम इस वक्तव्य पर चर्चा करना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बारे में लिखें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह ठीक है कि वैदेशिक कार्यों पर चर्चा के लिये एक दिन निश्चित किया जाये। उसी दिन यह मामला भी ले लिया जा सकता है क्योंकि सत्र छोटा ही है। यदि सभा की इच्छा हो तो हम केवल इसी पर चर्चा कर सकते हैं किन्तु इसे व्यापक परस्थितियों में देखना ही अच्छा रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं वैदेशिक मामलों पर चर्चा करने के लिये एक तिथि निश्चित कर दूंगा और उस चर्चा में इस विषय को अधिक महत्व दिया जा सकता है।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हम अधिक से अधिक समय देने को तैयार हैं किन्तु सत्र छोटा है और संभवतया बार बार चर्चा के लिये समय न मिले। इसी कारण यह सुझाव दिया था कि इसे साथ ही ले लिया जाये किन्तु यदि इस पर अलग चर्चा करनी है तो वह भी की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस पर समुचित विचार करके वैदेशिक कार्यों पर चर्चा के लिये एक दिन निश्चित कर लिया जायेगा और उसमें अधिक समय देने की व्यवस्था कर दी जायेगी।

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९ नवम्बर, १९५८ को सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री, श्री हाथी द्वारा प्रस्तुत निम्निलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

> "कि भारतीय बिजली (संशोधन) अधिनियम, १९१० में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जायें जिसमें ३० सदस्य अर्थात सरदार हुक्म सिंह, श्री पेण्देकान्ती वेंकटा-सुब्बय्या, श्री विनायक राव कोरटकर, श्री मणिक लाल मगनलाल गांधी, श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी, श्री श्रीनारायण दास, श्री शिवराम रंगो राने, श्री रामप्पा बालप्पा बिदारी, श्री सम्बन्दम्, श्री अय्याकण्णु, श्री पांगरकर, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री उइके, श्री अब्दुल लतीफ, श्री पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री भगवान दीन मिश्र, श्री राम शंकर लाल, श्रीमती कृष्णां मेहता, श्री सु० हंसदा, श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री ग० घ० सोमानी, श्री तंगामणि, श्री वासुदेवन् नायर, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री इगनेस बैक, श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल, श्री वैष्णव चरण मलिक, श्री प्रेमजी आसर, श्री ब्रजराज सिंह और श्री जयसुखलाल लालशंकर हाथी, इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों,

---

†मूल अंग्रेजी में

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा, राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलिति हो और राज्य-सभा अपने द्वारा संयुक्त संमिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये।"

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : १९१० के अधिनियम में संशोधन करने वाली समिति ने १९५४ में अपना प्रतिवेदन दिया था। उस समिति ने विभिन्न राज्यों से पूछताछ की तथा विभिन्न समवायों से भी बात चीत की। हमें यह नहीं बताया गया कि राज्य सरकारों की राय क्या थी।

खैर बोर्ड ने सुझाव दिया कि १९४८ के अधिनियम में भी संशोधन किया जाये। यह बड़ा महत्वपूर्ण है।

यदि हम अपने देश में उत्पन्न की जाने वाली बिजली की मात्रा का अनुमान लगायें तो पता लगेगा कि हमारे देश में बहुत ही अधिक बिजली बननें लगेगी।

अब जिन क्षेत्रों में कोयला उपलब्ध नहीं होता वहां बिजली की मात्रा बहुत ही लाभ-दायक सिद्ध होगी। बिजली का भविष्य बहुत उज्जवल है। अतः यदि हम इस अधिनियम का संशोधन शीघ्रातिशीघ्र कर दें तो उतना ही अच्छा है।

मैं तो यही निवेदन करूंगा कि स्वतन्त्रता के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को कारखाने वाले अपनी लागत से बिजली देने की व्यवस्था करें।

आज उपभोक्ताओं के अधिकार पर्याप्त नहीं है। हमें उनके हितों की रक्षा के लिये बिजली की दरें भी निर्धारित करनी चाहिये। अन्यथा कारखानों वाले स्थान-स्थान पर अधिक दरें लेने लग जाते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण होता है।

हीराकुड में १२३००० किलोवाट बिजली बनती है किन्तु वहां उपभोक्ताओं को ८ आने प्रति यूनिट देना पड़ता है जो बहुत ही अधिक है। इस प्रकार की अव्यधिक दरों को कम करना चाहिये। इसी प्रकार से बरहामपुर का भी लगभग ऐसा ही मामला है। बिजली लगाने में भी अनुचित देरी नहीं की जानी चाहिये। भवानी पटना नगरपालिका को अब तक भी बिजली नहीं दी गई है।

इसके पश्चात मैं यह भी समझता हूं कि सरकार बिजली निरीक्षकों को जो अधिकार दे रही है वे अत्यधिक हैं। इन टैकनिकल लोगों को इस प्रकार की न्यायिक बातों का कोई भी अनुभव नहीं होता। इसलिये हो सकता है कि ये लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

उड़ीसा सरकार ने भीमकुंड बिजली परियोजना को तृतीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है। इससे ३.८६ लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है। केन्द्रीय सरकार को भी इस परियोजना पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार रूरकेला की फालतू गैस के प्रयोग से भी ५०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी गैर-सरकारी बिजली संस्थापनों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ।

†श्री पी० रा० रामकृष्णन् (पोल्लाची) : मेरा यह मत है कि यह १९१० का भारतीय बिजली अधिनियम बहुत पहले ही संशोधित हो जाना चाहिये था और इस दिशा में अभी तक एक व्यापक अधिनियम का निर्माण हो जाना चाहिये था। १९१० में लगभग एक दर्जन जल विद्युत योजनायें थीं और सभी की व्यवस्था गैर-सरकारी हाथों में थी। १९४८ तक भी ७५ प्रतिशत उपक्रम गैर-सरकारी ही थे। अब ५८.३ प्रतिशत बिजली सरकारी क्षेत्रों में पैदा की जाती है और बिजली के सम्बन्ध में भारत की क्षमता अब १,८८६ मेगावाट है।

माननीय सदस्यों का कहना है कि इस अधिनियम में राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था का कोई उपबन्ध नहीं रखा गया। मेरा मत है कि इस अवस्था में हमें यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। वैसे यह संशोधन विधेयक निराशाजनक ही है । इसमें चार प्रमुख उपबन्ध रखे गये हैं। सब से प्रथम उपभोक्ताओं को सुविधा देने का प्रश्न है। इसके अन्तर्गत सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को वे सभी सुविधायें दी जायेंगी जो कि गैर-सरकारी समवाय देते चले आ रहे हैं। यह बड़ा साधारण उपबन्ध है कि इसके अतिरिक्त एक संशोधित खंड द्वारा किरायेदारों की मालिक मकानों से रक्षा करने की व्यवस्था की गयी है। अन्य संशोधन द्वारा विद्युत के विस्तार को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु इसमें भी १५ प्रतिशत वाले उपबन्ध पर संयुक्त समिति को विचार करना चाहिए और विस्तार को जितना हो सके सरल बना देना चाहिए।

बहुत से संशोधन तो अनुज्ञप्तिधारियों पर नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में हैं। इस सम्बन्ध में उपबन्ध बड़े व्यापक हैं और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्युत प्रणाली के व्यापक निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है; विधेयक का यह संशोधन भी स्वागत योग्य है। परन्तु मुझे खेद इस बात पर है कि वितरण तथा संभरणकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं के सम्बन्धों के लिए इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। प्रथम बात यह है कि अब जब कि सारे विद्युत पर एकाधिकार होने जा रहा है तो जन साधारण की सुविधा के लिए सेवा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए और इसके अभाव में सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए। संशोधन विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं जिसके अन्तर्गत संभरणकर्त्ताओं को अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन करने के लिए बाध्य किया जा सके।

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त विद्युत संभरण के लिए जो सरकारी निकाय बनाया गया है उसमें उपभोक्ताओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया हालांकि उपभोक्ताओं की स्थिति खरीददारों जैसी होती है। राज्यों के विद्युत बोर्डों में अधिकारी वर्ग की नौकरशाही अभी चल रही है। यदि इन बोर्डों तथा केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में उपभोक्ताओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय तो अच्छी ही बात है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की कठिनाइयों तथा आवश्यकताओं का पता लग सकता है। संयुक्त समिति को इस बात पर विचार करना चाहिए। संयुक्त समिति को यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि विद्युत के कारण देश में उद्योगों का सन्तुलन कायम रहे और बहुत से उद्योग देश के एक ही भाग में एकत्रित न हो जाय। इस प्रकार के उपबन्धों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे एक प्रकार के उद्योग के लिए सारे देश में बिजली का दर एक ही रहे। इससे बड़े बड़े उद्योग मुकाबला बाजी से बचे रहेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि बिजली पैदा करने का खर्चा तो कम होता है लेकिन उपभोक्ताओं से बहुत अधिक दर ली जाती है। बहुत से देशों में यह दर बहुत ही कम है। कई ऐसे उद्योग हैं जिनसे बिजली के लिये कम से कम दर लेनी चाहिये ताकि वे उद्योग अपने माल को उचित खर्चे पर तैयार कर सकें। बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें तैयार माल के उत्पादन में बिजली कम खर्च होती है और यदि उनसे कुछ ज्यादा या कम दर ली जाये तो कोई असर नहीं पड़ेगा और बहुत से ऐसे भी उद्योग हैं जिनमें बिजली की दरों में थोड़ी बहुत हेर फेर से काफी फर्क पड़ सकता है। इन परिस्थितियों के लिए विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि सरकार को और संयुक्त प्रवर समिति को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लघु उद्योगों को कम दर पर बिजली दी जाये। इससे उन्हें काफी लाभ पहुँचेगा। मेरा निवेदन है कि संयुक्त प्रवर समिति को इन सब बातों पर विचार करना चाहिऐ ताकि यह संशोधन विधेयक वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी हल कर सके।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—पूर्व) : इस प्रकार का अथवा इससे अच्छा विधेयक, जिससे कि १९१० के बिजली अधिनियम का संशोधन किया जाता, बहुत पहले आना चाहिए था। १९१० में जब यह मूल विधेयक पारित हुआ था तो बिजली संयन्त्र बहुत ही थोड़े थे। उस समय संख्या १० थी और अब संख्या ४५१ है। इसके अतिरिक्त जब हम गुलाम थे और अब हम स्वतन्त्र हैं। आज हमारे समक्ष अपने देश के औद्योगिकरण के लिए एक योजना है। बिजली उसका एक आवश्यक अंग है। यदि हम सस्ती बिजली की व्यवस्था कर पाते हैं तो हम देश की औद्योगिक अवस्था का स्तर बहुत कुछ ऊंचा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त देश के परिवहन में भी बिजली का बड़ा हाथ है। यदि हमारी रेलें अथवा औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध हो जाये तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही हमारा परिवहन भी काफी प्रगित की ओर जा सकता है और आज हमारा दृष्टिकोण भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का है, मुनाफाबाजी और शोषण करने का नहीं। इन उपरोक्त बातों को यदि दृष्टि में रख कर विचार किया जाय तो सचमुच यह विधेयक बहुत ही निराशाजनक है। छोटे उपभोक्ताओं का कोई विचार नहीं किया गया। और न ही बिजली पैदा करने वाले कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की कोई गारन्टी दी गयी है। आज देश में बहुत से बिजली संयन्त्र काफी मुनाफे में जा रहे हैं और उन बहुतों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

विदेशी निकायों का नियन्त्रण है और वे अपना मुनाफा देश से बाहर भेज देते हैं। इस मुनाफे का लाभ यदि हम अपने उपभोक्ताओं को दें तो कितना ही अच्छा हो, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा ।

कलकत्ता में दामोदर घाटी परियोजना से सस्ती बिजली प्राप्त कर लोगों को काफी ऊंचे दर पर दी जा रही है। बिजली अधिनियम की छठी अनुसूची के बावजूद यह निकाय काफी लाभ उठा रहा है। हीराकुड सम्भरण का भी यही हाल है। इसका नियन्त्रण किया जाना चाहिए। यदि इसका कोई हल नहीं निकलता तो इस उपक्रम को गैर-सरकारी हाथों से निकाल कर, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। कलकत्ते में तो ऐसा करने का अवसर १९४८ में आया था। कुछ अदृश्य कारणों से ऐसा नहीं किया गया और उसका २० वर्ष का पट्टा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिएं। इस प्रकार निकायों का जन हित में तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। श्री रामकृष्णन् ने राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कहा है, परन्तु हमें बिल्कुल अन्य दृष्टिकोण से ही विचार करना चाहिए। इससे हम सस्ती बिजली जनता को दे सकेंगे। आज के ७ आने, ८ आने प्रति यूनिट की दर बहुत ही अधिक है। दरों में कमी करके हम देश के लघु अथवा कुटीर उद्योगों को काफी प्रोत्साहन दे सकते हैं। घरों में लोग बिजली जलायें, उसके लिए भी बिजली का दर कम करना चाहिए। ऐसा करते हुये यदि हमें कुछ घाटा भी रहे तो हमें यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि घाटा नहीं होता तो छोटे उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाये। इस प्रकार हम इस दिशा की काफी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं।

इसके साथ ही जो कर्मचारी बिजली उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, विधान द्वारा उनकी सेवाओं की रक्षा होनी चाहिये और लाभाशों द्वारा उन्हें मुनाफे का भाग दिया जाना चाहिए। कई निकाय ऐसा कर भी रहे ह। उपभोक्ताओं की सहायता के लिए विधान द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। गैर-सरकारी व्यवस्था में भी इसके लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए। छठी अनुसूची में व्यवस्था है कि यदि मुनाफे विशेष सीमा से ऊपर हो जाय, तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। और उन्हें उनके दिये हुये कुछ पैसे वापिस दे देने चाहिए। कई बिजली निकायों के मुनाफा बहुत अधिक हैं और वे चालाकी से उन्हें इधर उधर कर जाते हैं। विधान द्वारा इसके लिए कोई कड़ी व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें काफी सुधार किया गया है, परन्तु मैं मंत्री महोदय पर जोर दूंगा कि उन्हें शीघ्र ही एक अन्य विधान प्रस्तुत करना चाहिए जिसके द्वारा बिजली कर्मचारियों और छोटे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वह सदन के धन्यवाद के पात्र होंगे और सदन के इस पक्ष का उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब स्पीकर साहब, जहां तक इस एमेंडिंग बिल का ताल्लुक है, इसमें, कितनी ही ऐसी प्राविजंस (उपबन्ध) हैं जो आज जो मौजूदा हालत है, उस पर इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आज एक आम शिकायत इस हाउस में और देश के अन्दर भी सुनने को मिलती है, उसके बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि इस बिल को उस एंगल (दृष्टि) से तैयार नहीं किया गया है। इसमें शक नहीं कि इस बिल के जहां तक स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स ऐंड रीजंस का ताल्लुक है वे बहुत अच्छे हैं और पांच छः मामलों में इस बिल के प्राविजंस को पढ़ने से मालूम होता है

कि इम्प्रूवमेंट मौजूद है। मसलन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जो नए अखत्यारात दिये गये हैं वे फिल-वाका सेफ्टी के वास्ते भी अच्छे हैं और दूसरे लिहाज से भी अच्छे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी कद्र कंज्यूमर्स (उपभोक्ता) को भी रियायत दी गई है इस सैंस में कि जहां पहले इलक्ट्रिसिटी लेने के वास्ते जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन मेंस मौजूद नहीं हैं कम से कम छः आदमियों की दरख्वास्त जाना जरूरी था अब छः के बजाय दो आदमी अगर दरख्वास्त दें तो उनको बिजली मिल सकती है। इसका स्वागत किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे यह लाजिक नजर नहीं आया कि छः के बजाय दो आदमी करने से किस तरह से ज्यादा फायदा मुम्किन है। पहले उसको यह जहमत उठानी पड़ती थी कि वह पांच आदमियों को और शामिल करे, अब यह जहमत कुछ कम हो गई है। यह भी ठीक है कि जो कंडिशंस पहले थीं, उनको भी किसी कद्र नर्म किया गया है लेकिन अब भी जो कंडिशन है वह इतनी सख्त है कि आम तौर पर आदमी इससे फायदा नहीं उठा सकेगा।

दूसरी बात जो मैं नहीं समझा वह यह है कि यहां पर कंडिशन लगाई गई है कि १५ परसेंट आफ दी कास्ट उनको अदा करनी पड़े, जो दरख्वास्त देंगे, चाहे वे दो आदमी हों या ज्यादा आदमी हों। यह जो दो आदमी होने की कम से कम शर्त लगाई गई है, यह क्यों लगाई गई है? जहां पर एरिया आफ सप्लाई है, वहां पर अगर एक आदमी भी दरख्वास्त देना चाहे और वह कंडिशंस भी पूरी कर दे जो लगी हुई हैं जैसे दो बरस तक उसको इलक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी वगैरह तो कोई वजह नहीं कि उसको बिजली से महरूम किया जाये। एक आदमी के लिये भी वही रियायत होनी चाहिये जो रियायत कि आप दो आदमी होने पर देते हैं। जिस लाजिक पर आप दो को बिजली देते हैं उसी लाजिक पर एक को भी बिजली मिलनी चाहिये। जब आप कंडिशंस रिलेक्स नहीं करते हैं, आप सिक्योरिटी रखते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप छः से दो के बजाय छः से एक न कर दें। आपकी कंडिशंस एक आदमी उसी तरह से पूरी करता है जिस तरह से दो करते हैं।

म यह भी चाहता हूं कि आप कोई तरीका निकालें जिससे कि जो १५ परसेंट आफ कास्ट है यह कंज्यूमर के जिम्मे न पड़े। आप जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली देना चाहते हैं वह अच्छा है और इस एम से कोई मतभेद नहीं रखता। लेकिन जो लोगों का आप फायदा करना चाहते हैं वह फायदा इस तरह से नहीं हो सकता है। जब आप सभी को बिजली की सुविधा मुहैया करना चाहते हैं तो जो शुरू में दरख्वास्त देता है उसी पर सारा भार डालना कहां तक जायज है? मैंने देखा है कि आपके एडवाइजरी बोर्ड ने एक जगह पर तजवीज पेश की थी कि सारे का सारा खर्चा और तरह से वसूल किया जाये और यह जो शर्त है यह हट जाये। अब गवर्नमेंट इस बिल को ज्वायंट कमेटी के पास भेज रही है और मैं समझता हूं कि वह कमेटी इस पर अवश्य विचार करेगी लेकिन वह कमेटी भी इस बारे में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को ही कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये ताकि जो बिजली आप घर घर में पहुंचाना चाहते हैं उससे लोग फायदा उठा सकें।

आपने थोड़ी सी रियायतें कंज्यूमर्स को भी दी हैं और उनके कुछ अखत्यारात भी बढ़ाये हैं। इसके लिये मैं आपको मुबारिकबाद देता हूं। । आपने कंज्यूमर्स को कुछ हकूक लाइसैंसीस मुताल्लिक और साथ ही साथ गवर्नमेंट इलक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के मुकाबले में तथा दूसरे बोर्ड्स के मुकाबले में दिये हैं और उनकी वही आबलीगेशंस कर दी हैं। सो फार सो गुड। लेकिन असल सवाल इससे हल नहीं होता है। उसका हल इस तरह से नहीं हो सकता कि लाइसेंसीज के खिलाफ गवर्नमेंट एकशन तो ले ले लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंटस हैं और जो उनके बोर्ड हैं, उनके खिलाफ कौन एकशन लेगा। वहां तो उनकी मोनोपोली है, जो चाहेंगे करेंगे, जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे, हमें मालूम है कि जो बड़े बड़े अफसरान हैं और जो अपना ताल्लुक कम्पनीज के साथ बनाये रखते हैं वे किस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तरह की जायज और नाजायज बातें करवाते हैं। वे किस तरह से मनमानी करते हैं और किस तरह से काम करवाते हैं यह आप से भी छिपा हुआ नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि यह चीज़ मिनिस्टर साहब को मालूम है या नहीं लेकिन यहां पर यह लिखा हुआ है कि उनको और भी पावर्स दे दी गई हैं। मैं भी एक इलक्ट्रिसिटी कम्पनी का २५ बरस से डायरेक्टर हूं। मुझे मालूम है कि किस तरह से लोग कम्पनी पर दबाव डालते हैं। अब आप इस बिल की क्लाज़ १५ में जो नया सेक्शन २२(ए) ओरिजनल एक्ट में बढ़ाने जा रहे हैं और जिस के द्वारा आप नई पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को देने जा रहे हैं उनका एक चीज़ के बारे में मैं स्वागत करता हूं। आपने लिखा है कि जो लाइफ आफ दी कम्युनिटी के लिये जरूरी है उसको प्रेफ्रेंस दी जा सकती है। इसकी कोई मुखालिफत नहीं करता। लेकिन बाकी मामलों में जो प्रेफ्रेंस दी गई है, उस पर मुझे एतराज़ है। महज़ इसलिये प्रेफ्रेंस दी जाए कि यह गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का होटल है या गवर्नमेंट के अफसरों के ठहरने की जगह है, इस बिना पर कि यह गवर्नमेंट का है, कतई नाजायज है। हमने सारे अंडरटेकिंग्स के बारे में यह एक फंडेमेंटल उसूल माना हुआ है कि किसी को कोई रियायत नहीं दी जायेगी। रेलवे के बारे में हमने कहा है कि सिवाय एमरजेंसी के वे कोई रियायत नहीं दिखा सकती हैं। सिर्फ एमरजेंसी में ही वे कोई रियायत दे सकती हैं। यहां पर भी अगर एमरजेंसी में कोई रियायत देने की बात हो तो मैं उस पर एतराज नहीं करूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है कि जो चीज़ लाइफ आफ दी कम्युनिटी के लिये जरूरी है, उसको प्रेफ्रेंस दी जाये। लेकिन उसको जनरल बना देना और गवर्नमेंट को इस तरह अख्त्यार देना कि इसी को बहाना बना कर वह जो चाहे कर ले, मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। इसका मतलब तो दूसरों का गला घोंटना हुआ। इस तरह से अनड्यू फायदा उठाया जाये और अनड्यू हार्डशिप पब्लिक को हो, इसके सीड्स इसमें मौजूद हैं। यह मुनासिब नहीं है। पब्लिक के साथ इस तरह का डिसक्रिमिनेशन (भेदभाव) करना वाजिब नहीं है किसी भी (यूटिलिटीं) (उपयोगिता) कंसर्न में।

मैं मानता हूं कि चन्द बातों में यह बिल मुफीद है। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि जिस तरह से थोड़ा अर्सा हुआ इस हाउस के अन्दर आप एक शिपिंग बिल लाये थे और उस पर आपने एक सिलेक्ट कमेटी भी बिठाई थी और उस कमेटी को यह अख्तयार दिया था कि वह एम्स एंड आबजैक्टस को देखते हुये उस बिल पर विचार करे और उसको प्राप्त करने के तरीके सुझायें और उसमें तरमीम भी करें, उसी तरह से इस बिल के बारे में किया जाना चाहिये था। उस कमेटी के जो अख्तयारात थे वे बहुत बड़े थे और उससे कहा गया था कि वह तमाम जरायें अख्तयार करे जहां तक उस बिल के एम्स को पूरा करने का ताल्लुक है। इस बिल के बारे में ऐसा ही किया जाना चाहिये था। इस बिल पर भी आप एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और उसके अधिकार भी काफी वसीह होने चाहियें। उसको यह अधिकार होना चाहिये कि इसके जो एम्स एंड आबजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के तरीके बतलाये और तरमीमें करें।

इस बिल के जरिये जो १९१० का बिल है, उसको आप एमेंड करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश में आप बिजली के बारे में सहूलियतें मुहैया करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में वह एम और आबजैक्ट और एंगल और विज़न आफ़ एप्रोच मैं इस बिल में नहीं देखता हूं। मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी शिपिंग बिल की बेसिस पर नये सिरे से इस पर विचार करे और जो इलक्ट्रिसिटी का बैस्ट यूज है उसको ब्रिंग एबाउट करने के लिये क्या कुछ किया जाना चाहिये यह हमें बताये और तरमीमें पेश करे। इसमें यह भी होना चाहिये कि प्रेफ्रेंस दिया जाये उन चन्द चीजों को जिन के अन्दर इलैक्ट्रिसिटी का बैस्ट यूज हो सकता है। आज बिजली पुराने जमाने की तरह उन चीजों में नहीं रही है जो कि आम

इस्तैमाल में न आती हों। अब इसको पहले चन्द इंडस्ट्रियल कंसर्न ही इस्तैमाल नहीं करते। आज बिजली इतनी ही जरूरी हो गयी है जितना कि पानी और हवा। इसलिये आज बिजली के मामले में लोगों के हुकूक इसी बेसिस पर डिटरमिन किये जाने चाहियें जैसे कि दूसरी इंसानी जरूरियात के लिये। इस वास्ते मैं यह चाहता हूं कि इस बिल में एक ऐसी दफा होनी चाहिये जिसमें यह बतलाया जाय कि बिजली का बैस्ट यूज़ क्या है। मैं समझता हूं कि मौजूदा जमाने में बिजली का बैस्ट यूज एग्रीकल्चर की मदद के लिये होना चाहिये। दूसरा दरजा मैं चाहता हूं कि स्माल और कोटेज इंडस्ट्रीज़ को दिया जाये ताकि देश की अनएप्लायमेंट दूर हो सके जिसकी वजह से कि देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और मैं चाहता हूं कि तीसरा दरजा बिग इंडस्ट्री को, ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को, दिया जाय और आखिर में बिजली लाइटिंग, फैन्स वगैरह के लिये दी जाये। मैं इस बिल में यह चीज नहीं देखता। हम देखते हैं कि जिस बिजली को हम किसी जमाने में दूसरा दरजा देना चाहते थे उसने आज पहला दरजा हासिल कर लिया। जब हमने हीराकुड, डी०वी०सी० और भाखरा डैम को शुरू किया था तो हमारी यह नीयत थी कि इनसे ज्यादा से ज्यादा पानी देने का इन्तिजाम किया जायगा। बिजली को दूसरा दरजा दिया था। लेकिन अब इन तीनों जगह बिजली को वह जगह मिल गयी है जो कि पहले हमको मकसूद नहीं थी। अब बिजली को बहुत ज्यादा फोकियत हासिल हो गयी है। अब बिजली बहुत ही जरूरी चीज बन गयी है। लेकिन आपने भाखरा की बिजली का क्या इस्तैमाल किया। आपने वायदा किया था कि आप भिवानी के इलाके में ट्यूब वैल लगायेंगे और बिजली की मदद से उनको चलाकर वहां पानी का इन्तिजाम करेंगे। लेकिन आपने आज तक ऐसा नहीं किया। आपका प्लान था कि भाखरा डैम से जो बिजली पैदा की जायगी वह राजस्थान को भी दी जायगी। उसी रास्ते में लुहारू का इलाका भी पड़ता है। अगर आप राजस्थान को बिजली देते और साथ साथ लुहारू में भी ट्यूब वैल लगाकर पानी का इन्तिजाम करते तो बहुत ज्यादा पैदावार होती। हालांकि इस काम के लिये ६५ लाख रुपया मंजूर भी किया गया था लेकिन आज तक न राजस्थान को बिजली मिली और न लुहारू के इलाके को जिससे कि वहां के लोगों को फायदा पहुंचता। जब भाखरा डैम की बिजली का किस्सा हुआ तो बड़े भारी वायदे किये गये थे हमारे तरफ के लोगों से। एक मिनिस्टर साहब गुड़गांवां पहुंचे। वहां का पानी का किस्सा बहुत अरसे से आपको रूबरू चला आता था। आज तक उस इलाके को पानी नहीं मिला है। मिनिस्टर साहब ने वहां जाकर कहा कि तुम परवाह मत करो। अब यहां बिजली बनेगी उसके जरिये नहर से भी सस्ता पानी तुमको दिया जायगा। उन्होंने वायदा किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा उसको गवर्नमेंट सबसिडी देगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि वह सफेद झूठ निकला। आप देखें कि इस इलाके में एक गरीब आदमी को न पानी मिलता और न बिजली मिलती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब आदमी के लिये दफा १४ कांस्टीट्यूशन एक्ट का क्या इस्तैमाल किया जा रहा है। पहली फाइव इअर प्लान के वक्त हमने सुना था कि जब सैकिंड फाइव इअर प्लान आयेगी तो दफा १४ का इस्तैमाल बैकवर्ड इलाकों के लिये होगा। लेकिन जिन इलाकों में अभी तक गवर्नमेंट पानी नहीं दे सकी है उनके साथ इन्साफ करना चाहिये। अगर आप वहां नहरों से पानी नहीं दे सकते तो ट्यूब वैल बनाकर बिजली के जरिये पानी देना चाहिये ताकि वहां के लोग भी खुशहाल हो सकें और ज्यादा अनाज पैदा कर सकें। मुझे यह अर्ज करने में जरा भी तअम्मुल नहीं है कि आपने यह नहीं सोचा कि बिजली का बैस्ट यूज क्या होना चाहिये। मेरी नाकिस राय में तो उसका बैस्ट यूज़ यही हो सकता है कि उसको एग्रीकल्चर के वास्ते काम में लाया जाय। उसके बाद दूसरा जरूरी यूज़ यह हो सकता है कि बिजली को स्माल और काटेज इडस्ट्रीज़ के लिये दिया जाय और बाद में बिग इंडस्ट्री को देना चाहिये। बिग इंडस्ट्री तो खुद अपना इन्तिजाम कर लेती है। आपकी जो तमाम डी० बी० सी० की बिजली पैदा हो रही वह बिग इंडस्ट्री ही को तो जा रही है। बिग इंडस्ट्री तो अपना इंतिजाम खुद कर लेती है। गवर्नमेंट को तो यह देखना चाहिये

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि स्माल इंडस्ट्री, को बिजली मिले। हम अम्बर चरखे का बहुत शोर सुनते थे, पर अब नहीं सुनते। अगर उसको बिजली से चलाया जाता तो बेरोजगारी का मसला बहुत हद तक दूर हो जाता। इसलिये मैं चाहता हूं कि दूसरी प्रायरिटी स्माल इंडस्ट्री को दी जाय। यह चीज़ इस सारे बिल में नहीं दिखायी देती।

मैंने इस अमेंडिंग बिल का मुकाबला पुराने ऐक्ट से किया है। मैं देखता हूं कि दस या १५ सेक्शन को छोड़ कर बाकी हर एक सेक्शन को आपने अमेंड किया है। ऐसा अमेंडिंग बिल लाने का क्या मतलब जब कि पिछले ऐक्ट का हर एक सेक्शन अमेंड किया गया हो। इससे तो अच्छा होता कि आप नया बिल लाते जिससे कि कोई नतीजा निकलता। मैं चाहता हूं कि इस बिल को अच्छा और बामानी होने के लिये यह जरूरी है कि इसमें यह बतलाया जाये कि बिजली का बैस्ट यूज़ क्या होना चाहिये।

इस के अलावा इस बिल में कंज्यूमर्स की उन तकलीफों को दूर करने के वास्ते भी प्रावीजन नहीं हैं जिनकी वजह से उनको लाइसेंसी की तरफ से परेशानी रहती है। इस तरफ भी तवज्जह नहीं दी गयी है। इसलिये मैं दो तीन खास चीजों की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

पहला सवाल जिसकी तरफ मैं खास तौर से सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह सरविस लाइन का सवाल है। यह सही है कि इस मामले में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन वह काफी नहीं है। एक गरीब आदमी के रास्ते में जो कि किरायेदार है अभी भी बिजली लेने में बड़ी रुकावटें हैं। उससे डिस्ट्रीब्यूशन मेन का १५ परसेंट कास्ट मांगा जाता है। सिलेक्ट कमेटी को सोचना चाहिये आया सबसिडी के जरिये या किसी और सिस्टम के जरिये इस कास्ट को कम किया जाये और जितने आदमी इस लाइन से फायदा उठायें उन सब पर यह कास्ट बट सके। ऐसी कोई तजवीज होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि यह कास्ट कम से कम हो। मैं यह भी जानता हूं कि दोनों तरफ मुश्किल है। एक तरफ तो हम यह नहीं कह सकते कि कंट्रक्टर कितने वक्त तक बिजली लेगा और दूसरी तरफ हम यह भी नहीं चाहते कि लाइसेंसी इसका ज्यादा फायदा उठा ले। तो मैं चाहता हूं कि कोई एसा साल्यूशन निकालना चाहिये कि जिससे यह खरचा कम से कम हो सके अगर पूरा एलिमिनेट नहीं हो सकता है।

दूसरे कंज्यूमर्स को मीटर की वजह से तकलीफ होती है। लाइसेंसी मीटर का बहुत ज्यादा किराया लेते हैं। कुछ अरसा हुआ कि एक मीटर १६ रुपये का आता था पर किराये में इससे कई गुना ज्यादा ले लिया जाता है। एक दिक्कत और यह है कि मीटर लाइसेंसी का लगता है पर अगर खर्च करने वाले को यह शक हो कि मीटर ठीक न होने की वजह से उसे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो मीटर की जांच के लिये उसको काफी पैसा देना पड़ता है। कुछ कम्पनियों ने इस के लिये दस रुपया मुकर्रर कर रखा है, कुछ ने तीन रुपया। यह बहुत ज्यादा है। इसलिये कोई ऐसा तरीका होना चाहिये कि इन मीटर्स का कुछ अरसे के बाद चैकिंग हुआ करे और यह देखा जाये कि वे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। आजकल अगर कोई मीटर की जांच के लिये दरखास्त देता है तो उसको काफी रुपया खर्च करना होता है। यह प्राहिबिटिव है।

इसके अलावा जो कंज्यूमर अपना प्राइवेट मीटर लगाना चाहें उनको ऐसा करने की इजाजत होनी चाहिये। उन लोगों को कम्पनी का मीटर लगाने के लिये कम्पैल नहीं किया जाना चाहिये। कानूनी हैसियत तो अब भी यह है कि अगर कोई शख्स अपना मीटर लगाना चाहे तो वह लगा सकता

है, लेकिन यह चीज प्रेक्टिस में नहीं है। इसलिये सिर्फ कानून होना ही काफी नहीं है। इस तरह की प्रेक्टिस भी होनी चाहिये कि अगर कोई चाहे तो अपना मीटर लगा सके।

एक्सपेंसिज़ आफ दि सर्विस लाइन और मीटरों के अलावा एक बड़ी भारी दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट उस की जेनीरेशन की कास्ट के मुकाबले में बड़ी एग्जार्बिटेंट है। इस हाउस में आज और कल कुछ फिगर्ज़ इसके मुताल्लिक दी गई थीं, जिन से यह पता चलता है कि जेनीरेशन की कास्ट तो कुछ भी नहीं होती है। मैंने दिल्ली की इलैक्ट्रिसिटी के बारे में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में बताया गया कि जेनीरेशन की कास्ट बिल्कुल इनसिग्नीफिकेंट है। जहां तक मुझे इल्म है, दिल्ली में और शहरों के मुकाबले में बिजली का खर्च बहुत कम है। कई शहरों में आठ आने फी यूनिट तक लिया जाता है। प्राम्प्ट पेमेंट के लिये एक आना की रियायत दी जाती है। ऐसे भी इलाके हैं, जहां एक रुपया, सवा रुपया फी यूनिट तक लिया जाता रहा है और हो सकता है कि आज भी लिया जाता हो। सवाल यह है कि इसको कैसे बन्द किया जाय। सच तो यह है कि आज कास्ट आफ जेनीरेशन और कास्ट आफ सप्लाई में यानी कनज्यूमर्स को जिस कीमत पर बिजली दी जाती है, उस में इतना तफावुत है कि गवर्नमेंट को इस सारी प्राबलम का प्रोव करना चाहिये कि किस तरह से लोगों को सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सस्ती बिजली पैदा करना और सप्लाई करना इतनी बड़ी प्राबलम है कि आप अगर इस प्राबलम को साल्व कर दें, तो बाकी की प्राबलम्ज़ साल्व हो जाती हैं। जब तक यह साल्व नहीं होती, तब तक आप लोगों को किस तरह सस्ती बिजली दे सकेंगे, यह बात समझ में नहीं आती। मैं तो नहीं जानता कि इसमें कबाहत क्या है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन इस में जरूर कोई ऐसा स्नैग है, जिस की वजह से गवर्नमेंट इतना ज्यादा चार्ज करने के लिये मजबूर है। गवर्नमेंट प्राइवेट कम्पनियों को कैसे मजबूर कर सकती है, जब कि उसके रेट्स प्राइवेट कम्पनियों के रेट्स से कहीं ज्यादा हैं। हम देखते हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट का ट्रेंड प्राइवेट कम्पनियों को अपने हाथ में लेने का है। मैं इसको बुरा नहीं समझता हूं। अगर गवर्नमेंट को कोई चीज अपने हाथ में लेनी चाहिये, तो वह इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है और उसे अपने हाथ में लेकर उसे खुद चलाना चाहिये। लेकिन दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट के मुकाबले में प्राईवेट कम्पनियां सस्ते तौर पर काम करती हैं, उनके रेट्स गवर्नमेंट से कहीं नीचे हैं और उनकी सर्विस ज्यादा एफिशेंट है। सारे कन्ट्री में पालिसी तो यह होनी चाहिये कि आहिस्ता आहिस्ता सब प्राईवेट कम्पनीज़ को गवर्नमेंट अपने हाथ में लेले, बशर्ते कि बिजली सस्ती हो और सर्विस एफिशेंट हो। ये दोनों कन्डीशन्ज बहुत मुश्किल हैं। अगर ये शर्तें पूरी हो जायें, तो फिर यह काम गवर्नमेंट को खुद चलाना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट न तो सस्ती बिजली देती है और न ही उसकी सर्विस एफिशेंट और इसके बावजूद लगातार कानून बनते जा रहे हैं, जिन के जरिये कम्पनीज़ को अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सके, उनको तकलीफ दी जा सके और उनको रेवोकेशन वगैरह की धमकी दे कर एक खास तरीके से बरतने पर मजबूर किया जा सके। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह पालिसी ठीक नहीं है।

बिजली बनाने का हमारे देश का पोटेंशिएल बहुत बड़ा है, जिस का इस्तेमाल करने पर हमारे देश को बहुत फायदा हो सकता है। इस हालत में मुझे अपनी हैल्पलैसनेस और गवर्नमेंट की हैल्पलैसनेंस देख कर बड़ा अफ़सोस होता है कि इस पोटेंशिएल का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पाटिल साहब ने एक और मौके पर बताया था कि मध्य प्रदेश में एक दरया है, जिस के ज़रिये बिजली पैदा कर के सारे हिन्दुस्तान को दी जा सकती है। यह बात उन की स्पीच में दर्ज है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में लोहे के तीन तीन कारखाने लगाए जा रहे हैं, दूसरे कारखानों का भी कोई ठिकाना

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नहीं है, तो फिर ऐसे एक्सेसेरीज़ और इम्पलीमेंट्स वगैरह क्यों नहीं तैयार किए जाते जिन से इलैक्ट्रिसिटी का काम आगे बढ़े, जिन से लोगों को बिजली सस्ती मिल सके। मैं तो यह चाहूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी के मुताल्लिक जो भी प्राग्रेस हमारे देश में हर साल हो, उसको बाकायदा हाउस के सामने रखा जाना चाहिए।

जनाब, साइन्स में कहा जाता है कि गर्मी को बिजली में और बिजली को गर्मी में बदला जा सकता है। वाटर भी वहां होता है और वहां साउंड भी निकलती है—वे एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। उस का एक तरीका तो मैं जानता हूं। बैकवर्ड एरियाज़ में इलैक्ट्रिसिटी के ज़रिये कुओं से पानी निकाला जा सकता है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में जितने बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उन के जानिब सब से पहले तबज्जह दी जाय और इलैक्ट्रिसिटी के ज़रिय सब से पहले ज़मीन से पानी निकाला जाय क्योंकि उस का सब से पहला सब से जायज और सब से एफिशेन्ट इस्तेमाल यही है और इसी से बैकवर्ड एरियाज को तरक्की करने का मौका मिलेगा। हम ने कई बार पहले भी कहा है कि कांस्टीच्यूशन की दफ़ा १४ पर पूरी तरह अमल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि उस को पूरा करने के लिए कदम उठाए जायें। बैकवर्ड एरियाज में बिजली पहुंचा कर आप इस दफा के मकसद को पूरा कर सकते हैं।

मेरे कुछ दोस्त दफा ७ और ७ए में, जो कि कम्पनीज को मुआवजा देने के मुताल्लिक है, तब्दीली करना चाहते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो तरीका १९१० से चला आया है, वह बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब है और हिन्दुस्तान के मोजूदा हालात में फेयर मार्केट वैल्यू के तरीके के अलावा और कोई तरीका मुनासिब नहीं है। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने इस को रखा है। यह मुश्किल नहीं है।

१९४८ के इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में आप ने पांच परसेंट से ज्यादा डिविडेंड देने की ममानत की है। रीज़नेबल रिटर्न की तारीफ इस में मौजूद नहीं है।

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): वह है, लेकिन वह अलग चीज़ है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं बहुत अर्से से देख रहा हूं। मैं भी पच्चीस बरस से ज्यादा अरसे से एक इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी का डायरेक्टर हूं। मैं जानता हूं कि पांच परसेंट से ज्यादा मुनाफा नहीं दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम बहुत ज्यादा मुनाफा हड़प कर जाते हैं। मुझे कभी भी इस का पता नहीं लगा, हालांकि मैं इतने अरसे से इन हिसाबात को देखता आया हूं। यह एक सफिशेन्ट सेफगार्ड है कि पांच परसेंट से ज्यादा डिविडेंड नहीं बांटने दिया जाता है, लेकिन अगर एक्चुअल एक्सीक्यूशन में कोई खराबी है, तो उस को आप टाइट कर दीजिए। आप पांच परसेंट का प्राफिट दीजिए और बाकी का इस्तेमाल इंडस्ट्री और कनज्यूमर्ज को फायदा पहुंचाने के लिए कीजिए। यह उसूल ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आखिर में मैं यह अर्ज करूंगा कि मेरी असल शिकायत यह है कि इस एक्ट में एम्ज एंड आबजेक्ट्स नहीं रखे गये हैं और एडवाइजरी बोर्ड को काफी पावर्ज नहीं दी गई हैं। उसमें कनज्यूमर्ज का रेप्रेजेन्टेशन नहीं है। जो कि बहुत जरूरी है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब अमेंडिंग बिल्ज का जमाना नहीं है, जो कि निस्फ सदी के बाद पेश किए जाते हैं। अब मुकम्मल और नए बिल पेश करने का वक्त है। मैं चाहता हूं कि इस बिजली को सिलेक्ट कमेटी में री-आरियन्टेट कर के वापिस इस हाउस में लाया जाय, ताकि हम को तसल्ली हो कि इस बहुत बड़ी पावर से हिन्दुस्तान की सारी जनता और खासकर बैकवर्ड एरियाज की तरक्की के लिए फायदा उठाया जायगा और इस देश की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए भी उस से मदद ली जायगी।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है, इसलिए इस के सम्बन्ध में जो ब्यौरे की बातें हैं, उन में इस समय मैं जाने का प्रयत्न नहीं करूंगा। जहां तक उपभोक्ताओं को अधिक सुविधायें देने का सवाल है, यह विधेयक थोड़ी दूर तक स्वागत के योग्य है। लेकिन और भी ऐसी सुविधायें हैं, जिन के सम्बन्ध में इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकार अभी बिजली के उत्पादन, उस के समुचित वितरण और उस के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई स्थिर नीति निर्धारित नहीं कर सकी है और इसलिए समय समय पर टुकड़ों के रूप में विधेयक पेश किए जाते हैं, जो उद्देश्य का पूरा नहीं करते। इस विवाद में बिजली उद्योग के, जो कि निजी हाथों में है, राष्ट्रीयकरण करने का भी सवाल उठाया गया है। मुझे भय है कि मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। अनुभव ऐसा है कि सरकार ने जहां जहां कम्पनियों को अपने हाथ में लिया है जैसे कानपुर में, वहां दर भी बड़ी है, उपभोक्ताओं की कठिनाइयां भी बड़ी हैं और बिजली का विस्तार करने में जैसी तत्परता दिखाई जानी चाहिये उसका भी अभाव रहा है। राष्ट्रीयकरण हमारे राष्ट्र की सभी समस्याओं का सभी रोगों का रामबाण इलाज नहीं है। जहां राष्ट्रीयकरण आवश्यक है वहां किया जाए, जहां उसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि बिजली के सम्बन्ध में, वहां नहीं किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि जिन व्यक्तिगत हाथों में बिजली का उद्योग है, उन पर नियंत्रण किया जाए, उनका नियमन हो और हम इस बात को देखें कि वे उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करें। लेकिन इस सम्बन्ध में शासन के हाथ में एकाधिकार आना अनुपयुक्त है, असामयिक है, आर्थिक दृष्टि से भी और प्रशासन की दृष्टि से भी। वैसे हम जो बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, नए बांधों के द्वारा, जल योजनाओं के द्वारा, वह सारी बिजली शासन के प्रभुत्व में है, उसका वितरण भी शासन के साथ में है और मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस बिजली के वितरण की जो व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है।

बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए। बिजली की लाइनें राष्ट्र के जीवन में वही स्थान रखतीं हैं जो पुरुष के शरीर में अंगों का होता है। रगों से खून दौड़ता है और बिजली की तारों से जीवन की गति दौड़ती है। सम्पूर्ण देश में हम बिजली की तारों का जाल फैलायें, औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यह आवश्यक है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूरी है कि हम जो बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उसका लाभ उस वर्ग को मिलना चाहिए जो शताब्दियों से दरिद्रता के अन्धकार में पड़ा है। आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां सूर्य छिपते ही जीवन की गति बन्द हो जाती है, मौत का अंधेरा छा जाता है, सारा कार्यकलाप समाप्त हो जाता है। उन गांवों में बिजली पहुंचाने और उन गांवों

[श्री वाजपेयी]

में रहने वालों को सस्ती दर पर बिजली प्रदान करने की ओर शासन को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना उसने नहीं दिया है।

मैंने अपने क्षेत्र में देखा है और मेरे मित्र श्री सिंहासन सिंह जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसान इतने गरीब हैं कि वे घर में बिजली लगवाना तो अलग रहा बिजली से प्राप्त होने वाला पानी भी दर की वृद्धि के कारण नहीं ले सकते हैं। और यह स्थिति तब है जबकि दर में एक आने की कमी कर दी गई है। शासन ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो सिंचाई की सुविधायें विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध की गई हैं, किसान उनका पूरा लाभ नहीं उठाते हैं। इसका अगर सब से बड़ा कोई कारण है तो यह है कि उनके पास ट्यूबवेल का पानी लेने के लिए जितनी धनराशि होनी चाहिये, उतनी नहीं होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बिजली को गांवों की ओर ले जाने को प्राथमिकता दें, गृह उद्योगों को विकसित करने के लिए जिस से बेकारी का निराकरण किया जा सकता है, बिजली का सब के लिए सुलभ होना, सस्ता होना बहुत आवश्यक है, इसके साथ ही साथ बिजली की दर घटाने पर भी विचार होना चाहिए। जैसे पंडित ठाकुर दास भार्गव कह रहे थे, १२ आने यूनिट, एक रुपया यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है । ग्रामीण इस भाव पर बिजली से लाभ उठा नहीं सकते हैं, किसान उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और परिणाम यह है कि बिजली से जो लाभ हो रहा है वह नगरों तक ही सीमित रहता है या सीमित है, जहां पहले से ही बिजली उपलब्ध है। नगरों की बिजली की चमक बढ़ती जा रही है लेकिन गांवों के अंधेरे में भी वृद्धि हो रही है। यह समाजवादी समाज के ढांचे का आदर्श नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करे।

मुझे यह देख कर खेद हुआ है कि इस विधेयक में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं। यह विधेयक उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है। आपको एक ऐसा समन्वित और विस्तृत विधेयक लाना चाहिये था जिस में इस बात का भी पूरा विचार किया जा सकता।

इस विधेयक के अन्तर्गत स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस और स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल बाडीस का जो विभागीकरण किया गया है, मैं समझता हूं वह ठीक है। अगर व्यक्तिगत प्रयत्न से कोई बिजली के कारखाने चलते हैं तो उन्हें सरकार सीधे अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे, उसमें क्षतिपूर्ति की समस्या पैदा होगी, व्यक्तिगत हाथों में पड़े हुए धन को हमें बाहर लाना है और जहां पर व्यक्तिगत धन लगा हुआ है, उसको अपने हाथ में लेकर अपने राष्ट्रीय धन को उसमें फंसा दें, मैं समझता हूं कि यह कोई सामयिक नीति नहीं होगी।

इसके साथ ही जहां तक बिजली के उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में यह संशोधन किया गया है कि अगर कोई पहले बिजली ले तो जो बिजली लगाने में खर्चा होगा उसके लिए अब छः आदमियों की आवश्यकता नहीं होगी, केवल दो ही आदमियों की आवश्यकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह दो आदमियों का प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है। जो भी धनराशि जमा की जाएगी वह एक व्यक्ति करा सकता है और उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह का संशोधन

किया जाए जिस से एक ही व्यक्ति अगर चाहे तो बिजली प्राप्त कर सके। १५ फीसदी जो खर्चे की बात है उसके लिए जो पहले बिजली लेगा, वह एक प्रकार से उसके लिए दंड होगा। होना तो यह चाहिये कि उसे कुछ सुविधा मिले। अब यह होगा कि मुहल्ले के लोग ऐसे होंगे कि जो यह बाट देखते रहे कि पहले कोई दूसरा व्यक्ति बिजली ले और वे देर से लें ताकि उनको फायदा हो सके और जो दूसरा व्यक्ति है वह दंड का भागी बने। मैं समझता हूं यह स्थिति ठीक नहीं है। इसके सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक किरायेदारों का सवाल है जो संशोधन किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अनेक राज्यों में ऐसे कानून हैं किरायेदारों और मालिक मकानों के बारे में कि जो उस संशोधन से जो हम इस विधेयक में कर रहे हैं, प्रभावहीन हो सकते हैं और किरायेदारों को जो हम सुविधा देना चाहते हैं वह सुविधा उनको न मिले। मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति इन सारी बातों पर विचार करेगी।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन बिजली के उत्पादन, उसके वितरण और उसके उचित मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करे जिस से ग्रामों में विशेषकर ग्रामोद्योगों के लिए और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए सस्ते दर पर बिजली सुलभ करने का प्रबन्ध हो सके।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया) : यद्यपि यह विधेयक व्यापक नहीं है फिर भी उसमें काफी बातें आ गयी हैं। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में एक दो बातों पर जोर देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि संयुक्त प्रवर समिति को इस मामले में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कुछ विचार करना चाहिए। देहाती क्षेत्रों को कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई एक राज्यों की भी नितान्त उपेक्षा कर दी गयी है। बिहार, उत्तर बिहार विशेष रूप से, एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी उपेक्षा की गई है । यद्यपि दामोदर घाटी परियोजना वहीं है, परन्तु उसका उसे कुछ लाभ नहीं उपलब्ध हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शीघ्र ही बरौनी में एक तापीय संयन्त्र चालू करना चाहिए ताकि उत्तर बिहार को शीघ्र ही कुछ लाभ हो सके।

इस विधेयक के द्वारा शर्तें सरल बना दी गयी हैं परन्तु फिर भी उन्हें और सरल बनाना चाहिए, ताकि देहाती लोग भी बिजली का लाभ उठा सकें और इसी उद्देश्य को सामने रख कर बिजली के दर को भी ७ आना से १० आना प्रति यूनिट से कम करना चाहिए। इतने ऊंचे दरों की बिजली का उपभोग कृषि के लिए नहीं किया जा सकता।

राज्य बिजली बोर्डों की स्थापना करने वाली बात भी बहुत ही प्रशंसनीय है, परन्तु इनमें उन लोगों को भी लिया जाना चाहिए जिनकी रुचि ग्राम कल्याण की ओर भी है। ऐसा न हो कि सभी शहरों का ही ध्यान रखें और ग्राम बासियों के हितों की नितान्त उपेक्षा हो जाये।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : यह जो विधेयक पेश है इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि जो सन् १९१० का ऐक्ट है उसमें तरमीम करके बेहतर बना दिया गया है।

यह ठीक है कि जिस समय सन् १९१० का कानून बनाया गया था उस वक्त बिजली एक लग्जरी की चीज समझी जाती थी। लेकिन समय के प्रवाह से बहुत सारा परिवर्तन हो गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हम राज]

और आज, जैसा कि पंडित ठाकुर दास जी ने कहा है, बिजली जीवन की आवश्यकताओं का अंग बन गयी है। आज हमारी सरकार की तरफ से उपज को बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। और उसके लिये जरूरत इस बात की है कि सिंचाई के लिये बिजली सबसे पहले दी जाये। इस बात का बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है और मैं भी इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाये। आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली का प्रसार ७४०० के करीब देहातों में हुआ था। आप ने जो दूसरी योजना बनाई है, उसमें आप ने अठारह हजार गांवों का टारगेट रखा है, लेकिन हिन्दुस्तान के तमाम देहात की तादाद तो बहुत ज्यादा है, जिन को कि आपने खास तौर पर राहत देनी है। इस विधेयक का उद्देश्य आप ने यह बताया है कि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा राहत और सहूलियत देनी है। इस लिहाज से आपकी पालिसी समझ में नहीं आती। सारे हिन्दुस्तान में साढ़े पांच लाख गांव हैं। और अगर दूसरी योजना में आप ने सिर्फ अठारह हजार गांवों में बिजली ले जानी है, तबतो पूरी सदी गुजर जायेगी और फिर भी सब गांवों में बिजली नहीं पहुंच पायेगी। मैं समझता हूं कि इस लिहाज से हमारी गवर्नमेंट को एक खास पालिसी बनानी होगी कि हम एक खास अरसे में सारे के सारे देहात को बिजली दे देंगे, ताकि भारतवर्ष में इरिगेशन के लिये बिजली का इस्तेमाल हो सके।

इस सम्बन्ध में मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात कहना चाहता हूं। हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों से पानी ले लेते हैं और वे पानी के लिये तरसते रह जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वे लोग पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं और पानी नीचे बह जाता है। उसी क्षेत्र में डैम बनाये जाते हैं और बिजली पैदा की जाती है, लेकिन वहां के लोगों को बिजली मुयस्सर नहीं होती है। अगर उन लोगों को वाटर-लिफ्टिंग के लिये भी बिजली चाहिये, तो भी उन को नहीं मिलती है। वहां के लोग कुर्बानी करते हैं। वहां के लोगों को उन के गांवों से निकाल दिया जाता है, दरबदर कर दिया जाता है, ताकि मैदान के लोगों के लिये बिजली और पानी का इन्तजाम किया जाय। लेकिन अगर उन लोगों की तरफ से पानी और बिजली की मांग की जाती है, तो कहा जाता है कि यह इकानोमिक प्रापोजीशन नहीं है, उस में घाटा पड़ता है, वह पानी और बिजली मैदानों में जायेंगे। एक बार मैंने सवाल किया था कि इरिगेशन परपजिज़ के लिये और काटेज इंडस्ट्रीज़ के लिये बिजली मुहैया करने के लिये क्या किया जा रहा है, तो मुझे बताया गया था कि बिजली के उत्पादन के रेट्स बहुत कम हैं। उनके मुकाबले में जो रेट्स आप उपभोक्ताओं से चार्ज करते हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। उन दोनों दरों में बहुत फर्क है। मैं समझता हूं कि दो बात जरूर होनी चाहिये। एक तो यह कि आप की जो दरें हैं, वे कम होनी चाहियें और वे इस नुक्ता-ए-निगाह से कम होनी चाहिये कि ज़मींदार इतनी जल्दी इतने ऊंचे रेट अदा नहीं कर सकते हैं। वे दरें इस लिये भी कम होनी चाहिये कि आप ने देहात में काटेज इंडस्ट्रीज़ को फैलाना है और उसके लिये भी ज़मींदार उतना पैसा नहीं दे सकता है।

इसके अलावा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज डिफ़रेंट स्टेट्स में डिफ़रेंट रेटस कायम हैं। यह ठीक है कि आप लाइन वगैरह के खर्चे का अन्दाजा कर के रेट फिक्स करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम उन बहुत सी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ में एक रेट लागू करने की कोशिश करनी चाहिये, जो कि इस वक्त काम कर रही हैं। अगर यह मुमकिन नहीं तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन में फर्क कम से कम हो, ताकि कहीं कहीं यह न हो कि रेट उत्पादन-दर से दस बीस गुना हो जाय।

मैंने एक दफा पहले भी पोल्ज़ का जिक्र किया था। आप उन को बाहर से मंगवाते हैं। हमारे यहां जंगलात काफी हैं। और वहां से आप को लकड़ी के पोल्ज़ मिल सकते हैं, लेकिन आप के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फारेस्ट डिपार्टमेंट में कोई को-आर्डिनेशन नहीं

है। चुनाचे होता यह है कि पोल्ज़ बाहर से आने की वजह से लाइन्ज़ का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। लाइन का खर्चा बहुत कम हो सकता है अगर बाहर से पोल मंगवाने के बजाय लकड़ी के पोल देहात में लगाये जायें। मैं प्रवर समिति का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि क्लाज़ ११ में आप ने रख दिया है कि टेनांट अपनी बिजली लगवा सकता है। इस सिलसिले में डिफ़रेंट स्टेट्स में मुख्तलिफ़ कानून हैं। मालिक लगवाना नहीं चाहता और टेनांट लगवाना चाहता है। एक साल के बाद उस को बेदखल कर दिया जाता है, तो फिर सवाल आता है कि खर्चा कौन भरे। यह बात साफ़ तौर पर नहीं लिखी गई है। इस बात पर प्रवर समिति विचार करे और बिल में टेनांट्स के मुताल्लिक भी क्लाज़ रख दिया जाना चाहिये।

आपने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि अगर दो आदमी मान जायें, तो उनको बिजली दे दी जायेगी। अभी तक यह होता रहा है कि अगर पचास आदमी इस बारे में मिल जायें, तो बिजली दी जाती है, वर्ना नहीं। फ़र्ज़ कीजिये कि कांगड़े से होशियारपुर बिजली जा रही है, तो रास्ते के बहुत से गांवों को बिजली इस लिये नहीं मिल पायेगी कि उतने आदमी नहीं मिल पाते हैं। प्रवर समिति से मेरा अनुरोध है कि देहात में बिजली देने के लिये ये जो शर्तें रखी जाती हैं, उनको उड़ा दिया जाय।

कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं, जो कि यहां भी होती हैं और गांवों के लोगों को खास तौर पर। उनमें से एक यह है कि हमारा मीटर-रीडिंग बहुत गलत सा होता है। यह ठीक है कि आपने इंस्पेक्टर मुकर्रर कर दिये हैं। उनके पास शिकायत होने पर फिर वह रीडिंग होगी। मैं आप को यहां की बात सुनाना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से जो बिल आते हैं, उनमें कई तरह की गलतियां पाई जाती हैं। एक बार बिल की अदायगी कर दी जाती है, लेकिन अगली बार फिर उसकी मांग की जाती है और रीडिंग गलत लिखी जाती है। मेरा अपना तजर्बा है कि मेरे पास तीन तीन नोटिस इस के मुताल्लिक आ चुके हैं, हालांकि मैं स्टेट बैंक में पेमेंट कर चुका हूं। इस बिल में इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि इस तरह गलत तौर पर बिल न भेजे जाया करें।

जहां तक सिक्योरिटीज़ का तालुक है, भार्गव जी ने भी उसके मुताल्लिक कहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम होट और लाइट के मीटर लगवाते हैं और उन दोनों के लिये अलग अलग सिक्योरिटीज़ ली जाती हैं, जिस वक्त हम एक मकान छोड़ देते हैं और दूसरे में जाते हैं, तो मीटर वहीं रहता है और सिक्योरिटीज़ वापस नहीं होती हैं। चार चार साल हो गये हैं, पांच रुपये कारेस-पांडेंस के ऊपर ज़र्च किये जा चुके हैं, लेकिन आज तक सिक्योरिटी वापस नहीं हुई। प्रवर समिति को इस बात पर ध्यान देना चाहिये और यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो लोग मीटर लगवाना चाहें, वे लगवा सकें हैं, ताकि उन्हें इस किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मीटरों की जो कीमत रखी गई है, वह वाकई बहुत प्राहिबिटिव है और जो सिक्योरिटी ली जाती है, वह भी प्राहिबिटिव है और उनको कम किया जाना चाहिये।

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस वक्त बिजली की लाइनें किसी इलाका से गुजरती हैं तो उस इलाके में जो सरकारी इमारतें होती हैं उनके साथ आम जनता की बिल्डिंग्स के मुकाबले में प्रेफ़ेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। सरकारी बिल्डिंग्स को आप बिजली जल्दी दे देते हैं और जो लोगों की बिल्डिंग्स हैं उनको आप नहीं देते। आगे भी आप यही करते जा रहे हैं। इस प्रकार का जो डिफ़ेशियेशन है, इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है यह बिल्कुल नहीं होना चाहिये और जो चला आ रहा है, वह खत्म होना चाहिये।

[श्री हेम राज]

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह लंगड़ा बिल है जो सदन के सामने पेश हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो समिति दोनों सदनों के सदस्यों की नियुक्त हुई है उसको अखत्यार होना चाहिये कि जो भी कमियां रह गई हैं, उनको वह पूरा करे। उस समिति के जो अखत्यार हैं, वे बढ़ाये जाने चाहियें। यदि ऐसा हुआ तभी जो आपका मकसद है, वह पूरा हो सकता है और जो उपभोक्ताओं को आप बिजली की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, वह प्रदान की जा सकती हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : इस संशोधन विधेयक से वर्त्तमान अवस्था में कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा। और जहां तक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है सुधार निश्चित तौर पर हुआ है। आलोचना करते समय हमें यह याद रखना चाहिये कि विधेयक का उद्देश्य सीमित है। सरकार उपभोक्ताओं की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप में सचेत है और जो भी व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आई हैं, इसके बावजूद सुधार किये गये हैं। इन संशोधनों से जो सुधार होंगे, वे चाहे देखने में साधारण मालूम पड़ते हैं परन्तु वास्तव में वे बहुत ही महत्व के हैं। किसी किरायेदार को मालिक मकान की इच्छा के बिना बिजली का कनैक्शन नहीं मिल सकता था, परन्तु अब उसे यह सुविधा दे दी गयी है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से जो सुधार आवश्यक थे उनको कार्यान्वित किया गया है। इसका श्रेय तो सरकार को मिलना ही चाहिये।

मैं बिजली उत्पन्न करने और उसके वितरण सम्बन्धी सरकार की नीति से सहमत नहीं हूं परन्तु मेरा कहना यह है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसका क्षेत्र सीमित है, इस लिये मैं इसके क्षेत्र से परे नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी संभरण कर्ताओं और उपभोक्ताओं के सम्बन्धों के बारे में कुछ मामले ऐसे ह जिन पर चर्चा करना संगत हो सकता है और उनकी चर्चा की भी गई है। बिजली पैदा करने तथा उसके वितरण करने के काम को सरकारी क्षेत्र में ले लेने के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न हुआ था। इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय नीति से है कि सरकार किस प्रकार सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है। किसी गैर-सरकारी निकाय को अपने हाथ में लेने, लाइसंसों को पुनः चालू करने इत्यादि के सम्बन्ध में निश्चित उपबन्धों का निर्माण किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सरकार बिजली पैदा करने का काम अपने हाथ में कहां तक रखना चाहती है। इस मामले में कोई मतभेद नहीं, सभी एक मत है कि बिजली पैदा करने तथा उसके वितरण करने का कार्य सरकार के हाथ में होना चाहिये। हम राष्ट्रीयकरण का विस्तार कर रहे हैं और फिर यह तो एक आधारभूत उद्योग है, समस्त औद्योगीकरण तथा अन्य दिशाओं का विकास इस पर आधारित है। अतः मैं समझता हूं सरकार इस मामले में स्पष्ट है, केवल प्रश्न इतना ही है कि इसे तुरन्त कर लिया जाये अथवा धीरे धीरे किया जाय। सरकार इस मामले में शीघ्रता नहीं करना चाहती, अतः इन विभिन्न प्रकार के उपबन्धों का निर्माण किया गया है। जो कुछ सुझाव मेरे माननीय मित्र श्री ठाकुर दास भार्गव ने दिये है, उनका औचित्य तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के मामले पर चर्चा करते हुये ही सिद्ध हो सकता है, इस पर नहीं।

मैं नौवहन विधेयक की प्रवर समिति का सदस्य था। हम चाहते थे कि मुख्य विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के अतिरिक्त इस दिशा में सरकार की नीति भी स्पष्ट होनी चाहिये। यह अब एक महत्वपूर्ण और व्यापक अधिनियम बन गया है। नौवहन की भांति बिजली का महत्व भी बहुत अधिक है, और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये। जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, सभी का एक ही मत है कि सरकार की बिजली के प्रशासन सम्बन्धी नीति दोषपूर्ण है। मैंने इस बात पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा करते हुये भी कहा

†मूल अंग्रेजी में

था कि बिजली के सम्बन्ध में कोई क्रांतिकारी पग उठाये जाने चाहिये। आज हमारी समस्त औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों की प्रगति का आधार बिजली है। सभी दिशाओं की प्रगति के लिये इसकी आवश्यकता और इस सम्बन्ध में जो कुछ सदन में कहा गया है, उस पर मंत्री महोदय को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

हमनें बिजली बोर्डों का निर्माण किया है और हमारा विचार है कि इससे स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। सभी राज्यों से कहा जायेगा कि वे बिजली का प्रशासन इन बोर्डों के सुपुर्द कर दें। परन्तु मेरा अनुभव इन बोर्डों के सम्बन्ध में बहुत अच्छा नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि ये बोर्ड इस जिम्मेदारी को अच्छी प्रकार पूरा कर सकेंगे। आज जब कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, कोई उपक्रम करना इन बोर्डों के बस का नहीं होगा। मेरे मित्र ने अभी कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि किसान को और देहाती क्षेत्रों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके। परन्तु मुझे सन्देह है कि बोर्ड यह कार्य कर सकेंगे। बोर्डों की अवस्था तो यह होगी कि वे न कुछ स्वयं करेंगे और न किसी को कुछ करने देंगे। इस मामले पर सरकार को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम चाहते हैं कि आज जो हमारी अवस्था है, उस के कारण इस दिशा में हमारी नीति निश्चित होनी चाहिये और नियमित रूप में काम होना ही चाहिये। ऐसे स्थान हैं जिन्हें कृषि के लिये विकसित करके हजारों किसान परिवारों को बसाया जा सकता है, परन्तु कृषि क्षेत्रों की ओर तो इन बिजली बोर्डों का ध्यान शायद ही आकृष्ट हो। उन्हें देश की कठिनाइयों और आवश्यकताओं को सामूहिक दृष्टि से देखने की क्या जरूरत है। उनका दृष्टिकोण इतना विशाल नहीं हो सकता। हर मामले में इन बोर्डों का परामर्श लेने की व्यवस्था करने वाले जिन उपबन्धों को रखा गया है, उनके सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये बोर्ड देश में बिजली की एक रूप दरों का निर्माण भी नहीं होने देंगे। कई एक स्थानीय कठिनाइयों को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। बिजली बड़े महत्व की वस्तु है और इसके बिना देश की सन्तुलित प्रगति सम्भव नहीं। अतः देश में दर एक जैसी ही होनी चाहिये।

श्री दासप्पा (बंगलौर) : मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस समय बोलने का अवसर दिया गया। मेरा निवेदन है कि बिजली का उत्पादन तथा उसका वितरण तब तक प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक कि देश की जनता को पर्याप्त बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध नहीं हो जाती। अतः पंच वर्षीय योजना में बिजली के लिये जो उपबन्ध किया गया है उसमें कोई कमी या कटौती करना राष्ट्र-विरोधी कार्य होगा। बिजली के उत्पादन का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लोहा और इस्पात का उत्पादन। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आगामी वर्षों में बिजली का उत्पादन किस स्तर पर होगा।

मेरे एक माननीय मित्र ने शरवती परियोजना का उल्लेख किया। मैं स्वयं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि यह परियोजना एक महान योजना है और जल विद्युत की यह योजना अत्यन्त उपयोगी है। बिजली का यह अजस्त्र स्त्रोत देश की प्रगति में बहुत उपयोगी होगा। अतः मेरा निवेदन है कि उसके कार्य में बाधायें न पैदा की जायें। मैं सिर्फ इसी परियोजना के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य परियोजनाओं के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इनके मार्ग में कोई बाधा न आने दी जाये। बस इतना ही निवेदन मुझे माननीय मंत्री से करना था।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं समझता हूं कि बिजली को जितना महत्व दिया जाना चाहिये सरकार उतना महत्व उसे नहीं दे रही है, ऐसा इस विधेयक से पता लगता है। यद्यपि हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूलचन्द दुबे]

देश में कोयला तथा पेट्रोलियम के अन्य साधन हैं पर बिजली का बहुत ही अधिक महत्व है। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये बिजली उत्पादन का विकास ही एक मात्र साधन है।

†उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को अधिक समय चाहिये तो वे अपना भाषण कल जारी करें।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा

†डा० रामसुभग सिंह (ससराम) : इस चर्चा की सूचना मैंने इसीलिये दी है कि बनारस विश्वविद्यालय के छात्र इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। उनका समय बरबाद हो रहा है साथ ही कुछ विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां आदि भी बन्द की जा रही हैं। इसी कारण इन बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता था। बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जो कुछ किया है उसमें कुछ स्वार्थी विद्यार्थियों व अध्यापकों का हाथ है अतः सभी विद्यार्थियों को दण्ड देना कहां तक उचित है। कुछ लोगों ने इस संबंध में अनेक झूठी बातों का प्रचार किया है पर मैंने पता लगाया तो पता लगा कि वे झूठी हैं।

विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने २७ और २८ सितम्बर, १९५८ की बैठक में विश्वविद्यालय को बन्द करने का निश्चय किया तदनुसार विद्यार्थियों को ८ अक्तूबर को सूचित किया गया कि वे ११ अक्तूबर तक होस्टल वगैरह खाली करके चले जायें। फिर ९ अक्तूबर की सुबह को पुलिस बुलवाकर विद्यार्थियों के ऊपर जो अत्याचार करवाये गये उसका क्या मतलब है। मैं शक्ति प्रयोग की इस नीति की निन्दा करता हूं। कुछ विद्यार्थियों की उसमें गम्भीर चोटें भी आईं। इस विश्वविद्यालय की परम्परायें बहुत ही आदर्श रही हैं और आज हम विश्वविद्यालय के अध्यापकों को लांछित कर रहेहैं, यह अशोभनीय कार्य है।

केवल एक हिन्दी पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन का एक भाषण, जो उन्होंने बड़ौदा में दिया था, छपा है। उसमें छात्रों की—बनारस विश्वविद्यालय के—निन्दा की गयी है। यह बहुत अनुचित बात है कि बड़ौदा में जाकर वहां विद्यार्थियों को बदनाम किया गया। इसमें कहा गया है :—

> "इस प्रकार विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या लगभग ५००० होनी चाहिये। संख्या बहुत बढ़ जाने से कई काम जाते रहते हैं और कभी कभी तो काफी बुराइयां पैदा हो जाती हैं जैसा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ।"

आगे चल कर उन्होंने कहा :—

> "बहुत सी बुराइयों की जिम्मेदारी इन अध्यापकों पर भी है, जैसा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उदारण से स्पष्ट है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने यह भी कहा :—

"बहुत से ऐसे शिक्षक भी नियुक्त हो गये हैं जिनके आचारण पर यदि विचार किया जाता तो उन्हें कभी भी इस धंधे में नहीं लिया जाता।"

पर मेरा कहना है कि इन अध्यापकों को तो मालवीय जी, डा० राधाकृष्णन, आचार्य नरेन्द्रदेव या किसी उपकुलपति ने ही नियुक्त किया होगा। अतः ऐसी बातें कहना समुचित नहीं है।

तो मैं होस्टल की बात कह रहा था कि ५०० पुलिस बुलाने की क्या आवश्यकता थी। होस्टल में पानी बन्द कर दिया गया तथा जबरदस्ती लड़कियों व लड़कों को होस्टल से निकाला गया। ठीक है फिर विश्वविद्यालय बन्द करने की क्या आवश्यकता थी। ऊधम करने वाले या बदमाशी करने वाले लड़कों को रोकने के लिये आप कुछ भी उपाय करते पर विश्वविद्यालय बन्द करने की क्या जरूरत थी।

जहां तक उपकुलपति के नियुक्त होने का—जांच समिति में— संबंध है ठीक है। वह जांच समिति में नियुक्त हो सकते हैं। पर कार्यकारिणी परिषद् को भंग करना ठीक नहीं था। मुदलियार समिति में विद्यार्थियों पर तरह-तरह के आरोप लगाये गये और उपकुलपति की उपस्थिति में। उपकुलपति ने आरोपों का कोई उत्तर नहीं दिया। पुरानी परिपाठी यह है कि अपने शिष्यों के सम्मान की रक्षा के लिये गुरू अपने प्राण तक निछावर कर देते थे। समिति के प्रतिवेदन में कहा गया कि भारत सरकार के किसी पदाधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय की सीमा के बाहर तथा भीतर नैतिक पतन की अनेक घटनायें होती हैं। पर उस पदाधिकारी ने उपकुलपति को क्यों नहीं बताया। उपकुलपति ऐसा काम करने वाले विद्यार्थियों को दण्ड देता उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल देता या अन्य कार्यवाही करता। अतः मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय को बन्द करना सरकार की कार्यवाही बहुत अवांछनीय है।

राज्य सरकार, राष्ट्रपति तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय क्षेत्र को लांछित किया गया है। यह बात ठीक नहीं है। यदि हमारे देश के १०,००० विद्यार्थियों, नवयुवकों के जीवन को इस प्रकार बरबाद किया जायेगा तो देश को महान क्षति होगी। देश ऐसी बरबादी बरदाश्त नहीं करेगा। अन्य विश्वविद्यालयों के भी उपकुलपति हैं। डा० राव, डा० भटनागर व डा० सिद्धान्त आदि है। उनसे तो कोई विद्यार्थी ऐसा व्यवहार नहीं करता। मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि इन सारी बातों की जड़ में हमारे वर्तमान उपकुलपति हैं। यदि ये उपकुलपति न होते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होती।

अतः मेरा प्रथम सुझाव है कि सरकार विद्यार्थियों पर से नैतिक पत्तन का आरोप हटा ले। यदि कोई विद्यार्थी इन बातों का अपराधी हो तो उसे दण्ड अवश्य दिया जाये। मैं गुंडागर्दी का समर्थन कदापि नहीं करता। इसका सुझाव यह है कि जिन विद्यार्थियों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाये और उनके मुकदमें वापस ले लिए जायें। तीसरे उस क्षेत्र के संबंध में जो अनुचित शब्द कहे गये हैं उन्हें भी वापिस लिया जाये। और अन्त में शिक्षा तथा देश के हित में उपकुलपति को हटाकर दूसरा कुलपति नियुक्त किया जाये।

यदि ऐसा किया जायेगा तो बनारस विश्वविद्यालय अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर के भारत का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अभी २५ सदस्य बोलने वाले हैं और समय केवल २ घण्टे का है।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** (सुल्तानपुर) : सरकार को समय बढ़ाना चाहिए। सब को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : सभा को अधिकार है कि वह समय बढ़ा दे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** नियम १९४ के अधीन २ ½ घण्टे से अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : हम नियम के निर्माता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मेरा एक सुझाव है कि पहले माननीय मंत्री सारे तथ्य सभा के सामने रख दें बाद में माननीय सदस्य बोलें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो माननीय मंत्री को कुछ तथ्य बतलाने चाहिए।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** श्रीमान्, बनारस विश्वविद्यालय की घटनाओं के संबंध में गत सत्र में चर्चा हो चुकी है और सभा ने एक अधिनियम भी पारित कर दिया है। आशा थी कि वहां के विद्यार्थी संसद् के अधिनियम के निर्णयों को स्वीकार कर लेंगे। प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह संसद् के निर्णयों का पालन करे। चूंकि सभा चाहती है कि मैं तथ्यों पर प्रकाश डालू अतः मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

मैं केवल तथ्यों को प्रकाश में लाऊंगा। १८ अगस्त, १९५८ को उपकुलपति दिल्ली के लिए खाना हो गये थे बाद में उन्हें अपने घर नहीं जाने दिया गया। २७ अगस्त, १९४८ से छात्रों ने उपकुलपति के घर के सामने दिन-रात धरना देना शुरू कर दिया और तीन सप्ताह तक उन्हें सामान्य कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए बाहर भी नहीं निकलने दिया।

२ सितम्बर, १९५८ को लोक सभा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९४८ पारित किया। २ सितम्बर, १९५८ से विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रार के घर पर भी धरना शुरू कर दिया इस प्रकार विश्वविद्यालय के दो वरिष्ट पदाधिकारियों को—उप-कुलपति को और रजिस्ट्रार को—घर ने नहीं निकलने दिया।

६ सितम्बर, १९५८ को विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर कार्यकारिणी परिषद् की एक बैठक होने वाली थी। उपकुलपति को विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर जाने से रोकने के लिए १५०० विद्यार्थियों का एक समूह द्वार पर इकट्ठा हो गया अतः कार्यकारिणी परिषद् ने निश्चय किया कि उसकी बैठक विश्वविद्यालय सीमा से बाहर की जाये। बाद में विद्यार्थियों की बैठक ने इसे अपनी प्रथम विजय बता कर प्रसन्नता प्रकट की। २७ सितम्बर,

†मूल अंग्रेजी में

१९५८ को विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर कार्यकारिणी परिषद् की दूसरी बैठक होने वाली थी उसे भी विद्यार्थियों ने नहीं होने दिया यद्यपि कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों ने विद्यार्थियों से बहुत अनुनय विनय की। इसे विद्यार्थियों ने अपनी दूसरी विजय घोषित किया।

११ सितम्बर, १९५८ को राज्य सभा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पारित किया। उसी दिन विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय सीमा के बाहर से टेलीफोन के तार काट दिये और विश्वविद्यालय पदाधिकारी २४ घण्टे तक बाहरी दुदिया से असम्बद्ध रहे।

१६ सितम्बर, १९५८ को आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों ने चीत्र प्रॉक्टर की कार जबरदस्ती छीन ली और उसे विश्वविद्यालय अस्पताल की एम्बुलेंस गाड़ी बना लिया। यह तब हुआ जब कि एम्बुलेंस कारों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धन की मांग की जा चुकी थी। उपकुलपति के नाम का बोर्ड विद्यार्थियों ने हटा दिया और चीफ प्रॉक्टर के नाम के बोर्ड पर तारकोल पोत दिया।

सभा को स्मरण होगा कि डा० उदुप्पा को, जोकि हिमाचल प्रदेश प्रशासन में थे, बुलाने की मांग की गयी। काफी दवाब डालने के बाद मैं और स्वास्थ्य मंत्री दोनों मिल कर उन्हें बनारस भेज सके। वह बनारस नहीं जाना चाहते थे पर हमने उन पर बनारस जाने के लिए जोर डाला तो वे अपना काम समाप्त करने के बाद जनवरी में कालेज ज्वाइन करने के लिए जाने को राजी हो गये। हमें आशा थी कि इससे सारी कठिनाई समाप्त हो जायगी। कार्यकारिणी परिषद् के अनेक सदस्यों ने तथा सभा के अनेक सदस्यों ने मुझे विश्वास दिलाया कि यदि डा० उदुप्पा वहां चले जायेंगे तो यह सब गड़बड़ी समाप्त हो जायेगी पर कठिनाइयां समाप्त नहीं हुईं।

अनशन करने वालों ने १३ सितम्बर को अनशन तोड़ दिया पर आयुर्वेदिक कालेज की सामान्य हड़ताल २२ सितम्बर, १९५८ को समाप्त हुई।

बनारस हिन्दू विशविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर २० सितम्बर, १९५८ को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और २२ सितम्बर, १९५८ को उसे असाधारण गज़ट में प्रकाशित किया गया। यद्यपि आयुर्वेदिक कालेज में २२ सितम्बर को हड़ताल समाप्त हो गयी थी फिर भी अनुशासन विहीनता की गतिविधियां चलती रहीं। अब मुदलियर समिति की उपत्तियों तथा वर्तमान उपकुलपति पर गुस्सा उतरने की बारी आई। विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर बैठक कर के निश्चय किया गया कि उपकुलपति को विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर न आने दिया जाये। अतः २७ सितम्बर को विश्वविद्यालय के द्वार पर एक भीड़ इकट्ठा हुई क्योंकि उस दिन कार्यकारिणी परिषद् की बैठक विश्वविद्यालय सीमा के भीतर होने वाली थी। कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य उपकुलपति को लिवाकर, जो कि परिषद् का पदेन सभापति है, विश्वविद्यालय गये जब विद्यार्थियों ने उपकुलपति को अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी परिषद् के सदस्य लौट आये और उन्हें बाहर बैठक करनी पड़ी।

इसके बाद छात्र उपकुलपति को बदनाम करने की गतिविधियों में लग गये। श्री कैलाश नाथ टण्डन को, जो विश्वविद्यालय का छात्र था और स्थानीय पत्र 'गांडीव' का प्रतिनिधि

[डा० का० ला० श्रीमाली]

था, इसलिए पीटा कि उसने विश्वविद्यालय की घटनाओं का वर्णन उस पत्र में प्रकाशित करवा दिया था।

धीरे-धीरे आन्दोलन बढ़ता ही गया और शान्ति तथा सुव्यवस्था विश्वविद्यालय क्षेत्र से बिल्कुल नष्ट हो गयी।

रोजाना विद्यार्थियों की बैठकें होती थीं, जिनमें प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना, श्री राज नारायण सिंह तथा इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति भाषण देते थे। उनके भाषण उत्तेजक होते थे और उपकुलपति के विरुद्ध आन्दोलन करने की प्रेरणा देते थे। हड़ताल तथा अराजकता के बीच बीच में छात्र तरह-तरह के पैम्फलेट भी निकालते रहे जिनमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के विरुद्ध बातें कही जाती थीं। आर्युवेद कालेज के एक पैम्फलेट में उपकुलपति के संबंध में ये बातें कही गयी थीं :—

"कुछ न जानने वाला काठ का उल्लू तथा प्रशासन में बिल्कुल असफल है। दुष्ट को मार भगाओ।"

"शेर की खाल पहनने वाला गधा कभी सफल नहीं हो सकता।"

विश्वविद्यालय के अध्यापकों को धमकी दी गयी कि यदि विश्वविद्यालय बन्द हुआ तो उन्हें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक पूर्व अवसर पर भी कहा गया था कि अध्यापकों को खींच कर लेक्चर हॉल तक लाया जायेगा और जबरदस्ती उनसे लेक्चर दिलवाया जायेगा।

७ अक्टूबर, १९५८ को जब छात्रों के नेताओं को कार्यकारिणी परिषद् के निश्चय का पता लगा तो उन्होंने एक बैठक की और यह घोषणा की कि वे न तो विश्वविद्यालय बन्द होने देंगे और न वे अपने घर जायेंगे बल्कि वे लेक्चरार लोगों को जबरदस्ती कालेज लायेंगे और विद्यार्थियों को भी कक्षा में आने के लिए मजबूर करेंगे। शाम को कई हज़ार विद्यार्थियों का एक जलूस विश्वविद्यालय से 'मोती झील' तक गया, जहां विश्वविद्यालय के ट्रेजरार का निवास स्थान है (जो विश्वविद्यालय के बाहर शहर में है) और जहां उपकुलपति ठहरे हुए थे। वहां विद्यार्थियों ने उनके दरवाजे पर प्रदर्शन किया और गालियां व धमकियां दीं। विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री को भी गालियां दी।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** (हमीरपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री की जानकारी का साधन क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके एक-एक शब्द को सत्य सिद्ध कर सकता हूं।

†**पंडित गोविन्द मालवीय :** जानकारी का साधन जानना हम सब का अधिकार है।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतहपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को गालियां किस ने दीं और क्या गालियां दीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सरकार के पास जानकारी के अनेक साधन होते हैं। यदि माननीय मंत्री चाहें तो बता सकते हैं कि जानकारी का साधन क्या है। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते।

†**पंडित गोविन्द मालवीय :** माननीय मंत्री जो जानकारी दे रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत अनेक खबरें हैं। अतः सत्य का पता तभी लग सकता है जब माननीय मंत्री यह बतायें की उनकी जानकारी का साधन क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विधि और व्यवस्था का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार पर है और उत्तर प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय के साधनों से हमें यह जानकारी मिली है।

उसके बाद यह जलूस भारत प्रेस की ओर गया और भारत प्रेस की सम्पत्ति को हानि पहुंचाया क्योंकि भारत प्रेस विद्यार्थियों के आन्दोलन का समर्थन नहीं करता था। ७ अक्तूबर १९५८ को धारा १४४ के अधीन आदेश जारी कर दिये गये और शहर में तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र में ५ से अधिक आदमियों के इकट्ठा होने, जलूस निकालने, औजार लेकर निकलने और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने व आपत्तिजनक नारे लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। ८ अक्टूबर को ५ बजे सुबह पुलिस विश्वविद्यालय में दाखिल हुई। शहर तथा विश्वविद्यालय में जनता के जान तथा माल के लिए भयंकर खतरा पैदा हो गया था अतः ऐसी स्थिति को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता था। विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बन्द था और विद्यार्थी वहां पर धरना दे रहे थे और लोगों को अन्दर जाने से रोक रहे थे। द्वार पर विद्यार्थियों ने पुलिस का सामना किया और अन्त में ताला तोड़ना पड़ा और मामूली सी लाठी-चार्ज द्वारा विद्यार्थियों को हटाया गया। पुलिस को लाठी तब चलानी पड़ी जब पुलिस पर पत्थर फेंके गये और रक्षित पुलिस को चोटें आईं।

पुलिस ने विश्वविद्यालय के सभी द्वारों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया। शान्तिप्रिय लड़के तथा लड़कियों ने अपने सामान बांधने शुरू कर दिये पर विद्यार्थियों के कुछ नेताओं तथा अध्यापकों ने एक जलूस संगठित किया और होस्टल से द्वार की तरफ बढ़े और जब मजिस्ट्रेट ने उनसे तितर-बितर हो जाने को कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना अतः बलपूर्वक उन्हें तितर-बितर किया गया। विश्वविद्यालय के द्वार के बाहर लंका क्रासिंग के पास भी विद्यार्थियों की भीड़ जमा थी और उसको भी साधारण सी लाठी-चार्ज द्वारा भगाया गया।

शान्तिप्रिय लड़के अपने घरों के लिए रवाना हो गये और स्टेशन तक जाने के लिए उन्हें प्रत्येक सुविधायें दी गईं। जरूरतमंद विद्यार्थियों को रेलवे किराये के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था विश्वविद्यालय ने कर दी थी और रेलवे पदाधिकारियों के सहयोग से रियायती टिकट की भी व्यवस्था कर दी गयी थी।

सभा में किसी ने अभी कहा कि छात्राओं को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा पर यह बात सच नहीं है। छात्राओं को पुलिस की गाड़ी में पुलिस के संरक्षण में रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया था। जाने वाले विद्यार्थियों के कपड़े धोबी के यहां से पुलिस

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

की गाड़ी में मंगवा दिये गय थे। स्टेशन तक की यात्रा को सरल बनाने के लिए रिक्शों के समूह की व्यवस्था भी कर दी गयी थी। ९ अक्तूबर, १९५८ की शाम तक विश्वविद्यालय का वातावरण सामान्य हो गया था और अधिकांश विद्यार्थी अपने घरों को चले गये थे।

इन बातों को देखते हुये मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट ने बड़े संयम से काम लिया और उनका कार्य प्रशंसनीय रहा।

इस अराजकता में ४३ विद्यार्थी तथा एक भूतपूर्व विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये। इनमें से ३५ विद्यार्थी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, १ हरिश्चन्द्र कालेज, दो उदय प्रताप कालेज तथा ५ डी० ए० वी० कालेज के थे।

बस मुझे इतना ही कहना था। वाद विवाद के बाद उत्तर देने के लिए आप कृपया मुझे कुछ मिनट का समय अवश्य दें।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद): एक औचित्य प्रश्न है। डा० राम सुभग सिंह का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने के बाद डा० श्री माली ने एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसे सरकारी प्रस्ताव मान लिया जाये। अतः उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए समय बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : और कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** : मेरा एक सुझाव है। माननीय मंत्री ने ९ अक्तूबर तक के तथ्यों का वर्णन किया है। प्रश्न सभा के सामने यह है कि अब सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं और आगे सरकार क्या करना चाहती है। अतः यदि माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में भी कुछ बतायें और हो सकता है कि उस बात से माननीय सदस्यों को कुछ सन्तोष हो, तो सभा का समय कम खर्च होगा। इससे सभा के कार्य में सुविधा पैदा हो जायगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री ने तथ्य दे दिये हैं। अब नवीनतम समय के सम्बन्ध में यदि वह कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं। मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: मैं इतना और बताना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में कार्यकारिणी परिषद् ने यह निश्चय किया था। यह कोई अच्छा निर्णय नहीं था पर कार्यकारिणी परिषद् के सामने अन्य कोई रास्ता नहीं था। मुझे विश्वास है कि कार्यकारिणी भी विश्वविद्यालय के खुलने में उतनी ही उत्सुक है जितना कि यहां के माननीय सदस्य पर उसने कहा है कि जब तक कि सामान्य अवस्था पैदा न हो जाये तब तक विश्वविद्यालय नहीं खुल सकता और सामान्य अवस्था तभी पैदा हो सकती है जबकि राजनैतिक नेता विश्वविद्यालय के मामलों में हाथ डालना बन्द कर दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि राजनैतिक नेता विश्वविद्यालय के मामलों में हाथ डालना बन्द कर दें तो विश्वविद्यालय बहुत ही थोड़े समय में खुल जायेगा।

श्री ब्रजराज सिंह : श्रीमन्, यह आशा कि हम शान्ति से बनारस विश्वविद्यालय में काम कर सकेंगे निराशा में परिवर्तित हुई और इस सम्बन्ध में हमारी जो शंकाएं थीं, वे इस रूप में हमारे सामने आईं कि बनारस विश्वविद्यालय को सम्भवतः शिक्षा मन्त्रालय के आदेश पर बन्द कर दिया गया और शिक्षा मन्त्री महोदय ने बताया है कि २७ सितम्बर को एग्ज़ेक्टिव कौंसिल में यह निश्चय किया गया कि

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस विश्वविद्यालय को बन्द किया जाय। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सम्बन्धित एक्ट में कहीं पर यह व्यवस्था है कि एक्जेक्टिव कौंसिल विश्वविद्यालय को बन्द कर सकती है। एक्ट में यह व्यवस्था है कि यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौंसिल ही उस को बन्द कर सकती है। स्टेचूट २० (९) में कहा गया है कि और बातों के साथ वह अध्ययन के मामले से सम्बन्धित तथा अधिनियम, संविधि तथा अध्यादेशों को उचित रूप में लागू करने के लिए सभी काम करेगी।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्सिटी को बन्द करने से पहले एकडेमिक कौंसिल का सत्र हुआ, उससे कोई राय ली गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि उससे कोई राय नहीं ली गई और एग्जेक्टिव कौंसिल को जो अधिकार नहीं है, उसका इस्तेमाल दस हज़ार विद्यार्थियों की शिक्षा को खत्म कर के सारे देश में यह भावना फैलाने के लिये किया गया कि वहां पर अशान्ति फैली हुई है। हमें बताया गया है कि वाइस चांसलर महोदय का कहना है कि विद्यार्थियों का बहुमत शान्तिपूर्ण था और वह उन की कार्यवाहियों के पक्ष में था।

दूसरी तरफ़ यह भी स्वीकार किया गया है कि ७ अक्तूबर को विद्यार्थियों का जो जलूस निकला, उस में नौ दस हज़ार में से पांच हज़ार विद्यार्थियों ने भाग लिया। ऐसी दशा में मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह यह दावा किया जाता है कि विद्यार्थियों के बहुमत का यह विचार था कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा । मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ इने-गिने व्यक्तियों को छोड़ कर, जिन को वाइस चांसलर महोदय अपनी डिस्पोज़ल पर पड़े फण्ड से खरीद कर रखना चाहते हैं, विद्यार्थियों का बहुत बड़ा बहुमत यह चाहता है कि यूनिवर्सिटी को एक अच्छी लाइन पर चलाया जाय और आज जो कुछ किया जा रहा है, वह उससे सहमत नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि लाठी-चार्ज होने से पहले और पुलिस की कार्यवाही से पहले क्या कहीं पर यूनिवर्सिटी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ़ हिंसात्मक कार्यवाही की गई। विद्यार्थी कहते हैं कि हमें आफ़ेण्ड किया गया है, हमारे खिलाफ़ चार्ज लगाया गया है कि हम दुश्चरित्र हैं, अगर मुदालियार कमेटी के इस आरोप को साबित कर दिया जाय, तो फिर हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा, हम उसे स्वीकार कर लेंगे और फिर हमारी तरफ़ से कुछ नहीं होगा और अगर उसको साबित नहीं किया जा सकता है, तो उस आरोप को वापस ले लिया जाय। वाइस चांसलर महोदय इन दोनों बातों में से एक भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर विद्यार्थी अहिंसात्मक तरीके से कहते हैं कि इसलिए हम प्रोटेस्ट के तौर पर आप को अन्दर नहीं जाने देते, तो वे कौनसा जुर्म करते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि विद्यार्थियों के सामने सिर्फ़ यही एक रास्ता रह गया था। अगर मेरी चलती, तो मैं बहुत सारे दूसरे रास्ते अख्तियार करता। लेकिन मन्त्री महोदय की तरफ़ से बार बार—पिछले अधिवेशन में भी और आज भी—कहा गया है कि राजनीतिक नेता बनारस विश्वविद्यालय से अपने हाथ अलग रखें। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि कौन से राजनीतिक नेता ने विश्वविद्यालय के मामलों में हाथ डाला है, किस ने उन में दखल दिया है। हम लोगों के पास पचास पचास, सौ सौ तार आए हैं कि आप विश्वविद्यालय में आइये और मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन चूंकि शिक्षा मन्त्री कहते हैं कि वहां हाथ न डाला जाय, सरकार कहती है कि वहां के मामलों में दखल न दिया जाय, इसलिए हम लोग वहां की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि वहां किसी प्रकार से शान्ति स्थापित हो जाय और विश्वविद्यालय फिर से व्यवस्थित रूप से चलने लगे। इस के बावजूद कहा जाता है कि वहां की घटनाओं के पीछे राजनीतिक नेताओं का हाथ है। इस विषय में टीचर पालिटीशियन्ज़ का नाम लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने टीचर-मिनिस्टर भी हैं और टीचर-वाइस-चांसलर भी हैं, लेकिन उस संस्था को और वहां के लोगों को बदनाम करने के लिए टीचर-पालिटीशियन्ज़ का नाम लिया जाता है। इससे प्रकट है कि आप इस समस्या का सही हल नहीं चाहते हैं। आप के सामने तो प्रेस्टीज—प्रतिष्ठा-

[श्री ब्रजराज सिंह]

का सवाल है। आप सोचते हैं कि कहीं इस तरह कार्य करने से हमारी प्रतिष्ठा को धक्का न पहुंचे। शिक्षा मन्त्री महोदय ने वाइस-चांसलर के सम्बन्ध में जो कहा, वह मैंने अच्छी तरह से नहीं सुना, लेकिन उसका अभिप्राय यह था कि उपकुलपति नहीं हटाये जायेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। वह रहें या जायें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन सही तौर पर नहीं चलता है, अगर वहां शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं होती है, प्रबन्ध ठीक नहीं होता है, तो फिर वाइस-चांसलर को वहां किस लिए रखा हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि अगर काम ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई दूसरा तरीका सोचा जाय। यहां उनकी प्रतिष्ठा को गिराने का सवाल नहीं है। पिछले अधिवेशन में भी कहा गया था कि जब तक श्री झा वहां हैं, वहां शान्ति कायम नहीं रह सकती है। आज भी मैं कहना चाहता हूं—उनके प्रति कोई बुरी भावना प्रकट किए बिना—कि अगर एक व्यक्ति के हटने से अगर शिक्षा का क्षेत्र सुधर सकता है, तो क्यों नहीं सरकार उसके लिए कोशिश करती है। अभी मेरे मित्र डा० राम सुभग सिंह ने बताया कि किस तरह से हिन्दुस्तान की और दूसरी यूनिवर्सिटियों के उपकुलपति हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स हैं, क्या योग्यतायें हैं और इस यूनिवर्सिटी के उपकुलपति की क्या हैं, इसमें मैं पड़ना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह की बात न कहने के लिए मैंने उनसे भी कहा था और आप से भी कहता हूं।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता था कि यहां जो वाइस चांसलर है, उसको देखा जाए तो यहां के वाइस चांसलर की योग्यता के बारे में शक अवश्य होता है। न्याय वह नहीं है जो आप करते हैं बल्कि न्याय वह है जो जिस के लिए किया जाता है वह समझे कि उसके साथ न्याय हुआ है। आज विद्यार्थी वर्ग महसूस नहीं करता है, नागरिक महसूस नहीं करते हैं, कि न्याय किया जा रहा है। आज जो बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है वह सही नहीं है। आपको ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे विश्वास पुनः पदा हो। शिक्षा मन्त्री महोदय ने अपनी स्पीच में नहीं बताया कि कौनसा तरीका वह इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिससे कि विश्वविद्यालय पुनः खुल सके।

मैं चाहता हूं कि हम ने भूल कि सन् १९४२ में भी इस विश्वविद्यालय को बन्द किया गया था लेकिन इस तरीके से नहीं किया गिया जिस तरीके से आज किया गया है। आप कहते हैं कि माइल्ड लाठी चार्ज हुआ है, हल्का लाठी-चार्ज हुआ है। डाक्टरी रिपोर्ट है कि छः विद्यार्थियों की हड्डियां टूटी हैं। अगर हड्डियां किसी की टूट जाती हैं और आप कहत हैं कि माइल्ड लाठी-चार्ज हुआ है तो मैं समझता हूं कि आई० पी० सी० में जो लाठी-चार्ज की परिभाषा की गई है उसको आपको बदलना पड़ेगा। आपको दूसरी ही परिभाषा ढूंढनी पड़गी। माइल्ड लाठी चार्ज से कभी इस तरह की चोट नहीं आती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आप समस्या का आखिरी हल क्यों नहीं ढूंढते हैं। यूनिवर्सिटी एक महीने से बन्द पड़ी है। कब तक आप इसको बन्द रखेंगे? कब तक आप १०,००० विद्यार्थियों के दिमागों और दिलों में आपके प्रति जो दुर्भावना पैदा हो गई है, उसको इसी तरह से चलने देंगे। हम चाहते हैं कि यह दुर्भावना दूर हो। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। एक तरफ हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग पढ़ें और दूसरी तरफ हम इन १०,००० विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा से महरूम रखना चाहत हैं। हम चाहते हैं कि वे अपने घरों को चले जायें। आज यह उस विश्वविद्यालय का हाल हो रहा जिस पर केन्द्रीय सरकार ने इतना रुपया व्यय किया है और जिसका इतिहास इतना उज्जवल रहा है। उसको इस तरह से बन्द रख कर आप जो समस्या है उसका हल नहीं निकाल सकते हैं।

सात अक्तूबर को यह कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बन्द की जाती है और ग्यारह अक्तूबर तक विद्यार्थी वहां से चले जायें और होस्टल को छोड़ दें। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप चाहते हैं कि ११ अक्तूबर तक विद्यार्थी होस्टल छोड़ दें तो क्यों ८ तारीख को ही वहां पर पुलिस से हमला करवाते हैं। ११ अक्तूबर तक तो आपको इंतिज़ार करना चाहिये था। उसके बाद अगर आप चाहते तो कोई कार्रवाई कर सकते थे। आप ७ तारीख को ही १४४ दफ़ा लागू करने की घोषणा करते हैं और मेरी सूचना तो यह है कि ७ तारीख की रात को नहीं की गई। इस के बारे में सबूत पेश किया जा सकता है कि कोई एलान नहीं किया गया कि दफा १४४ लगाई जा रही है। आप चोरी छिपे दफा १४४ लगा देते हैं चार पांच बजे सुबह और पुलिस को साथ ले कर लाठी-चार्ज करवा कर खून बहाते हैं जो कि किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहा जा सकता है। एक प्रोफेसर को भी चोट पहुंचा दी गई है। मैं नहीं समझता कि इस सब का क्या औचित्य है। इसके पीछे तो मेरे विचार में कोई दूसरी ही राजनीति काम कर रही है। मैं किसी को कोई दोष देना नहीं चाहता लेकिन इतना ज़रूर चाहता हूं कि लोग जानें कि क्या कुछ हो रहा है और क्या जो कुछ हो रहा है वह शिक्षा की बहबूदी के लिए हो रहा है या शिक्षा के क्षेत्र में यह सब कुछ होना क्या उचित कहा जा सकता है। जो कुछ भी कराया गया है उन व्यक्तियों द्वारा कराया गया है जिन की भावनायें कुछ दूसरी ही रही हैं, जिन का इतिहास कुछ दूसरा ही रहा है, जिन के सोचने का तरीका कुछ दूसरी तरह का ही रहा है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ५,००० से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहियें तथा २०० विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में हों। हममें सामर्थ्य नहीं है कि हम दूसरे और कालेज खोल सकें और दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि ५,००० से अधिक विद्यार्थी एक कालेज में नहीं होने चाहियें। या तो आप कालेज और खोलें या फिर विद्यार्थियों की संख्या मौजूदा कालेजों में बढ़ायें और साथ ही शिक्षकों की। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार विचार करे कि किस तरह से तुरन्त ही इस विश्वविद्यालय को खोला जा सकता है। मैं यह भी चाहता हूं कि लोक सभा के और राज्य सभा के कुछ मेम्बरों की एक कमेटी बना कर उस कमेटी को तुरन्त वहां जाने का आदेश दिया जाये और वे लोग वहां जा कर विद्यार्थियों को समझायें और उनकी गुडविल विन करें। अगर हम को पढ़ाई लिखाई को आगे चलाना है तो कुछ न कुछ अवश्य करना होगा और वहां पर अच्छी व्यवस्था कायम करनी होगी। पहले भी इस तरह का सजैशन दिया गया था लेकिन उसको माना नहीं गया। इससे गड़बड़ पैदा हो सकती है और हुई भी है। इस कमेटी के मेम्बर वहां पर जा कर अच्छी भावना फैलायें, शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग दें तथा विश्वविद्यालय को खोलने में मदद दें। अनिश्चित काल तक विश्वविद्यालय को बन्द करके रखना ठीक नहीं है। यह शिक्षा के ही हित में अच्छा नहीं होगा।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब बनारस यूनिवर्सिटी पर बहस हुई थी तब मैंने उस बहस में हिस्सा नहीं लिया था परन्तु जिस तरह से बहस की गई थी उस पर मुझे बहुत दुख हुआ था। इस विषय को यहां लाया गया, यह देख कर भी दुख हुआ था। आज भी जिस तरह से बहस हुई है उसको सुन कर मुझे दुःख हुआ है। परन्तु इस बार मैंने सोचा कि मैं भी इस बारे में अपने विचार रखूं।

अगर सचमुच इस यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी आज हैं वे सब के सब शिक्षा पाना चाहते हैं तो यह सब जो वहां गड़बड़ हो रही है यह क्यों हो रही है। मैं समझती हूं कि गड़बड़ करने के लिए ज्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं होती है, ४–५ या १०–१५ लड़के भी गड़बड़ कर सकते हैं और बाकी विद्यार्थियों के लिए वहां पढ़ना नामुम्किन कर सकते हैं।

जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें भी यही कहा गया है कि अधिकतर विद्यार्थी तो पढ़ाई चाहते हैं। परन्तु एक संख्या ऐसी है जो गड़बड़ी करना चाहती है। मैं समझती हूं कि अगर यही हालत रहती है और इसी तरह से गड़बड़ी चलती रहती है तो जो यूनिवर्स्टी को बन्द किया गया है वह ठीक ही किया गया है।

मुझे पक्की खबर मिली है कि इस समय जो गड़बड़ी करने वाले विद्यार्थियों के नेता हैं, उस नेता ने एक जिम्मेदार व्यक्ति के घर में जाकर ऐसा कहा है कि हम वहां फायरिंग कराना चाहते हैं और फायरिंग करायेंगे। ऐसी नियत और ऐसा मानस उनका है तो मेरी पक्की राय है कि कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए, कितना भी बदनाम क्यों न किया जाए, परन्तु यूनिवर्स्टी को नहीं खोला जाना चाहिए। जो गड़बड़ी पैदा करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वे प्राफेसर हैं चाहे कोई और जब तक वे अधिकारियों को यूनिवर्स्टी कैम्पस में आने नहीं देते हैं या मीटिंग नहीं करने देते हैं और जब तक ऐसी हालत बनी रहती है तब तक आपको यूनिवर्स्टी नहीं खोलनी चाहिए। जब आपको यकीन हो जाए कि ऐसी हालत अब नहीं होगी, तभी आपको यूनिवर्स्टी को खोलना चाहिए।

पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस यूनिवर्स्टी को खोला। उनको कभी यह कल्पना नहीं हुई होगी कि एक दिन इस यूनिवर्स्टी का यह हाल होगा। उनको इस यूनिवर्स्टी से बड़ी बड़ी आशायें थीं। उन्होंने अपना जीवन इस यूनिवर्स्टी को दिया। परन्तु आज हम दुःख के साथ देख रहे हैं के जिस तरह की गड़बड़ी वहां चल रही है, जिस तरह से बुरी हालत वहां है, उसको देख कर सरकार के पास, मैं समझता हूं, और कोई चारा ही नहीं बच रहा था सिवाय इसके कि यूनिवर्स्टी को बन्द किया जाए। इस हालत को बरदास्त नहीं किया जा सकता है। यह कहना कि फलां अध्यापक चाहिये, यही प्रो-चांसलर चाहिये, इस तरह की हमको शिक्षा दी जानी चाहिये, यह तनख्वाह दी जानी चाहिए, इस तरह का या यह वाइस-चांसलर चाहिये, इस तरह से कभी काम चल नहीं सकता है। यह शिक्षा प्राप्त करने का ढंग नहीं है। इस तरह से विद्यार्थी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। अगर सचमुच उनको शिक्षा लेनी है तो वे भिखारी से भी शिक्षा ले सकते हैं, अनपढ़ से भी शिक्षा ले सकते हैं, न कि यह कह कर कि इसी से हमको शिक्षा लेनी है। आदमी चरित्रवान हो, यही देखने की चीज होती है। अच्छा आदमी हो, यही देखा जाना चाहिये।

आज वाइस-चांसलर को हटाने की बात कही जाती है। पहले भी कई वाइस-चांसलर आए, लेकिन वे क्यों गये? वे तो बड़े भले आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे? अच्छे वाइस-चांसलर आसानी से नहीं मिलते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी-मंडल ऐसी बात कहे या करे कि इस को इधर से हटना चाहिये, इसको अन्दर नहीं घुसने देंगे, मीटिंग में नहीं आने देंगे, यह हालत हमारे लिए बहुत दुःखकर है। मेरी पक्की राय है कि इस हालत में कितना भी आप पर दबाव डाला जाए, कितना भी कहा जाए, आपको यूनिवर्सिटी नहीं खोलनी चाहिये।

यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां से एक कमेटी बना कर वहां भेजी जाए जो जा कर विद्यार्थियों को समझाये और ऐसा वातावरण पैदा करे जिस में यूनिवर्स्टी खुल सके। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोई भी यूनिवर्स्टी इस तरह से नहीं चल सकती है। मैं समझती हूं कि सब जगह यही हाल हो रहा है और देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा एक प्लान बनाया जा रहा है कि सब जगह अराजकता फैलाई

जाए ताकि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़े और इस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए । हम को इस तरह के दांव में फंसना नहीं चाहिये । यही मुझे कहना है। हम यह जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सचमुच में पढ़ना चाहते हैं। उनको भी कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जब वातावरण शान्त हो जाएगा और यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सोचा जा सकता है के उनका वर्ष खराब न जाये। पर आज की हालत में तो कोई विद्यार्थी वहां पढ़ नहीं सकता ऐसा हमारा मानना है । जो लोग विद्यार्थियों को बहकाते हैं वे उनका नुकसान करते हैं और यूनिवर्सिटी का भी नुकसान करते हैं ऐसा हमारा मानना है ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती लेकिन जो ठीक समझती हूं वह आपके सामने रख दिया । हो सकता है कि सही बात अच्छी न लगे । पर मैं तो सही बात ही कहना चाहती हूं । मैं तो कहती हूं कि एक साल, दो साल, तीन साल जब तक कि वातावरण शान्त न हो जाये आप यूनिवर्सिटी को बन्द रखें। जब वातावरण शान्त हो जाये तभी यूनिवर्सिटी को चालू किया जाना चाहिए।

श्री सरजू पांडे (रसडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस भावना का आदर करते हुए भी कि जो घटनायें यूनिवर्सिटी में बनी हैं उनको यहां न दुहराया जाये, मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं ताकि आयन्दा से ऐसी घटनायें न हों ।

सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी खोली जाये । माननीय शिक्षा मंत्री ने वहां के वाकयात के बारे में कुछ बातें कही हैं । चूंकि मैं भी उधर ही का रहने वाला हूं इसलिए मुझे भी जानकारी है । इनको प्रोपर आव इनफारमेशन और कुछ हैं, और हमारे और कुछ हैं, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री के बयान को चैलेंज करता हूं । और मैं चाहता हूं कि इन वाकयात की जांच की जाये और यह मालूम किया जाये कि असलियत क्या है।

मैं तो इन सारे वाकयात को देखने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनके कारण किसी भी विचारक के दिल में दुःख हुए बिना नहीं रह सकता। पिछले ४२ वर्षों के इतिहास में अंग्रेजों की बहुत कोशिशों के बावजूद जो चीज इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकी वह चीज शिक्षा मंत्री जी ने वहां करवा दी । इसमें सारी जिम्मेदारी उनकी ही है । अगर शिक्षा मंत्री जी जरा भी ध्यान देते तो मेरा ख्याल है कि यह घटना न होती। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने पिछले अधिवेशन में कहा था कि यहां के लोग वहां जायें, एक कमेटी बनायी जाये जो वहां के वाकयात की जांच करें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया । और यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे मौके अंग्रेजों के वक्त भी आये थे । खुद हमारे पंडित जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक प्रोशेसन जा रहा था और लाठी चार्ज की तैयारियां हो रही थीं। उस समय उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे जाकर लोगों को समझाने दो तो उनसे कहा गया कि आपके जाने से सिचुएशन और भी खराब हो जायेगी। वही हालत मंत्री जी की है। उनको तो पुलिस की लाठी पर भरोसा है । वरना कोई ऐसी बात नहीं थी कि यह मामला इतना बढ़ाया जाता । अगर मंत्री जी चाहते तो यह मामला शान्तिमय तरीके से हल हो सकता था। मैं कहता हूं कि अगर हमारे देश के शिक्षा मंत्री इस तरह से हृदय हीन हो जायेंगे और ऐसी कठोरता से विद्यार्थियों का शासन करेंगे, तो लाजिमी तौर पर देश में शान्ति कायम रखना मुश्किल हो जायेगा। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि मंत्री जी के लिए इस स्थान के बजाय कोई जगह तलाश की जानी चाहिए थी। जिस दिन लाठी चार्ज किया गया .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह तो कह सकते हैं कि जितनी भी जिम्मेदारी है वह मंत्री जी की है और भी बहुत सी बातें कह सकते हैं लेकिन यह कहना कि हृदय हीन हैं या कठोर हैं यह ठीक नहीं। इन परसनल बातों के कहने से क्या फायदा। यह मैं जानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वह जिम्मेदार हैं। लेकिन ज़ाती तौर से कुछ कहने से फायदा नहीं है। न इसकी इजाजत दी जा सकती है।

श्री सरजू पांडे : यह मेरे फीलिंगस हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन सारे फीलिंग्स का तो यहां इज़हार नहीं हो सकता।

श्री सरजू पांडे : पहली बात यह कही गयी कि विद्यार्थियों ने पिकटिंग की। श्री सम्पूर्णानन्द के एलान के बाद कि आप पिकटिंग वापस ले लीजिये, वाइसचांसलर के घर से, रजिस्ट्रार के यहां से, और ट्रेजरर के घर से भी पिकेटिंग वापस ले ली गयी। उस वक्त सरकार चाहती तो मामला हल हो सकता था। दूसरा मौका उस वक्त आया था जब कि विद्यार्थियों से अपील की गयी कि अपनी भूख हड़ताल वापस ले लो और उन्होंने उसे वापस ले लिया। मगर उस समय न शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और न स्थानीय अधिकारियों ने उनसे बात की। वह ऐसा करना अपनी शान के खिलाफ़ समझते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप बनारस के किसी भी आदमी से जाकर पूछ सकते हैं। मुझे लोग यही कहते हुए मिले कि जलियांवाला बाग दुहराया जा रहा है। मुझे मालूम है कि बलिया जिले के एक एम० एल० ए० यूनीवर्सिटी में जाकर हालात को देखना चाहते थे पर पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया। मैं खुद जाना चाहता था पर मुझे डर लगा कि कहीं मेरी पिटाई न हो जाये। वहां पर हाल था कि अगर कोई फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला जाता था तो. . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर इस तरह के डरने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सरजू पांडे : जो लोग वहां पर दूध बेचते थे, फल बचते थे या दूसरी चीज़ें बचते थे उनको पुलिस मारती पीटती थी और उनसे मुफ्त में चीज़ें लेती थी और कोई कुछ कहने वाला नहीं था। सारे बनारस के नागरिक इन बातों से तंग आ गये थे। मैं कहता हूं कि ऐसा तो आज तक किसी यूनीवर्सिटी के इतिहास में नहीं हुआ। इसी लिए तो मैं चाहता हूं कि इन वाकयात की जांच होनी चाहिए कि यह मामला क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस तरह से एशिया का सबसे बड़ा विद्या केन्द्र नष्ट हो रहा है और मंत्री महोदय अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि अब भी मौका है। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी आदमी, जिसमें अपने देश के सम्मान का ज़रा भी ख्याल है, यह नहीं चाहेगा कि विद्यार्थियों को बहका कर कोई काम बनाया जाये। मैं किसी एक आध आदमी की बात नहीं कह सकता लेकिन कोई भी राजनीतिज्ञ यह नहीं चाहेगा कि यह हालत चलती रहे। सिर्फ राजनीतिज्ञों के सिर पर जिम्मेदारी डालना और अपनी जिम्मेदारी को महसूस न करना उचित नहीं होगा। अब भी समय है कि आप देखें कि आप कहां खड़े हैं। इस सब की जिम्मेदारी आपकी है और उसे मानना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन से अपील करूंगा कि वह इस मामले को स्वयं देखें।

बनारस बार एसोसियेशन के वकीलों ने एक रिज़ोल्यूशन पास किया है। ये लोग किसी पार्टी सम्बन्ध नहीं रखते। न ये कम्युनिस्ट हैं, न सोशलिस्ट हैं और न कांग्रेसी हैं। ये तो इंडिपेंडेंट लोग

हैं। मैं इस रिजोल्यूशन में से कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"कार्यपालिका प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार के कृत्यों के कारण संस्था को बाध्य होकर वकील की जिम्मेदारी अपनानी पड़ी कि पुलिस को बुलाने के बारे में विधि की जांच करें"।

इसके बाद यह कहा गया है :

"८ अक्तूबर, १९५८ के सवेरे जब विद्यार्थी सो रहे थे, पुलिस की तीन बटालियनों ने विद्यार्थियों को मारा।"

यह वहां के लोगों का कहना है। मैं तो कहता हूं कि इस सारे मामले की जांच कर ली जाये और मैं तो कहता हूं कि जो मैं कहता हूं अगर वह ठीक न निकले तो मुझे इस हाउस द्वारा दंड दिया जाये। मैं चाहता हूं कि चीज़ आगे न बढ़ने दी जाये और इसको बन्द किया जाये। दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी को केवल एक आदमी का हित नहीं देखना चाहिए। अभी खुद इस सदन के सीनियर मेम्बर डाक्टर साहब ने बताया कि वहां के वाइसचांसलर कितने अक्लमन्द हैं। मैं उनकी जातियात में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कह के भी यह कह रहे हैं।

श्री सरजू पांडे : मैं यह चाहता हूं कि अगर वहां की हालत को दुरुस्त करना है तो कम से कम वाइसचांसलर को हटाना चाहिए। मैं ने अखबारों में खुद पंडित जी का लाठी चार्ज के बाद यह बयान पढ़ा था कि वाइसचांसलर ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज कुछ और ही बात देखकर मुझे ताज्जुब होता है। मैं कहता हूं कि वाइसचांसलर को वहां से हटाना चाहिए। उनके रहते वहां अमन कायम करना मुश्किल होगा। विद्यार्थी यह कहते हैं कि वाइसचांसलर ने हमारी नैतिक प्रतिष्ठा को पूरे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने नीचा किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि वहां से वाइसचांसलर को हटाना चाहिए ताकि वहां शान्ति कायम हो सके।

इस सिलसिले में मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। कुछ को गिरफ्तार किया गया है और कुछ जेलों में पड़े हैं। कुछ को मारा गया है। कहा जाता है कि माइल्ड लाठी चार्ज किया गया था। लेकिन आप उन लोगों को देख सकते हैं जो कि अभी तक अस्पतालों में पड़े हैं, उनके किस तरह के फ्रैक्चर हुए हैं। यह तो किसी के कहने से बदल नहीं सकता। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जितने लड़के गिरफ्तार किये गये हैं और जिनके खिलाफ पुलिस मुकदमे चला रही है उनको तुरन्त रिहा किया जाय और यह जांच की जानी चाहिए कि इस मामले में लड़कों की जिम्मेदारी कितनी है। मैं तो कहता हूं कि आपको लड़कों की बात सुननी चाहिए। लड़के तो बच्चे हैं। बच्चे झगड़ा भी करते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि लड़कों को मारने के लिए पुलिस बुलायी जाय और उनको जेलों में बन्द किया जाये। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस वक्त जो लड़के जेलों में बन्द हैं, उन को रिहा कर दिया जाय। पूर्वी ज़िलों के लोगों के बारे में यह कहा गया है कि वहां पर डिस्टर्बेन्सेज़ उन्हीं की वजह से होती हैं। यह बात पूर्णतया ग़लत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस एरिया में वह विश्वविद्यालय है, उस एरिया के लोगों को यह हक हासिल है कि वे उस से ज्यादा फ़ायदा उठायें। उन को यह भी हक हासिल है कि उन के लड़के ज्यादा तादाद में वहां शिक्षा पायें। मैं यह चाहता हूं कि मुदालियार कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, जो आरोप लगाये गये हैं, उन को वापिस लिया जाय।

यह भी बहुत आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी को बगैर किसी बात का इन्तज़ार किये खोल दिया जाये । इस वक्त पांच हज़ार लड़के अपने घरों में परेशान बैठे हैं । अगर वे दूसरे कालेजों में जायेंगे, तो वहां भी वही हवा फैल जायेगी । विश्वविद्यालय के लड़कों के खिलाफ़ जो नैतिक एलीगेशन्ज़ लगाये गये हैं, उन को भी वापस लिया जाय । इस बात की भी अत्यन्त आवश्यकता है कि यहां से एक दल वहां जाय और लड़कों को समझाये बुझाये । कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा शिक्षा मंत्री और इस हाउस से कहना चाहता हूं कि इस किस्म की घटनाओं और कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिए, जिन से देश के लिए खतरा पैदा हो ।

†**पंडित गोविन्द मालवीय :** उपाध्यक्ष महोदय, सभा में इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए हमें कोई हर्ष नहीं हो रहा है । केवल कर्त्तव्य निभाने के लिए हमें इसमें भाग लेना पड़ रहा है ।

यद्यपि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय केन्द्रीय विषय नहीं है परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण केन्द्रीय सरकार को इसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ी और इसलिए अब हम लोगों का कर्त्तव्य हो जाता है कि इस विश्वविद्यालय की गड़बड़ी को दूर करें ।

गत अवसर पर माननीय शिक्षा मत्री ने जो बातें बताई थीं इस समय उन्होंने उन्हीं को लगभग दोहराया है । उन्होंने जो तथ्य रखे हैं, बनारस वासियों का मत है कि वह अधिकांशतः ग़लत है । उदाहरणतः प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है । यद्यपि माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया है कि उनको यह तथ्य सरकारी सूत्रों से ज्ञात हुए हैं परन्तु फिर भी क्योंकि बनारसवासी उनको सच्चे नहीं मानते हैं इसलिए यह उचित होगा कि ऐसा तरीका ढूंढा जाय जिससे सही तथ्यों का पता लग सके ।

इस समय पर वहां जो गड़बड़ी हो रही है वह मुदालियर समिति के प्रतिवेदन के आधार पर जो विधेयक, बिना तथ्यों की पूरी जांच किये, बनाया गया है, उस के कारण है । इस प्रकार मूल कारण मुदालियर समिति का प्रतिवेदन नहीं है । परन्तु जो कुछ हो गया है वह तो हो ही गया है इसलिए अब भविष्य के लिए मैं सुझाव देता हूं । हमें सभा के सदस्यों की एक संस्था बनानी चाहिए जो समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जांच करे, गवाही ले । इस प्रकार की जांच से सभी को संतोष हो जायेगा और सरकार भी यदि कोई ग़लती कर गई है तो उसको ठीक कर लेगी ।

दूसरी बात जिस के कारण गड़बड़ी है वह विश्वविद्यालय में भरती होने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध हैं । इस वर्ष अचानक ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले से आधी कर दी गई । विद्यार्थी कहां जायें, क्या करें ? मैं यह बता कर, विद्यार्थियों द्वारा किये गये कामों के औचित्य के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं । मैं तो केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं । यदि इन दोनों सुझावों को मान लिया जाये तो समस्या का हल निकल सकता है ।

इस के पश्चात् अनुशासन की बात आती है । मेरी समझ में नहीं आता कि जब विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया तो इस का पता किस प्रकार लगे कि स्थिति में सुधार हो रहा है अथवा नहीं ? इसलिये मैं तो समझता हूं कि सरकार ने जो रास्ता अपनाया है उस से समस्या हल होने के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं । सारे उत्तर प्रदेश में हड़ताल हो रही हैं । इसलिये सरकार को ऐसा काम करना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये जिस से हालत में सुधार हो जाये। सब से पहले आप उन्हें बताइये कि उन के विरुद्ध क्या आरोप हैं जिस से वह उन आरोपों का उत्तर दे सकें। यदि सरकार का ऐसा विचार हो कि विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन को वहां पर नहीं होना चाहिये तो बिना किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा किये ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय से निकल जाने को कह दें। बड़ी गंभीर स्थिति है क्योंकि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में, जो देश का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, आज ग़ैर जिम्मेदार व्यक्ति मनमानी बातें कहते हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि आज इस मामले पर चर्चा को स्थगित करा के अन्य किसी दिन के लिये नियत करायें जिस से इस पर बोलनें वाले व्यक्तियों को अधिक समय मिल सके। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे विरुद्ध राज्य सभा में बड़े अनुचित शब्द कहे। मैं वहां पर नहीं था। मैंनें उन्हें एक पत्र लिखा है कि सभा के बाहर वह इस प्रकार की बात कहें कि मैं उन को उत्तर दूं। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की उन्नति हो। मेरी शिक्षा मंत्री से प्रार्थना है कि समस्या की गंभीरता को समझें तथा साहस के साथ बुराइयों को दूर करें। सशस्त्र पुलिस को वहां से हटा ें तथा शान्ति के साथ विश्वविद्यालय में अध्ययन होने दें।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का एकदम बन्द हो जाना इस का उदाहरण है कि सरकार तथा कार्यपालिका परिषद् किस प्रकार नौकरशाही तरीके अपनाती है। यह तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति हड़ताल होने पर मिलों आदि को बन्द कर देते हैं। यह तो सही है कि विद्यार्थियों को इससे बड़ी असुविधा होगी परन्तु इसमें ऐसे विद्यार्थियों को, जैसे विज्ञान तथा प्रविधिक विषयों के विद्यार्थियों को बहुत ही असुविधा होगी क्योंकि वह आन्दोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को दण्ड देना ठीक नहीं है।

बहुत से लोगों ने अनुशासन की बात कही। परन्तु अनुशासन एक दिन की चीज़ नहीं है। यह तो इन कई वर्षों में एकत्रित गन्दगी का परिणाम है। विद्यार्थियों को छोटी छोटी सुविधायें भी नहीं दी जाती हैं। होस्टलों में बहुत भीड़ है। खेलने के मैदानों की हालत बड़ी खराब है। बिजली, पानी की बहुत कमी है। इन सभी बातों के कारण विद्यार्थियों में असंतोष फैलता है और हम कहते हैं अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। प्रशासन को लीजिए। कहा जाता है कि प्रशासन में नौकरशाही का बोल बाला है। वह विद्यार्थियों के कल्याण में कोई ध्यान नहीं देते हैं। केवल चुनाव में जीतने की ओर ही उन का ध्यान रहता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों का यह आन्दोलन केवल उनकी दो मांगें न मानने के कारण है। उन का कहना है कि मुदालियर समिति के प्रतिवेदन में विद्यार्थियों पर झूठे आरोप लगाये गये हैं। उदाहरणतः प्रतिवेदन में लिखा है कि विद्यार्थी चकलों में जाते हैं जो एक बड़ी ही ग़लत बात है और विद्यार्थियों को बदनाम करने के लिये कही गई है। संभव है कोई इक्का दुक्का वहां पर गया हो परन्तु सभी विद्यार्थियों को ऐसा समझना ठीक नहीं है। उपकुलपति को, प्रशासन को, ऐसे विद्यार्थियों को दण्ड देना चाहिये न कि विद्यार्थियों को बदनाम किया जाये। इसलिये विद्यार्थी चाहते हैं कि इस समिति के कथनों की न्यायिक जांच की जाये। मैं नहीं जानता कि सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। वह क्यों डरती है।

उन की दूसरी मांग उपकुलपति का पदत्याग है। वह चाहते हैं कि डा० झा वहां पर नहीं रहें। ऐसा क्यों ? यह भी केवल इसी कारण क्योंकि डा० झा मुदालियर समिति के साथ सम्बद्ध

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रहे और उन्होंने समिति द्वारा विद्यार्थियों पर लगाये गये आरोपों का खण्डन नहीं किया। अपितु उनके विचारों का समर्थन ही किया। इन कारणों से यह उचित ही है कि वह ऐसे उपकुलपति को, जो उनके लिये कल्याणकारी नहीं है, हटाने की मांग करें। इस उपकुलपति ने विश्वविद्यालय में सशस्त्र पुलिस बुला कर विद्यार्थियों को जबरदस्ती विश्वविद्यालय से निकाल दिया। इसलिये यह उचित ही है कि विद्यार्थियों का इस से विश्वास उठ जाये। मैं श्री अशोक मेहता के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि एक समिति को बनारस भेजा जाये जो पूरी जांच करे तथा डा० राधाकृष्णन्, अचार्य नरेन्द्रदेव, तथा मालवीय जी के समान योग्यता रखने वाला कोई उपकुलपति वहां पर भेजा जाये।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : इस सम्बन्ध में सभी ए कमत हैं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र खत्म किया जाये। जैसा कि मेरे मित्र पंडित गोविन्द मालवीय ने कहा कि इस प्रकार के विवाद में भाग लेना बड़े ही दुख की बात है इसलिये इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अपने अनुभवों को मैं आप के सामने रखता हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता हूं। कोर्ट की बैठक में मैंने भाग लिया और स्थिति का जो अनुभव हुआ उसको मैं बताता हूं। बैठक जब चल रही थी उस समय कोर्ट में कुछ विद्यार्थी घुस आये और उपकुलपति से बड़े नाराज़ी के स्वर में बात करने लगे जो मुझे बड़ा अजीब लगा। इत्तफाक से शिक्षा मंत्री, श्री श्रीमाली भी वहां पर उपस्थित थे। लड़कों ने उन की कार को घेर लिया और बातें कीं। मुझ से जब वह मिले तो मैंने उनका अनुशासनहीन व्यवहार अनौचित्य बताया। वह मेरी बात मान गये और दिल्ली में मुझ से मिलने की अनुमति चाही इस से स्पष्ट है कि विद्यार्थी ही इस गड़बड़ी के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। उनके पीछे और कोई हाथ है। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। हमें उनको ढूंढना चाहिये जिस से मां सरस्वती के मन्दिर से गन्दगी दूर की जा सके।

हाल में ही १२ तारीख को मैं महाराजा कालेज, मैसूर में, जिसका मैं पुराना विद्यार्थी हूं, एक समारोह में भाग ले रहा था। उस समय कुछ विद्यार्थी अन्य कालेजों के, अपने यहां पर फीस बढ़ जाने के विरोध में हड़ताल कर के, वहां पर आये और हड़ताल करने के लिये कहने लगे। परन्तु महाराजा कालेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल करने से मना कर दिया और कह दिया कि अपनी शिकायत दूसरी प्रकार से भी ठीक कराई जा सकती है। एक बार यह मान भी लिया जाये कि अब उपकुलपति का दोष है परन्तु क्या कार्यपालिका परिषद् के सदस्य जिस में श्री पतंजलि शास्त्री, श्रीमती हंसा मेहता, श्री कुंजरू, श्री वाडिया, जैसे योग्य व्यक्ति हैं, विद्यार्थियों का बुरा सोचेंगे और स्थिति को ठीक समझने में असमर्थ होंगे ? हमें कार्यपालिका परिषद् के लिये अपशब्द कहते समय सावधानी से काम लेना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थिति समझने के लिये संसद् की समिति भेजी जानी चाहिये परन्तु यह तो एक बड़ी बुरी प्रथा हो जायेगी क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में कोई इबड़ी होने पर सर्वदा संसद् की समिति भेजी जाया करेगी। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री साहस से काम करेंगे तथा शीघ्र विश्वविद्यालय को खोलेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं समझता था कि जब माननीय शिक्षा मंत्री इस विवाद में भाग लेने आयेंगे तो उन को कुछ खेद होगा परन्तु उन का भाषण सुनने पर कुछ ऐसा आभास हुआ कि शिक्षा मंत्रालय में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं के प्रति बड़ी दुर्भावना सी भरी है ।

विश्वविद्यालयों को हमें राजनैतिक दलबन्दी का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये । कुछ ऐसा मालूम होता है कि सत्तारूढ़ दल तथा आने वाली पीढ़ी में मतभेद है और सत्तारूढ़ दल चाहता है कि वह बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चले । इसलिये कुछ मनोमालिन्य आ गया है । विद्यार्थी यह महसूस करते हैं कि तानाशाही को अपनाया जा रहा है । ऐसे व्यक्तियों को विश्वविद्यालय का भार दिया जाता है जो उस के योग्य नहीं होते हैं । सम्मान ज़बरदस्ती किसी से नहीं कराया जा सकता है वह तो स्वयं अपने आप किसी के प्रति हो जाता है । मैं समझता हूं कि ऐसा अवसर आ सकता है जब विद्यार्थी यह मांग करें कि शिक्षा मंत्री भी हटने चाहियें ।

मेरा सभा से अनुरोध है कि वह विद्यार्थियों की मांगें और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करे । उन के साथ पुलिस सशस्त्र सेना ले कर बात न करे । मेरा सुझाव है कि आचार्य कृपालानी को वहां पर भेजा जाये । मुझे पूरा विश्वास है कि एक सप्ताह में मामला सुधर जायेगा । मेरा एक निवेदन और है कि माननीय मंत्री को मानवीय तथा सहानभूतिपूर्ण रवैया विद्यार्थियों के प्रति अपनाना चाहिये । आचार्य कृपालानी को वहां पर भेजने का आश्वासन देना चाहिये जिससे विद्यार्थियों को पता लगे कि उन के प्रति अन्याय नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों में इतनी दिलचस्पी होनी स्वाभाविक ही है । मैं ने इस प्रस्ताव की सूचना इसीलिये दी थी कि मैं महसूस करता हूं कि हमें अब सारी परिस्थिति का एक नये सिरे से पुनरीक्षण करना चाहिये और यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिये कि असल में ग़लती है कहां ।

हमारी अभी सब से बड़ी चिन्ता यही है कि विश्वविद्यालय को फिर से खोला जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में सरकार की आलोचना करते समय हमें पहले यह तय कर लेना चाहिये कि विश्वविद्यालय बन्द करने का निर्णय किस ने किया था । क्या यह सही नहीं है कि विश्वविद्यालय की कार्यपालक परिषद् ने ही उसे बन्द करने का निर्णय किया था ? इस परिषद् के सभी सदस्य बड़े सम्माननीय हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अध्यादेश और उसके बाद अधिनियम को पारित तो सभा नें ही किया था । इसलिये उसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं मानता हूं । लेकिन क्या इस कार्यपालक परिषद् के पास कोई प्राधिकार ही नहीं है, वह सरकार के कहने पर ही चलती है ?

मैं समझता हूं कि इन सम्माननीय व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के प्रशासन का कार्य सौंपने की जिम्मेदारी भी हमारी है । मैं नहीं समझता कि किसी भी अन्य माननीय सदस्य को भेजने से ही विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है । श्री पतंजलि शास्त्री और आचार्य कृपालानी दोनों ही समान रूप से सम्माननीय हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** (सागर) : क्या यह सभा कार्यपालक समिति से विश्वविद्यालय खोलने के लिये नहीं कह सकती ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: हम यह अवश्य कर सकते हैं। हम दूसरी समिति भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या समिति अपना दायित्व निभाने में अयोग्य सिद्ध हो चुकी है। सरकार को निर्णय यही करना है कि इस समिति का गठन सही तरीके से हुआ था या नहीं ? यदि सरकार की यह आलोचना की जाये कि उसने इस समिति की नियुक्ति उचित ढंग से नहीं की या उसमें ठीक सदस्य नहीं रखे, तो मैं उसे समझ सकता हूं। लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते कि विश्वविद्यालय बन्द करने का निर्णय सरकार ने किया था। निर्णय तो कार्यपालक समिति ने ही किया था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पुलिस को समिति ने नहीं, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त उपकुलपति ने ही बुलाया था।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय सदस्य मेरी बात ही नहीं समझना चाहते। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि इतने सम्माननीय व्यक्तियों की हमें इस प्रकार आलोचना नहीं करनी चाहिये।

मेरा अपना विचार है कि माननीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय का यह परिस्थिति पैदा करने में कोई भी हाथ नहीं रहा है। लेकिन यदि माननीय सदस्यों का विचार ह कि उन का हाथ है, तो सभा को शिक्षा मंत्री और मंत्रालय को एक बड़ा निदेश देना चाहिये कि वे इस में हस्तक्षेप न करें। चूंकि ससद् ने यह समिति नियुक्त की है, इसलिये उसे काम करने देना चाहिये।

हमें इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के हित को ही सर्वोपरि समझना चाहिये। यदि उपकुलपति भी विश्वविद्यालय के हित के विरुद्ध कार्य कर रहे हों, तो हमें उन का त्यागपत्र स्वीकार कर लेना चाहिये। प्रधान मंत्री ने बताया ही है कि वे त्याग पत्र दे चुके हैं। वे कितने ही सुयोग्य हों, यदि उनके कारण विश्वविद्यालय की परिस्थिति बिगड़ती हो, तो उन्हें उस पद से हटा दिया जाना चाहिये।

कहा यह जाता है कि बनारस विश्वविद्यालय के पहले सभी उपकुलपति बड़े ही दिग्गज शिक्षाविद् इत्यादि रहे हैं, और चूंकि वर्तमान उपकुलपति इतने सुयोग्य नहीं हैं इसीलिये अब हालत बिगड़ रही है। मैं तो समझता हूं कि हमें इस प्रकार व्यक्तियों की तुलना नहीं करनी चाहिये। लेकिन, सही तो यह है कि यह सारी हालत डा० राधाकृष्णन् के समय में ही बिगड़नी आरम्भ हो गई थी। मैंने इस सम्बन्ध में तथ्य भी बताये थे। तब से विश्वविद्यालय की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। हमें सभी के साथ न्याय करना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य उठे

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब समय नहीं रहा है। ढाई घंटे से अधिक समय नहीं बढाया जा सकता। जब तक नियम निलम्बित नहीं किया जाता, तब तक मैं समय बढा भी नहीं सकता।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: चूंकि सभी सदस्य इस वाद-विवाद का समय बढाने के लिये कह रहे हैं, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बन्द करने सम्बन्धी चर्चा के लिये नियम १९४ की समय-सीमा सम्बन्धी व्यवस्था को निलम्बित कर दिया जाये और उसके

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये पहले से निर्धारित किये हुए समय को २½ से बढ़ा कर ३½ घंटे कर दिया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बन्द करने सम्बन्धी चर्चा के लिये नियम १९४ की समय-सीमा सम्बन्धी व्यवस्था को निलम्बित कर दिया जाये और उस के लिये पहले से निर्धारित किये हुए समय को २½ से बढ़ा कर ३½ घंटे कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): यह मामला देश की शिक्षा से सम्बन्ध रखता है । मैं ने कई वर्ष तक अध्यापन कार्य किया है, इसलिये मुझे इस के सम्बन्ध में बोलने का पूरा अधिकार है । मैं चाहता तो यह था कि इस सम्बन्ध में प्रवर समिति के सामने जो अरुचिकर साक्ष्य दिया गया था, उस की फिर से चर्चा न होती ।

यह तो एक तथ्य है कि विश्वविद्यालय बन्द किया गया है । प्रश्न यह है कि हम उस का समर्थन करें या विरोध । यह सही है कि विश्वविद्यालय में इधर कई वर्षों से जो कुछ भी होता रहा है, हम उस की निन्दा ही कर सकते हैं । उस का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय का बन्द होना ही हो सकता था, यह दूसरी बात है कि बन्द कौन करता । हमें प्रविधिक चीजों की चर्चा पर इस सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लगाना चाहिये । मैं समझता हूं विश्वविद्यालय में इतनी गन्दी चीजें चल रही थीं कि कभी उसे बन्द तो करना ही पड़ता । दुःख तो यही है कि हालत इतने बिगड़ने दी गई ।

अब विश्वविद्यालय जितने ही शीघ्र फिर से खुल जाये उतना ही अच्छा होगा । संसद् अन्य विश्वविद्यालयों की भांति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को ५५ लाख रुपये देती रही है, लेकिन किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की हालत इतनी नहीं बिगड़ी । इस विश्वविद्यालय में शक्ति और विशेषाधिकार का खुले आम दुरुपयोग हो रहा था । नैतिक पतन अपनी सीमा तक पहुंच गया था ।

हम ने मुदालियर समिति नियुक्त की थी । अब लोग उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं । कल शायद विद्यार्थी यह भी कहने लगें कि संसद् के सदस्य भी ठीक नहीं हैं । इस तरह से समस्या का हल नहीं किया जा सकता । मुदालियर समिति ही नहीं, देश के अन्य सम्माननीय व्यक्तियों ने विश्वविद्यालय के बारे में ऐसी ही राय प्रकट की है । लेकिन मैं इस विधेयक की चर्चा में भाग लेने वाले और प्रवर समिति के सदस्यों से पूछता हूं कि अधिनियम पारित होने के बाद उन्होंने विश्व-विद्यालय के लिये क्या किया है ? चर्चा करना ही काफी नहीं है; हमें विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और वहां की स्थिति में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिये ।

हम ने शिक्षा मंत्रालय को उस का दृष्टिकोण ठीक करने में भी कोई सहायता नहीं दी है । हम सभा में चर्चा करने में ही निपुणता दिखा कर रह जाते हैं । परिस्थिति को सुधारने का यह तरीका नहीं है । हम विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं कि सारा दोष प्रशासकों का है । यह तरीका बहुत ग़लत है ।

मैं सरकार से भी यही कहता हूं कि विश्वविद्यालय को बन्द कर के बैठे रहने से भी समस्या का हल नहीं किया जा सकेगा । कहा जाता है कि ५,००० विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय खोलने की

---

†मूल अंग्रेजी में

मांग की है। मैं कहता हूं कि बहस का यह तरीका ही ग़लत है। ग़लत किस्म के कुछ थोड़े से विद्यार्थी ही सारा वातावरण फिर से दूषित कर सकते हैं। सवाल यह है कि अब संसद् और सरकार और सभी शिक्षाविदों को मिल कर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को फिर से खुलवाने और उस का वातावरण स्वस्थ बनाने पर जुट जाना चाहिये। मुझे पूरी आशा है कि विश्वविद्यालय फिर से खुलेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर और विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के कलंकित माथे को पहले की भांति ही गौरवान्वित बनाने का सतत प्रयास करेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। चूंकि यह मेरी कांस्टिट्युएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) है, इसलिये इस के बारे में मैं कुछ कहना आवश्यक समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये आप को अवसर दिया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस के लिये मैं आप का आभारी हूं।

श्री सी० डी० देशमुख साहब ने इस यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) के बारे में १९ तारीख को बड़ौदा में कुछ कहा है। उन्होंने वहां पर जो हड़ताल हुई है, उस के तीन कारण बताये हैं। एक कारण तो यह बताया है कि वहां पर अधिक छात्र हैं और अधिक छात्र होने के कारण वहां हड़ताल होती हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि अध्यापकों और छात्रों में सम्पर्क नहीं है। तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में अध्यापक तथा विद्यार्थी लोग पड़ जाते हैं जिस के कारण हड़ताल होती है।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि अगर आप मास्को यूनिवर्सिटी को देखें तो आप को पता चलेगा कि उस में २३,००० विद्यार्थी हैं। सिंगापुर में तकरीबन ४,००० विद्यार्थी हैं, वहां कभी हड़ताल नहीं हुई है। टोकियो यूनिवर्सिटी में ९,००० विद्यार्थी हैं, वहां पर कभी हड़ताल नहीं हुई है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से यह जो उन्होंने कहा कि हड़ताल होती है, यह बात बिल्कुल गलत है।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** : कोलम्बिया, सारबोन; एक नहीं बल्कि हज़ारों हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : ये बातें आप कह लीजियेगा।

दूसरे उन्होंने अध्यापकों और छात्रों में सम्पर्क न होने की बात कही है। सम्पर्क न होने का कारण यह है कि अध्यापकों की संख्या कम है और छात्रों की अधिक। यह कारण है कि सम्पर्क नहीं होता है : इस का उपाय यह है कि हम अध्यापकों की संख्या ज्यादा कर दें। अधिक से अधिक ४० छात्रों के ऊपर एक अध्यापक होना चाहिये ताकि उनमें निकट का सम्पर्क स्थापित हो सके और इस प्रकार की हड़तालें न हो सकें। यह हड़तालों की जो समस्या है यह सर्व व्यापी बन गई है। यह केवल हिन्दू यूनिवर्सिटी पर ही बात लागू नहीं होती है। अगर आप अध्यापकों की संख्या बढ़ा दें तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है।

तीसरी बात उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के बारे में कही है। भारतवर्ष में लोकतंत्र है और जब तक लोकतंत्र रहेगा राजनीतिक पार्टियां रहेंगी ही। जब राजनीतिक पार्टियां रहेंगी तो जो

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थी समाज है या जो अध्यापक वर्ग है, वह भी किसी न किसी पार्टी में रहेगा ही। इस वास्ते उस से हमें भागना नहीं चाहिये, डरना नहीं चाहिये। हिन्दुस्तान में पार्टियां रहेंगी, छात्रों में भी पार्टियां रहेंगी और इस के रहते हुए हमें उस का हल निकालना होगा। यह हल तभी निकल सकता है जब अध्यापकों और विद्यार्थियों में निकट का सम्पर्क स्थापित हो जाय।

श्रीमाली जी ने कहा कि १५०० विद्यार्थी प्रोसेशन (जलूस) में शामिल हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या १०,००० है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी के साढ़े आठ हज़ार विद्यार्थियों ने क्या गुनाह किया है कि उन को पढ़ाई से महरूम रखा जा रहा है। एक साल यूनिवर्सिटी को बन्द करने का अर्थ यह होता है कि विद्यार्थियों की उम्र एक वर्ष बढ़ जाती है और इस का नतीजा यह निकलता है कि बहुत से स्टूडेंट कम्पीटिटिव एग्ज़ेमिनेशन्स के लिये एपीयर नहीं हो सकेंगे या गवर्नमेंट सर्विस नहीं पा सकगे। क्यों आप इस तरह का अन्याय उन के साथ करते हैं? वे भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं और उन के भविष्य का भी हमें ख्याल होना चाहिये। हम ने वहां दो करोड़ के करीब रुपया खर्च किया है, इस वास्ते नहीं कि हम साढ़े आठ हज़ार विद्यार्थियों को ओवर-एज कर दें एक बरस के लिये। इस वास्ते मेरा विनम्र निवेदन है कि यनिवर्सिटी तत्काल खुलनी चाहिये और जो विद्यार्थी पढ़ना चाहें, उन की पढ़ाई का इंतिज़ाम होना चाहिये और जो राउडी एलीमेंटस हैं उन पर काबू पाने के लिये आप के पास ला है और आप उस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप के पास बड़ी शक्ति है और सारे हिन्दुस्तान का इंतिज़ाम आप करते हैं तो क्या कुछ थोड़े से राउडी एलिमेंटस पर आप काबू नहीं पा सकते हैं।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में सैंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहती है। प्राविंशल गवर्नमेंट कहती है कि हम को कंसल्ट नहीं किया गया और सेंटर कहता है कि हम ने रिपोर्ट दिखाई थी। यह जो कंट्रोवर्सी सैंट्रल और प्राविंशल गवर्नमेंट में चल रही है, यह बंद होनी चाहिये। आप के प्राविंस में भी कांग्रेस गवर्नमेंट (सरकार) है। एक ही पार्टी (दल) की गवर्नमेंटों (सरकारों) में यह बात शोभनीय नहीं दिखाई पड़ती कि राज्य के एजूकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो एक बात कहें और हम दूसरी बात कहें। इसलिये यह जरूरी है कि हम में सहयोग होना चाहिये और सहयोग से ही प्रदेश और केन्द्र दोनों मिल कर इस समस्या को हल करने की कोशिश करें।

जैसा कि मेरे भाई जयपाल सिंह ने भी कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है, मेरा भी यह सजैशन है कि इस मामले को निपटाना चाहिये। इस के दो ही हल हो सकते ह। एक तो यह कि श्री वी० वी० गिरी को जो कि राज्य के गवर्नर हैं, और बहुत पापुलर हैं यह मामला सौंप दिया जाये। वे विद्यार्थियों से मिलें और अध्यापकों से भी मिलें और कोई न कोई हल निकालें। अगर उन पर विश्वास न हो तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुकर्रर करें। विद्यार्थी लोग कहते ह कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम को तो सब के साथ न्याय करना है क्योंकि हम सारे हिन्दुस्तान की प्रतिनिधि संस्था हैं और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम सब उस के लिये जिम्मेदार हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप राज्यपाल को न चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नियुक्त करें, आप हिन्दू यूनिवर्सिटी को खोल दें और विद्यार्थियों से कह दें कि जिस के साथ अन्याय हुआ है वह इन सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रख सकता है। जो किसी अध्यापक को कुछ कहना हो वह भी उन से अपनी बात कह सकता है और वह फसला करेंगे कि किस के साथ अन्याय हुआ है और किस में खराबी है। मुदालियर कमेटी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। इसलिये आप एक आदमी के हाथ में यह मामला दे दें तो अच्छा होगा।

दादा धर्माधिकारी ने कहा है कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट में से एक वाक्य घटा देने या बढ़ा देने से कोई अन्तर नहीं हो सकता। हम को तो अपने विद्यार्थियों का चरित्र ऊंचा करना चाहिये, उन का स्तर सुधारना चाहिये। हमें विद्यार्थियों के साथ न्याय करना चाहिये। ये तो दस हजार विद्यार्थी हैं। अगर किसी एक विद्यार्थी के मन में भी यह भावना हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसे भी हम को देखना चाहिये।

इसलिये मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से निवेदन किया जाये कि वे इस मामले को सुलटाने की कोशिश करें। अगर उन की सेवा को लेना हम उचित न समझें तो हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज को नियुक्त करें ताकि वह इस मामले को ठीक से देखें और हमको अपनी रिपोर्ट दें। उन से सब को चाहे वे विद्यार्थी हों, या अध्यापक हों या वाइस चांसलर हों, अपनी बात कहने का मौका होगा। और सब की बात सुन कर वह अपनी रिपोर्ट दे सकेंगे।

†आचार्य कृपालानी (सीतामठी) : हमें इस समस्या पर बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये। इस समय तो यह कहना ठीक नहीं है कि एक दूसरी समिति जांच के लिये नियुक्त की जाये। पहली समिति में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे ही। अब तो जो प्रतिवेदन हमारे समक्ष है वह तो है। अब हमें यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं करना चाहिये कि वह क्या है।

जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है वे तो अनुशासन की परवाह नहीं करते। यह बात सब जानते हैं। उधर पुलिस भी ज्यादतियां कर जाती है। हमें इन दोनों पर ही भरोसा नहीं है।

विद्यार्थियों के आग्रह पर उपकुलपति को भी पदच्युत नहीं किया जा सकता। यह गलत बात है। विदेशों में ऐसी बात कोई सोचता भी नहीं। यहां जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें यह पता ही नहीं कि शिक्षा किस चीज़ का नाम है। इस प्रकार की बातें उचित नहीं हैं। अब हमें यह सोचना है कि इन परिस्थितियों में हम क्या करें। क्या विश्वविद्यालय को सदैव बन्द रखें? माननीय मंत्री कहते हैं कि राजनीतिक दल खराबी कर रहे हैं किन्तु मैं समझता हूं कि यहां तो कांग्रेस ही खराबी कर रही है।

विश्वविद्यालय को तो खोलना ही पड़ेगा। सदैव तो इसे बन्द रखा ही नहीं जा सकता। विद्यार्थी भी ठीक हो जायेंगे। दूसरे बात यह भी है कि स्वतंत्रता से पूर्व जहां कहीं भी जनता उत्तेजित हो जाती थी हमारे नेता वहां पहुंच कर नतिक बल डालते थे और मामला ठीक हो जाता था। वही बात अब क्यों नहीं होती? तब भी राजनैतिक नेता ही देश का नेतृत्व करते थे। क्या हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इतने साहसहीन हो चुके हैं कि साधारण सी बातों को भी ठीक नहीं कर सकते? माननीय शिक्षा मंत्री को ऐसा ही हल ढूंढना चाहिये।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : श्रीमान जी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) की दशा बहुत तक्लीफ़देह है और चाहे जितना भी इस सवाल पर सोचा जाय बहुत मुश्किल से समझ में आता है कि इसका उपाय क्या किया जाय। अब हमारे सामने सिर्फ़ एक प्रश्न है और वह यह कि हम इस समस्या को किस तरह हल कर सकते हैं हम इस यूनिवर्सिटी का क्या इलाज करें इस को किस तरह से खोलें। मेरे नज़दीक एक ही सवाल है और वह यह है कि यह यूनिवर्सिटी किस तरह से

†मूल अंग्रेजी में

फिर से चालू हो। मैं पिछली बातों की चर्चा नहीं करना चाहती और इस हाउस का भी यह फ़र्ज़ है कि वह पिछली सब बातों को भूल जाए। इस वक्त तो हमें अगले कदम के बारे में सोचना है और वह कदम है यूनिवर्सिटी को फिर से खोलना। हमें यह भी देखना है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या कमियां हैं, जिन की वजह से वहां इस किस्म के वाकयात हुए। मैं एजूकेशन मिनिस्टर, सारी केबिनेट और इस हाउस से कहूंगी कि हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम देखें कि हमारे विद्यार्थी, जो कि हमारी ज़िन्दगी की जान हैं, मरने न पायें और वे ज़िन्दा रहें और कैसे हम उन की शुद्धि करें। जब मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचती हूं, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही शान्तिनिकेतन यूनिवर्सिटी का ख्याल आता है। ये दोनों रेज़ीडेंशियल इंस्टीच्यूशन्ज़ हैं और वाइस-चांसलर वहां रहते हैं। जहां तक मैं समझती हूं ऐसी संस्थाओं में वाइस-चांसलर पिता की हैसियत से रहता है, वह एक तरह से **फादर आफ दी इंस्टीच्यूशन** (संस्था का पिता) होता है। वह बच्चों को खाली तालीम ही नहीं देता है, वह उन को तरबियत भी देता है, वह उन का केरेक्टर भी बिल्ड करता है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि केवल पढ़ने से ही आदमी आगे नहीं बढ़ता है। उसके अलावा उसको अपने कैरेक्टर को ऊंचा उठाना है और उस के मुताबिक अपनी ज़िन्दगी को सुधारना है। रेज़िडेंशियल यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर का यह धर्म होता है कि वह हर लिहाज़ से स्टुडेंट्स का ख्याल रखे। वह बात आज नहीं है। जहां तक बनारस यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों का ताल्लुक है, हालत यह है कि वाइस-चांसलर मीटिंग में आते हैं, प्रीजाइड करते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि उस का काम सिर्फ़ इतना ही नहीं होता है।

इन सब बातों पर सोचने के बाद मैं तो मिनिस्टर साहब को एक ही सुझाव दूंगी और वह यह है कि विद्यार्थी चाहे कितनी भी ग़लतियां करें वे कुछ भी करें उन को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आज आप यूनिवर्सिटी को साल दो साल के लिए बन्द कर देते हैं—अभी एक बहन ने उस को तीन साल के लिए बन्द कर देने के लिए कहा—तो मैं समझती हूं कि हम अपने हाथों से सारी शिक्षा को तबाह कर के उन बच्चों की तबाही करेंगे। मेरी राय यह है कि चाहे कुछ भी हो हमें यूनिवर्सिटी को फिर से जल्दी से जल्दी खोलना है। यह कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यूनिवर्सिटी को खोलना कोई बड़ी मुश्किल बात है। उस को आप बहुत आसानी से खोल सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी को खोलें और पुलिस को तो एक दम वहां से हटा दें। मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि विद्यार्थियों के लिए पुलिस हो। यह तो हमारी अपनी कमज़ोरी है कि विद्यार्थियों के लिए हम पुलिस को बुलाते हैं कि हमारी मदद करो। बहुमत में विद्यार्थी चाहते हैं कि उन की शिक्षा ठीक तौर पर आगे चले। दिल्ली में दो विद्यार्थी मुझे मिले, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे सारी बातें बताईं। उन के मां-बाप भी मुझे मिले। वे मुझ से कहने लगे कि इन का तो जन्म ही खत्म हो गया है, इन लोगों ने परीक्षा देनी है, ये परीक्षा दे पायेंगे या नहीं, इन का क्या होगा, वगैरह। मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि अगर ये विद्यार्थी अपनी परीक्षा देने से महरूम रहे, तो इस की ज़िम्मेदारी मिनिस्ट्री (मंत्रालय) और इस हाउस पर होगी। हमारे बच्चे चाहे ग़लत रास्ते पर चले हों, हम ने देखना है कि उन के हितों को किसी किस्म का नुक्सान न पहुंचे। इस वक्त इस बात का मौका नहीं है कि हम छान-बीन करें कि वे क्यों चले, कौन उन को चलाने वाले थे उन पर क्या-क्या असर हुआ। इन सब बातों पर कैबिनेट विचार करे। लेकिन आज हमारा फ़र्ज़ यह है कि यूनिवर्सिटी को फिर से खोला जाय और उस के बाद अगर कोई प्रिंसिपल, या कोई प्रोफ़ेसर, लैक्चरार या स्टुडेंट (विद्यार्थी) इस किस्म के हों, जो कि आप की राय में वहां के लिए मुनासिब नहीं हैं तो आप उन को स्क्रीन क्यों नहीं करते आप उन को अलग क्यों नहीं करते। आप में अगर हिम्मत हो, तो आप शरीर लड़कों को अलग कर दें।

जो शरीर लड़के हैं उनको आप सज़ा दे सकते हैं। लेकिन अगर चन्द आदमी शरीर हैं और चन्द आदमी नुक़सान पहुंचाते हैं या चन्द आदमियों में पार्टी बाज़ी हो गई है तो हिन्दुस्तान की सारी एजुकेशन को तबाह करने की बात समझ में नहीं आती है। मैं मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करूंगी कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरता से और ठंडे दिल से विचार करें,जोश को भूल जायें, हज़ारों लोगों ने जो गालियां दी हैं, उनको भूल जायें, उनको पी जायें। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि हम कांग्रेसी हैं और हमने बड़ी-बड़ी गालियां सही हैं। हम ब्रिटिश राज से लड़े हैं और उन लोगों ने हमको मारा भी है और गालियां भी बहुत दी हैं लेकिन हम अपने मक़सद को नहीं भूले, अपने आदर्श को नहीं भूले और न ही जोश में आये। अब भी वह इस पर ठंडे दिल से गौर करें और इस यूनिवर्सिटी को खोलें और बच्चों से अगर कोई कसूर हो गया है या उनमें कोई कमज़ोरी आ गई है तो उनको माफ़ कर दें। आप खुद ही कहते हैं कि यंग पीपल आर अवर होप्स। ये हमारी होप्स हैं, हमारी आशायें हैं आप इन आशाओं को न टूटने दें। यही मुझे आप से कहना है।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि यदि राजनैतिक लोग हस्तक्षेप करना छोड़ दें तो मामला शीघ्र ही ठीक हो जाये। इससे उनका क्या अभिप्राय है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्यों ने शिक्षा मंत्रालय के विरुद्ध बहुत सी बातें कहीं हैं और यदि सब बातें ठीक-ठीक उनको ज्ञात होती तो यह हो ही नहीं सकता था।

हमने सब से पहले एक कार्यकारिणी समिति बनाई जिसमें देश के सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, ईमानदार व्यक्ति नामांकित किये—ये लोग शिक्षा का पूर्ण अनुभव रखने वाले महानुभाव थे। उच्चतम-न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य-न्यायाधीश, चार संसद सदस्य इन में सम्मिलित थे। यह विचित्र बात है कि श्री राम सुभग सिंह ने यह सोचा कि शिक्षा मंत्रालय समिति का निर्देशन कर रहा है।

इन लोगों के हाथों में विश्वविद्यालय के हित सुरक्षित हैं। वे विश्वविद्यालय के हित में ही रुचि रखते हैं और उस समिति ने बड़े दुख से ही यह निर्णय किया।

मुझे यह पता नहीं है कि क्या डा० राम सुभग सिंह ने कार्यकारिणी समिति का संकल्प पढ़ा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां, मैंने पढ़ा है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : संकल्प स्पष्ट है। उसमें लिखा है :—

> ".....२७ सितम्बर, १९५८ को रजिस्ट्रार के कार्यालय के समिति के कमरे में होने वाली बैठक में उपकुलपति के आगमन में विद्यार्थियों ने बाधा उपस्थित की तथा उन्हें कैम्पस में आने से रोक दिया तथा उन्हें वाध्य होकर बाहर बैठक करनी पड़ी।
>
> इस बात पर विचार करते हुए कि उपकुलपति के एक मास तक कैम्पस में निवास स्थान से आने से रोका गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

उस बात पर विचार करते हुए कि रजिस्ट्रार को २७ सितम्बर, १९५८ को उपकुलपति से मिलने के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया तथा वे अपना काम भी अच्छी तरह नहीं कर सकते;

इस बात पर विचार करते हुए कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कतिपय विद्यार्थियों ने धमकी दी है कि इस परिस्थिति के परिणाम भयंकर निकलेंगे;

इस बात पर विचार करते हुए कि राजेश्वर दत्त शास्त्री ने कहा है कि आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे तथा उसे त्यागपत्र देने को कह रहे हैं;

इस बात को भी अनुभव करते हुए कि इस प्रकार कार्य संचालन असंभव हो गया है; तथा दुख प्रकट करते हुए कि इन हालात में विश्वविद्यालय का खुले रहना संभव ही नहीं है;

यह संकल्प किया जाता है कि विश्वविद्यालय को ८ अक्तूबर, १९५८ से बन्द किया जाय तथा सामान्य स्थिति होने पर इसे खोला जाये।''

संकल्प स्पष्ट है। इससे समिति के उद्देश्यों को जाना जा सकता है। विश्वविद्यालय में पंडित कुंजरू गये किन्तु उन्हें भी प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी गई। प्रोफैसर वाडिम उन्हें समझाने गये किन्तु किसी भी विद्यार्थी ने एक न सुनी।

मैं आचार्य कृपालानी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि विद्यार्थी उन्हीं की बात मानेंगे। उन्होंने कहा, ''क्या देश में ईमानदार लोग ही नहीं रहे?'' मैंने अपनी ओर से बड़े ईमानदार लोगों को चुना है। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की निस्वार्थ सेवा में ही लगाया है। इस के बावजूद भी उन्होंने युक्तिसंगत एक बात भी न सुनी? मेरा विचार है कि इससे अच्छे व्यक्ति मिल ही नहीं सकते।

बात बड़ी सीधी सादी है। मैं आचार्य जी का आभारी हूं कि उन्होंने सारवान बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। क्या हम विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों के निर्वाचन के अधिकार दें? क्या उन्हें अधिकार भी दें कि वे जिस किसी विद्यार्थी को चाहें पदच्युत कर दें और जिस किसी को चाहें निकाल दें? यह बातें नहीं हो सकतीं। आधी रात को आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी वहां उपकुलपति के यहां जाते हैं और उस प्रिंसीपल की पदच्युति की मांग करते हैं जिसने उनके विरुद्ध कोई बात कही है।

विरोधी दल के सदस्य विद्यार्थियों के हित में रुचि रखते हैं किन्तु विचित्र बात यह है कि वे समिति के कार्य की बड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के आचरण के विरुद्ध एक बात भी नहीं कही।

बहुत से सदस्यों ने कहा कि पुलिस को बुलाना अनावश्यक था; यह नहीं होना चाहिए था। किन्तु विश्वविद्यालय में क्या हो रहा था? विद्यार्थी कारें छीन-छीन कर उपयोग कर रहे थे। सारा प्रशासन ठप्प पड़ा था। यदि किसी को एक दिन भी घर से बाहर न निकलने दिया जाय क्या वह इसे सहन कर सकता है? हमारे हां विधि व्यवस्था है। सप्ताहों तक उपकुलपति तथा ७२ वर्ष के वृद्ध प्रो-वाइस चांसलर को जिसकी पत्नी बीमार थी, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इसी प्रकार पंजीयक के कार्यालय पर भी विद्यार्थी धरना मारे बैठे रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने मुझे पूछा कि क्या वह उन्हें अनुदान दें या नहीं। वह यह जानना चाहते थे कि क्या रुपया ठीक व्यक्तियों के हाथों में ही जायेगा। विश्वविद्यालय की यह परिस्थिति हो गई थी। टेलीफोन की तारें भी काट दी गई थीं। विद्यार्थी जे० डी० गुप्त के घर भी गये जो कैम्पस के बाहर रहता था और वहां प्रदर्शन

किया गया। क्या हम यही चाहते हैं कि हमारे नागरिक हमारे युवक इस प्रकार का व्यवहार करें ? कम से कम विश्वविद्यालय का भला चाहने वालों को यह तो कहना चाहिए था कि हम ऐसी बातों को पसन्द नहीं करते ।

श्रीमान् यदि हम ठीक तरह से हल नहीं कर लेंगे तो हमारा भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा। लोगों को हिंसात्मक कार्यों के लिए भड़काना तो आसान है किन्तु.....

खैर—यदि श्री अवस्थी घायल पुलिस वालों की संख्या जानने की इच्छा रखते हैं मैं उन्हें जानकारी दूंगा। घायल विद्यार्थियों की संख्या ११ है। पंडित मालवीय ने यह पूछा कि हम ऐसे कैसे जानें कि जानकारी तथ्यपूर्ण है या नहीं। आखिर जब मंत्री सभा में वक्तव्य देता है वह उत्तरदायित्व से ही देता है। और किसी तरीके से तो मैं उन्हें विश्वास नहीं दिला सकता। डी० ए० वी० कालेज के दो विद्यार्थी भी कालेज के सामने घायल हुए जब कि उन्होंने धारा १४४ का भंग किया। ३ हैड कान्स्टेबल, ३ पी० ए० सी० के सिपाही तथा ४ सी० पी० के सिपाही अर्थात् कुल १० सिपाही घायल हुए।

†**आचार्य कृपलानी** : इन बातों को छोड़ कर आगे की बतायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह क्या करें जब उनसे यह बातें पूछी जाती हैं तो कोई चारा ही नहीं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने यह जानकारी माननीय सदस्य के आग्रह पर ही दी है। अब जहां तक परामर्श लेने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम ने जिस से परामर्श करना था कर लिया।

जहां तक विश्वविद्यालय को खोलने का सम्बन्ध है हमें इस प्रश्न पर ठीक विचार करना चाहिए। यहां शिक्षा मंत्रालय का तो कोई प्रश्न है नहीं। उन्होंने तो कहा है कि यह ब्यूरोक्रैसी चल रही है। सभा ने संभवतया यह नहीं समझा है कि इसी सभा द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर ही तो कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति हुई है। यह कार्यवाही संसद के अधिनियम के आधार पर हुई है। अतः उस समिति ने जो कार्य किया है वह न्यायोचित है। मैं इस विश्वविद्यालय के बन्द होने से स्वतः बड़ा दुखी हूं। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे विश्वविद्यालय को बन्द करना पड़े। किन्तु मैं यह समझता हूं कि समिति की कार्यवाही न्यायोचित थी। दूसरा कोई तरीका ही नहीं था। एक के पश्चात् दूसरी बात होती रही और समिति को भी काम नहीं करने दिया गया। हम प्रयास करेंगे कि विद्यालय को शीघ्र ही खोला जाये ।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि कार्यकारिणी समिति ही कार्य कर रही है। मैं उन्हें यह नहीं कह सकता कि वे विद्यालय को आज ही खोल दें। उन्होंने कहा है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो गई विश्वविद्यालय को खोल दिया जायेगा। वे लोग बड़े योग्य हैं और हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वे लोग सब बातों पर पूरा-पूरा ध्यान करेंगे और सभा की इच्छाओं का ध्यान रखेंगे ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : प्रधान मंत्री ने पूर्व सत्र में कहा था कि उपकुलपति ने त्यागपत्र दे दिया है किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। अब क्या स्थिति है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वही स्थिति है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जब सारी सभा की यही इच्छा है कि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाये तो क्यों नहीं किया जाता।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सारी सभा की ही तो यह इच्छा नहीं है। उपकुलपति को इस कारण ही तो नहीं निकाला जा सकता कि लड़के दबाव डाल रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जिन माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय के तुरन्त खोले जाने के लिए कहा है मैं उनका आभारी हूं। मुझे पता लगा है कि एक सदस्य ने यह भी कहा कि विद्यालय को तीन वर्ष तक के लिए बन्द कर दिया जाये। यह मध्ययुगीन प्रवृत्ति है।

यह कहना कि राजनैतिक लोग विद्यार्थियों को उकसाते हैं किसी राजनीतिज्ञ के लिए शोभा नहीं देता। यदि माननीय मंत्री में साहस था तो वे वहां जाकर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सामना करते।

मैंने कार्यकारिणी के बारे में कोई भी बात नहीं कहीं केवल इतना ही कहा था कि विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना उचित नहीं था। यदि समिति का निर्णय विद्यार्थियों को ठीक समय पर पता चल जाता तो वे बेचारे कम से कम अपना प्रबन्ध तो कर ही लेते।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि पुलिस बुलाने का उत्तरदायित्व किस पर है। समिति को पता था कि इस निर्णय सें गड़बड़ होगी इसलिए उपकुलपति का कर्त्तव्य था कि वह यहां मंत्रालय को सूचित करते तथा मंत्री महोदय वहां जाकर स्थिति सम्हालते।

माननीय मंत्री ने यह बताया कि रजिस्ट्रार के कार्यालय तथा निवासस्थान पर भी विद्यार्थी बैठ गये थे किन्तु उन्हीं के हस्ताक्षर के अधीन हमें यह सूचना मिली है कि बैठने वालों को वहां से हटा दिया गया।

जहां तक उनके इस वक्तव्य का सम्बन्ध कि प्रदर्शने करने वालों में बाहर वाले लोग थे, हमें तो यह भी नहीं जंचता। इसका कारण यह है कि जितने लोग घायल हुए हैं वे तो विद्यार्थी हैं खैर मैं अन्त में मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि वे स्थिति को वास्तविक रूप से देखें तथा उपकुलपति को हटा कर वहां शान्ति स्थापित करायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब चर्चा समाप्त होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २० नवम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३०७—३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०१	सूती कपड़े का निर्यात	३०७—०९
१०२	गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी मन्त्रणा समिति	३०९—१०
१०४	श्रमिक व उत्पादन समितियां	३१०—११
१०५	अखिल भारतीय रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्था	३१२
१०७	उत्तर प्रदेश और मद्रास में औद्योगिक एकक	३१३—१५
१०९	भोवरा कोयला खान दुर्घटना	३१५—१६
११०	इन्सुलीन का निर्माण	३१६—१७
१११	उत्तरी कोरिया द्वारा उर्वरक का संभरण	३१७
११२	भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय का स्थानान्तरण	३१८—१९
११३	अम्बर चर्खा योजना	३१९—२२
११४	विनय नगर (नई दिल्ली) में मार्केट	३२२—२३
११५	भारत-रूस व्यापार करार	३२३—२४
११७	भारत १९५८ प्रदर्शनी	३२४—२६
११८	नौका यूनिटों का बन्द किया जाना	३२६
११९	भारतीय निर्यात	३२७—२९
१२०	भिलाई में विस्थापित व्यक्ति	३२९—३०
१२१	डालमिया व्यापार संस्थाओं के सम्बन्ध में जांच	३३०—३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३३१—३०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०३	योजना आयोग के सचिव	३३१
१०६	गीला अभ्रक	३३१—३२
१०८	भारत सरकार के लिये निर्मित भवन	३३२
११६	प्याज़ का निर्यात	३३२—३३

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२२	संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन .	३३३
१२३	रोजगार दिलाने की योजनायें . .	३३४
१२४	खनन बोड . . .	३३४
१२५	उत्पादिता दल . .	३३५
१२६	कीसिंग (उड़ीसा) में कागज की मिल . .	३ ३५
१२७	आकाशवाणी का गवेषणा विभाग . .	३ ३५
१२८	अखबारी कागज का कारखाना (न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी)	३३६
१२९	कच्ची फिल्में बनाने वाली फैक्टरी	३३६-३७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५९	फौजदारी अदालतों में निष्क्रांत व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी राशि .	३३७
१६०	द्वितीय योजना में उड़ीसा में खाद्य उत्पादन	३३७-३८
१६१	अमरीकी देशों में भारतीय . .	३३८-३९
१६२	कुटीर उद्योग . .	३३९
१६३	लौह अयस्क . . .	३४०
१६४	गवेषणा कार्यक्रम और मूल्यांकन समिति .	३४०
१६५	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता	३४१
१६६	उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर	३४१
१६७	स्थानीय विकास निर्माण कार्य	३४१
१६८	उत्तर प्रदेश के लिये अम्बर चर्खा	३४१-४२
१६९	खादी सहकारी समितियां	३४२
१७०	उड़ीसा का औद्योगिक विकास	३४२
१७१	काम दिलाऊ दफ्तर	३४२-४३
१७२	गांधी समाधि का निर्माण . . .	३४३
१७३	प्रिटोरिया में भारतीय .	३४३
१७४	कपड़ा मिलें	३४४
१७५	फोटोग्राफी का सामान .	३४४
१७६	श्रमिक समितियां . .	३४५
१७७	फिल्मों के लिये निर्यात संवर्द्धन समिति .	३४५

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७८	नमक उद्योग	३४५-४६
१७९	सोंठ	३४६
१८०	हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को ऋण	३४६
१८१	रोजगार के अवसर	३४७
१८२	भोपाल का बिजली के भारी उपकरणों का कारखाना	३४७
१८४	भारत-ल्हासा राजपथ पर यातायात	३४७
१८६	उत्तर जामबाद कोलियारी (कोयला खान)	३४८
१८७	उड़ीसा में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	३४८
१८८	कागज़ मिलें	३४८-४९
१८९	दिल्ली रेस-कोर्स क्लब	३४९
१९०	हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	३४९
१९१	हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	३५०
१९२	परिवहन कर्मचारियों के लिये विधान	३५०
१९३	जापान को भारतीय वस्तुओं का निर्यात	३५०-५१
१९४	'भारत—१९५८' प्रदर्शनी का उदघाटन	३५१
१९५	आयात प्रतिबन्ध	३५१
१९६	जम्मू तथा काश्मीर	३५१-५२
१९७	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मभारित कर्मचारी	३५२
१९८	लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में भारतीय कर्मचारी	३५२
१९९	खादी और अम्बर-चर्खा का विकास	३५३
२००	मैसूर में अम्बर चर्खा कार्यक्रम	३५३
२०१	प्रविधिक संस्थायें	३५४
२०२	सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली पत्रिकायें	३५४-५५
२०४	अनुसूचित जातियां और अनसूचित आदिम जातियां	३५५
२०५	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	३५६—५८
२०६	अनुसूचित जातियां	३५८
२०७	पहाड़ी क्षेत्रों के लोक नृत्य सम्बन्धी चलचित्र	३५८-५९
२०८	भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा	३५९
२०९	भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा	३५९-६०
२१०	चलचित्रों का निर्यात	३६०

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३६०—६३

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये—

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्य-वाही के बारे में निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ पांचवां सत्र, १९५८

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १० चौथा सत्र, १९५८

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२ तीसरा सत्र, १९५७

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ दूसरा सत्र, १९५७

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८ पहला सत्र, १९५७

(२) विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक १६ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६९९/आर० संशोधन २५

(२) दिनांक ६ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७८०/आर० संशोधन २६

(३) दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ८१४/आर० संशोधन २७

(३) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(१) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४०/५/५८(१)-दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (पानी देने की अन्तिम दर का निर्धारण) नियम, १९५८।

(२) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (२)-दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (मल को ठिकाने लगाने की दर का निर्धारण) नियम, १९५८।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) इंजीनियर्स स्टील फाइल्स उद्योग को प्रदत्त संरक्षण की जांच के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र---(क्रमशः)

(२) सरकारी संकल्प संख्या १८ (१)-टी आर/५८ दिनांक १४ नवम्बर १९५८ ।

(३) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की धारा ४(१) के अन्तर्गत दिनांक १४ नवम्बर १९५८ की दो अधिसूचनायें संख्या १८ (१)-टी आर/५८ ।

(४) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की धारा ३क के अन्तर्गत दिनांक १४ नवम्बर १९५८ की सरकारी अधिसूचना संख्या १८ (१)-टी आर/५८ ।

(५) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत यह बताने वाला विवरण कि ऊपर उल्लिखित (१) से (४) तक दस्तावेज उक्त धारा के अन्तर्गत नियत अवधि में टेबल पर क्यों नहीं रखे जा सके ।

(६) कैल्शियम कार्बाइट उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(७) सरकारी संकल्प, संख्या ३७(१)-टी आर/५८, दिनांक ९ अक्तूबर, १९५८ ।

(८) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत यह बताने वाला विवरण कि ऊपर (६) और (७) में उल्लिखित दस्तावेज उक्तधारा के अन्तर्गत नियत अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखे जा सके ।

(९) कोको का चूर्ण और चाकलेट उद्योग को प्रदत्त संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(१०) सरकारी संकल्प, संख्या १२ (१)-टी आर/५८, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५८ ।

(११) अंजन उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(१२) सरकारी संकल्प, संख्या ४ (१)-टी आर/५८, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५८ ।

(१३) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की धारा ४ (१) के अन्तर्गत सरकारी अधिसूचना संख्या ४(१)-टी आर/५८ दिनांक २७ अक्तूबर, १९५८ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र---(क्रमशः)

(१४) सोडा ऐश उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(१५) सरकारी संकल्प, संख्या ३२ (१) टी आर/५८, दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ ।

(१६) नकली रेशम और सूती तथा रेशम मिले कपड़े उद्योग को प्रदत्त संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(१७) सरकारी संकल्प, संख्या ३६(२)-टी आर/५८, दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ ।

(५) निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, १९५० की धारा ५६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) का प्रशासन नियम, १९५० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक, ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २००१ की एक प्रति ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना . . ३६३---६५

श्री प्र० के० देव ने पाकिस्तान में हाल की घटनाओं, भारत पर उनके प्रभाव और भारतीय सीमा के पार पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण की घटनाओं की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और सभा पटल पर एक वक्तव्य भी रखा ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---विचाराधीन . . ३६६---८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा पुनः आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४---४११

डा० राम सुभग सिंह ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा आरम्भ की । शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । चर्चा समाप्त हुई ।

शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि---

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

श्री दी० चं० शर्मा के इस गैर-सरकारी संकल्प तथा तत्सम्बन्धी संशोधन पर आगे चर्चा "कि देश में बेकारी का अनुमान लगाने और उसे दूर करने के हेतु एक समिति नियुक्त की जाये" । अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी विचार ।